2025 का विधेयक संख्यांक 14

वित्त विधेयक, 2025

वित्त विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

अध्याय 1 प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर I

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

- 3. धारा 2 का संशोधन ।
- 4. धारा 9 का संशोधन ।
- 5. धारा 9क का संशोधन ।
- 6. धारा 10 का संशोधन।
- 7. धारा 12कख का संशोधन ।
- 8. धारा 13 का संशोधन ।
- 9. धारा 17 का संशोधन ।
- 10. धारा 23 का संशोधन ।
- 11. नई धारा 44खखघ का अंतःस्थापन ।
- 12. धारा 45 का संशोधन ।
- 13. धारा 47 का संशोधन ।
- 14. धारा 72क का संशोधन ।
- 15. धारा 72कक का संशोधन ।
- 16. धारा 80गगक का संशोधन ।
- 17. नई धारा 80गगघ का संशोधन ।
- 18. धारा 80झकग का संशोधन ।
- 19. धारा 80ठक का संशोधन ।
- 20. धारा 87क का संशोधन ।
- 21. धारा 92गक का संशोधन ।
- 22. धारा 112क का संशोधन।
- 23. धारा 115कघ का संशोधन ।
- 24. धारा 115खकग का संशोधन ।
- 25. धारा 115पक का संशोधन ।
- 26. धारा 115फ का संशोधन ।

खंड

- 27. धारा 115फख का संशोधन ।
- 28. धारा 115फघ का संशोधन ।
- 29. धारा 115फछ का संशोधन ।
- 30. धारा 115फझ का संशोधन ।
- 31. धारा 115फट का संशोधन ।
- 32. धारा 115फत का संशोधन ।
- 33. धारा 115फन का संशोधन ।
- 34. धारा 115फफ का संशोधन ।
- 35. धारा 115फभ का संशोधन ।
- 36. धारा 115फयक का संशोधन ।
- 37. धारा 132 का संशोधन ।
- 38. धारा 132ख का संशोधन ।
- 39. धारा 139 का संशोधन ।
- 40. धारा 140ख का संशोधन ।
- 41. धारा 144खक का संशोधन ।
- 42. धारा 144ग का संशोधन ।
- 43. धारा 153 का संशोधन ।
- 44. धारा 153ख का संशोधन ।
- 45. धारा 155 का संशोधन ।
- 46. धारा 158ख का संशोधन ।
- 47. धारा 158खक का संशोधन ।
- 48. धारा 158खख का संशोधन ।
- 49. धारा 158खङ का संशोधन ।
- 50. धारा 158खचक का संशोधन ।
- 51. धारा 193 का संशोधन ।
- 52. धारा 194 का संशोधन ।
- 53. धारा 194क का संशोधन ।
- 54. धारा 194ख का संशोधन ।
- 55. धारा 194खख का लोप ।
- 56. धारा 194घ का संशोधन ।
- 57. धारा 194छ का संशोधन ।
- 58. धारा 194ज का संशोधन ।
- 59. धारा 194झ का संशोधन ।
- 60. धारा 194ज का संशोधन ।
- 61. धारा 194ट का संशोधन ।
- 62. धारा 194ठक का संशोधन ।
- 63. धारा 194ठखग का संशोधन ।
- 64. धारा 194थ का संशोधन ।
- 65. धारा 194ध का संशोधन ।
- 66. धारा 206कख का संशोधन ।

खंड धारा 206ग का संशोधन । 67. 68. धारा 206गगक का संशोधन । 69. धारा 246क का संशोधन । 70. धारा 253 का संशोधन । 71. धारा 255 का संशोधन । 72. धारा 263 का संशोधन । 73. धारा 264 का संशोधन । 74. धारा 270कक का संशोधन । 75. धारा 271ककख का संशोधन । 76. धारा 271खख का लोप । 77. धारा 271ग का संशोधन । 78. धारा 271गक का संशोधन । 79. धारा 271घ का संशोधन । 80. नई धारा 271घक का अंत:स्थापन । धारा 271घख का संशोधन । 81. 82. धारा 271ङ का संशोधन । 83. धारा 275 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । 84. धारा 276खख का संशोधन । नई धारा 285खकक का अंत:स्थापन । 85. 86. दूसरी अन्सूची के नियम 68ख का संशोधन । अध्याय 4 अप्रत्यक्ष कर सीमाशुल्क 87. धारा 18 का संशोधन । 88. नई धारा 18क का अंतःस्थापन । 89. धारा 27 का संशोधन । 90. धारा 28 का संशोधन । धारा 127क का संशोधन । 91. 92. धारा 127ख का संशोधन । धारा 127ग का संशोधन । 93. धारा 127घ का संशोधन । 94. धारा 127च का संशोधन । 95. धारा 127छ का संशोधन । 96. धारा 127ज का संशोधन । 97. सीमाशुल्क टैरिफ पहली अनुसूची का संशोधन । 98. केंद्रीय उत्पाद-श्ल्क धारा 31 का संशोधन । 99. 100. नई धारा 31क का अंतःस्थापन । 101. धारा 32 का संशोधन ।

खंड 102. धारा 32क का संशोधन । 103. धारा 32ख का संशोधन । 104. धारा 32ग का संशोधन । 105. धारा 32घ का संशोधन । 106. धारा 32ङ का लोप । 107. धारा 32च का संशोधन । 108. धारा 32छ का संशोधन । 109. धारा 32झ का संशोधन । 110. धारा 32ज का संशोधन । 111. धारा 32ट का संशोधन । 112. धारा 32ठ का संशोधन । 113. धारा 32ड का संशोधन । 114. धारा 32ण का संशोधन । 115. धारा 32त का संशोधन । केंद्रीय माल और सेवा कर 116. धारा 2 का संशोधन । 117. धारा 12 का संशोधन । 118. धारा 13 का संशोधन । 119. धारा 17 का संशोधन । 120. धारा 20 का संशोधन । 121. धारा 34 का संशोधन । 122. धारा 38 का संशोधन । 123. धारा 39 का संशोधन । 124. धारा 107 का संशोधन । 125. धारा 112 का संशोधन । 126. नई धारा 122ख का अंत:स्थापन । 127. नई धारा 148क का अंत:स्थापन । 128. अन्सूची 3 का संशोधन । 129. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं । सेवा कर मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन 130. बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पुनः बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध । अध्याय 5 प्रकीर्ण भाग 1 भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

131. 2002 के अधिनियम सं0 58 का संशोधन।

खंड

भाग 2

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का संशोधन

इस भाग का लागू होना । 132. 133. प्रस्तावना का संशोधन । धारा 1 का संशोधन । 134. 135. धारा 2 का संशोधन । 136. धारा 3 का संशोधन । 137. धारा 5 का संशोधन । धारा 31 का संशोधन । 138. धारा 32 का संशोधन । 139. 1944 के अधिनियम सं0 18 का निरसन और व्यावृत्ति । 140. पहली अनुसूची । दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

(लोक सभा में 1 फरवरी, 2025 को पुरःस्थापित रूप में)

2025 का विधेयक संख्यांक 14

[दि फाइनेंस बिल, 2025 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2025

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

।वधयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2025 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

- (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,--
- (क) धारा 2 से धारा 86, धारा 99 से धारा 115, धारा 120 और धारा 131,1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 116 से धारा 119 और धारा 121 से धारा 129, उस तारीख को प्रवृत होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

- 2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
- (2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, या उन दशाओं में, जहां आय, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, और जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां,—
 - (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो); और
 - (ख) प्रभार्य आय-कर, निम्नान्सार परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय थी;
 - (ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय थी ;
 - (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा:

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकड़ के अधीन कर से प्रभार्य है:

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख धारा 115खक, धारा 115खखन, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बना है, के मामले के सिवाय, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,—

- (i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;
- (ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
- (iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और
- (iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;
- (ख) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या ऐसे व्यक्तियों के संगम, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम के, जो सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में,—
 - (i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
 - (iii) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
 - (iv) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और
 - (v) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलत] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

- (ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,--
 - (i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनिधक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
- (घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,--
 - (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनिधक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (च) प्रत्येक देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी की, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—
 - (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
 - (छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,-
 - (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय.—

- (i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;
- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय,--

- (i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;
- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,--

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है; (ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115 जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड़ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में,--

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित

- है) पचास लाख रुपए से अधिक, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से :
- (ii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए रुपए से अधिक, किंतु दो करोड़ रुपए से अनिधक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
- (iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय अपवर्जित है) दो करोड़ रुपए रुपए से अधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से : और
- (iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सिम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु उपरोक्त खंड (iii) के अधीन नहीं आती है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी दशा में, जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू होते हैं तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सिम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि व्यक्तियों के संगम की दशा में,जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है और जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम, या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय है, और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;

- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि भारत में निवासी ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकड़ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, ऐसी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सिम्मिलित है, जो आय के उस भाग पर परिकलित आय-कर को किसी अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा।

- (4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
- (5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।
- (6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झक, धारा 194झक, धारा 194ठक, धारा 194ठ, धारा 194ठ, धारा 194ठ, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 194न, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—
 - (क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा

2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,—

- (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;
- (iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
- (iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

- (ख) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,—
 - (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;
- (ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—
 - (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

- (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;
- (घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,-
- (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ङ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी:
 - (च) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,-
 - (i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

- (7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।
- (8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—
 - (क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,—
 - (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते

हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

- (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;
- (iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
- (iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

- (ख) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है और केवल कंपनियों के उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, ऐसे संगम की दशा में,—
 - (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
 - (ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,-
 - (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (घ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है

और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

- (ङ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,-
- (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115त्रख या धारा 115त्रग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी:

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थित, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा इ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है:

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखज, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

- (क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,—
 - (i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
 - (iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
 - (iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;
- (ख) प्रत्येक व्यष्टि की दशा में या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,—
 - (i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
 - (iii) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
 - (iv) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति

की आय सम्मिलित नहीं है] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

- (ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—
 - (i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
- (घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकड़ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—
 - (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (च) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—
 - (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;
 - (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;
 - (छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,-

- (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;
- (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

- (i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;
- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

- (i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;
- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (घ) में वर्णित किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

- (i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115 जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है:

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, पहले परंतुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर", संघ के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित अधिभार दवारा बढ़ा दिया जाएगा,--

- (i) पचास लाख रुपए से अधिक किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर पर";
- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सिहत), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर":
- (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर), "ऐसे अग्रिम कर के पच्चीस प्रतिशत की दर पर"; और
- (iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, किंतु ऊपर खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर":

परंतु यह भी कि जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के लागू होने की दशा में और कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन प्रभार्य लाभांश भी है, आय के उस भाग के संबंध में "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में तथा धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य आय पर, "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा (2) के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य क्ल आय निम्नलिखित से अधिक है,--

- (i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;
- (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम

कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकड़ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सिम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर को अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा।

- (10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है या उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में या, यिद आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अविध की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अविध में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—
 - (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो ; और
 - (ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;
 - (ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;
 - (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर"

की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुस्ची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की धारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो "दो लाख पचास हजार रुपए"शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार इस धारा में उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

- (11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।
- (12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है:

परन्तु यह और भी कि इस धारा की कोई बात, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की, आय-कर

अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, आय पर उपधारा (9) में यथा विनिर्दिष्ट, संगणित आय-कर के संबंध में लागू नहीं होगी ।

- (13) इस धारा और पहली अन्सूची के प्रयोजनों के लिए,-
- (क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं;
- (ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है;
- (ग) किसी ट्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस ट्यक्ति की किसी भी स्रोत से ट्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है;
- (घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,--

धारा 2 का संशोधन ।

- (क) खंड (14) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
- (i) उपखंड (ख) में, "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 खंड (क) में विनिर्दिष्ट विनिधान निधि द्वारा धारित हैं" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) उपखंड (ग) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "खंड (10घ) के अधीन छूट, इस कारण लागू नहीं होती है क्योंकि उसका चौथा और पांचवां परंतुक उसे लागू होता है" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड (22) में,--
- (i) उपखंड (ii) के पश्चात्, दीर्घ पंक्ति में, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(iiक) दो समूहों अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण, जहां,--

- (अ) समूह अस्तित्व में से एक कोई "वित्त कंपनी" या कोई "वित्त युनिट" है ; और
- (आ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व भारत से बाहर, बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले देश या राज्यक्षेत्र से भिन्न भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के स्टाक एक्सचेंज में सुचीबदध है ;';
- (ii) स्पष्टीकरण 3 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--
 - '(ग) "वित्त कंपनी" और "वित्त यूनिट" का वही अर्थ होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के क्रमश: खंड (ङ) और खंड (च) में उनका है:

2019 का 50

परंतु ऐसी वित्त कंपनी या वित्त यूनिट को, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सुसंगत विनियमों के अनुसार खजाना संबंधी क्रियाकलापों या खजाना संबंधी सेवाओं को करने हेतु वैश्विक या क्षेत्रीय निगम खजाना केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है;

- (घ) "समूह अस्तित्व", "मूल अस्तित्व" और "प्रधान अस्तित्व" ऐसे अस्तित्व होंगे, जो इस निमित्त यथा विहित शर्तों को पूरा करते हैं।';
- (ग) खंड (47क) के उपखंड (ग) के पश्चात् और परंतुक से पहले, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(घ) कोई क्रिप्टो आस्ति, जो उस मूल्य का डिजिटल प्रतिरूपण करती है, जो संव्यवहारों का विधिमान्यकरण करने तथा संरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक रूप से संरक्षित वितरित खाता-बही या किसी समान प्रौद्योगिकी का अवलंब लेता है, चाहे इसमें किसी ऐसी आस्ति को उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में सम्मिलित किया जाता है अथवा नहीं :"।

धारा 9 का संशोधन ।

- 4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
- (क) खंड (i) के स्पष्टीकरण (2क) में पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि ऐसे संव्यवहार या क्रियाकलाप, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित है, भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति को गठित नहीं करेंगे :"।

- (ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।
- धारा 9क का संशोधन ।
 - 5. अधिनियम की धारा 9क में,--

- (क) उपधारा (3) के खंड (ग) में,--
- (i) "विनिधान समग्र निधि" शब्दों के स्थान पर, "विनिधान पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को समग्र निधि" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) परंतुक के पश्चात्, निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"परंतु यह और कि जहां निधि में पूर्वोक्त संकलित सहभागिता या विनिधान किसी पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर को पांच प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां इस खंड में उल्लिखित शर्त के बारे में यह माना जाएगा कि उसका समाधान हो गया है, यदि उसे ऐसे पूर्व वर्ष के, यथास्थिति, 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर के चार मास के भीतर पूरा कर दिया जाता है;";

- (ख) उपधारा (8क) में,--
- (i) "विनिर्दिष्ट शर्तों" शब्दों के पश्चात्, "[खंड (ग) से भिन्न]" कोष्ठक, शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) "2024" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।
- 6. अधिनियम की धारा 10 में,--

धारा 10 का संशोधन ।

- (क) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ;
 - (ख) खंड (4ड) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
 - (i) "धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी यूनिट" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या कोई विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र का यूनिट है" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।":

- (ग) खंड (4च) में "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे;
- (घ) खंड (4ज) में,--
 - (i) प्रारंभिक भाग में,--
 - (अ) "वायुयान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आताहै, "वायुयान या पोत" शब्द रखे जाएंगे;
 - (आ) "2026" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्निलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात :--

'स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

- (क) "वायुयान" से कोई वायुयान या हैलीकॉप्टर या किसी वायुयान या हैलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है;
- (ख) "पोत" से कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;';
- (ङ) खंड (10घ) में, आठवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह भी कि निम्नलिखित दशा में प्राप्त किसी राशि को चौथे, पांचवें, छठे और सातवें परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे,--

- (क) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ; या
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा जारी किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन, जिसमें ऐसी पालिसी पर लाभांश के माध्यम से आबंटित राशि भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण--इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय" का वही अर्थ होगा, जो अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (ध) में उसका है ;';

2019 का 50

- (च) खंड (12ख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(12खक) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न्यास से किसी निर्धारिती को, जो किसी अवयस्क का अभिभावक या संरक्षक है, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवयस्क के खाते से आंशिक रूप से रकम निकाले जाने पर कोई संदाय, उस परिमाण तक, जो उसके द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ;";

(छ) खंड (23चङ) में,--

(i) "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों" शब्दों के पश्चात्, "(चाहे ऐसे पूंजी अभिलाभों को धारा 50कक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में माना जाता है अथवा नहीं)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे:

- (ii) उपखंड (i) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ;
- (ज) खंड (34ख) में,--
- (i) "वायुयान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वाय्यान या पोत" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात :--

'स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

- (क) "वायुयान" से, कोई वायुयान या हैलीकॉप्टर या किसी वायुयान या हैलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है;
- (ख) "अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है;
- (ग) "पोत" से कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;'।
- 7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख में,--

धारा 12कख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

'परंतु जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (i) से उपखंड (v) के अधीन किया जाता है और धारा 11 तथा धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ती दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे गए थे।';

- (ख) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण के खंड (छ) में, "पूर्ण नहीं है या उसमें" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन में" शब्द रखे जाएंगे ।
- 8. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,--

धारा 13 का संशोधन ।

- (i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(ख) कोई व्यक्ति, जिसका न्यास या संस्था को, यथास्थिति, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान कुल अभिदाय एक लाख रुपए से अधिक है या सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक सकल अभिदाय दस लाख रुपए से अधिक है ;";
- (ii) खंड (घ) में, "व्यक्ति," शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (iii) खंड (ङ) में, "(ख)," कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

- 9. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
- (क) उपखंड (iii) के पैरा (ग) में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपखंड (viii) के पश्चात्, आने वाले परंतुक के खंड (vi) के उपखंड (आ) में, "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन ।

- 10. आय-कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :--
 - "(2) ऐसे गृह या उसके किसी भाग से मिलकर बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा, यदि वह स्वामी के अपने ही निवास के लिए अधिभोग में है या उसका वस्तुत: अधिभोग किसी कारण से नहीं किया जा सकता है।"।
- 11. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखग के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'44खखघ. (1) धारा 28 से धारा 43क में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती, जो अनिवासी है और भारत में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के प्रयोजनों के लिए या इलेक्ट्रानिक मालों, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ है,--

- (क) कोई निवासी कंपनी, जो केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन भारत में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा या इलेक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई संबद्ध सुविधा स्थापित या प्रचालित कर रही है; और
- (ख) ऐसी निवासी कंपनी इस निमित विहित की गई शर्तों को पूरा करती है,

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि को कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य अनिवासी निर्धारिती के ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित होंगी,--
- (क) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के मद्दे उसकी ओर से किसी अनिवासी निर्धारिती या किसी व्यक्ति को संदत्त या संदेय रकम; और
- (ख) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के मद्दे अनिवासी निर्धारिती द्वारा या अनिवासी निर्धारिती की ओर से प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।
- (3) धारा 32 की उपधारा (2) में और धारा 72 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अनिवासी निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाओं की घोषणा करता है, वहां ऐसे पूर्ववर्ती

नई धारा 44खखघ अंत:स्थापन । भारत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण स्विधा स्थापना के लिए या इलेक्ट्रानिक माल, वस्त् या चीज विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौदयोगिकी उपलब्ध कराने के कारबार में लगे अनिवासी के लाभों और अभिलाभों

संगणना करने

के लिए विशेष उपबंध । वर्ष के लिए निर्धारिती को अनामेलित अवक्षयण और अग्रनीत हानि का मुजरा अनुजात नहीं किया जाएगा ।'।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1ख) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवे परंतुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 45 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में,--

धारा 47 का संशोधन ।

- (i) 1 अप्रैल, 2026 से, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ग) 'पारिणामिक निधि' से भारत में किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसे निम्नलिखित मंजूर किया गया है,--
 - (i) प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है; या
 - (ii) धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (I) के मद (ख) के अनुसार, खुदरा स्कीम या विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र, जो उक्त खंड में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है ;";
 - (ii) खंड (ख) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।
- 14. आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

धारा 72क का संशोधन ।

- (i) उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(6ख) जहां, यथास्थिति, किसी समामेलन या कारबार पुनर्गठन, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, प्रभावी किया जाता है, उपधारा (1), उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति,--
 - (क) समामेलक कंपनी है ; या
 - (ख) फर्म या स्वत्वधारी सम्तथान है ; या
 - (ग) प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी है, जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति,--

1992 का 15

- (i) समामेलित कंपनी है ; या
- (ii) उत्तरवर्ती कंपनी है ; या
- (iii) उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी है,

जिसके लिए मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा।":

(ii) उपधारा (7) में, खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कख) "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से उपधारा (1) के अधीन पहले समामेलन या उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पहले कारबार पुनर्गठन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है ।'।

धारा 72कक का संशोधन ।

- 15. आय-कर अधिनियम की धारा 72कक में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
 - (i) निम्नलिखित परंत्क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां ऐसे समामेलन की कोई स्कीम, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, प्रभावी की जाती है, पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति,--

- (क) बैंककारी कंपनी है या कंपनियां हैं ; या
- (ख) समामेलक तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं ; या
- (ग) समामेलक सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं,

जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति,--

- (i) बैंककारी संस्था या कंपनी है ; या
- (ii) समामेलित तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं ; या
- (iii) समामेलित सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं,

जिसके लिए ऐसे मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा।";

- (ii) स्पष्टीकरण में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(viii) "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से पहले समामेलन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है ।'।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगक की उपधारा (2) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 29 अगस्त, 2024 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 80गगक का संशोधन ।

"परंतु यह और कि किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टिक है, की दशा में, खंड (क) में निर्दिष्ट रकम, जो 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् वापस ली गई है, कर से प्रभार्य नहीं होगी।"।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

धारा 80गगघ का संशोधन ।

(क) उपधारा (1ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस उपधारा के अधीन कटौती वहां भी अनुज्ञात की जाएगी, जहां निर्धारिती द्वारा, जो किसी अवयस्क का माता या पिता या अभिभावक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि उक्त उपधारा के अधीन कटौती की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, उक्त पेंशन स्कीम के अधीन ऐसे अवयस्क के खाते में कोई संदाय या निक्षेप किया गया है।":

(ख) उपधारा (3) में,--

- (i) प्रारंभिक भाग में, "निर्धारिती के खाते में उसके नाम में जमा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती या किसी अवयस्क, यथास्थिति, उसके खाते में या अवयस्क के खाते में जमा" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अवयस्क का माता या पिता या अभिभावक या नामनिर्देशिती है, अवयस्क की मृत्यु के कारण उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के बंद होने पर प्राप्त रकम को ऐसे व्यक्ति की आय के रूप में नहीं समझा जाएगा।";

- (ग) उपधारा (4) में, प्रारंभिक भाग में, "जहां निर्धारिती द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "उसके खाते या किसी अवयस्क के खाते में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 18. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे।

धारा 80झकग का संशोधन ।

- 19. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (घ) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।
- धारा 80ठक का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

धारा 87क का संशोधन ।

- (क) पहले परंतुक में,--
 - (i) खंड (क) में,--
 - (I) "सात लाख रुपए" शब्द के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे :

- (II) "पच्चीस हजार रुपए" शब्द के स्थान पर, "साठ हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ख) में, "सात लाख रुपए" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन कटौती, धारा 115खकग की उपधारा (1क) में उपबंधित दरों के अनुसार संदेय आय-कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 92गक का संशोधन ।

- 21. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में,
 - (क) 1 अप्रैल, 2026 से,--
 - (i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए कोई निर्देश नहीं किया जाएगा, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने ऐसे संव्यवहार के संबंध में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3ख) में निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को घोषित कर दिया है:

परंतु यह और कि उपधारा (3ख) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में, जिसके लिए विकल्प विधिमान्य घोषित किया जाता है किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए कोई निर्देश, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी घोषणा के पूर्व या पश्चात् किया जाता है तो इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे, मानो ऐसे संव्यवहार के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया हो ।";

- (ii) उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :--
 - "(3ख) किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3) के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित की जारी रही असन्निकट कीमत, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को लागू होगी, अर्थात :--
 - (क) निर्धारिती, उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उपर्युक्त प्रभाव के विकल्प या विकल्पों का प्रयोग करता है;
 - (ख) ऐसे विकल्प या विकल्पों का प्रयोग यथाविहित प्ररूप, रीति और ऐसी समयाविध के भीतर किया जाता है ; और

(ग) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, एक मास के भीतर लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि विकल्प यथाविहित शर्तों के अधीन रहते हुए विधिमान्य है या हैं:

परंतु इस उपधारा के उपबंध अध्याय 14ख के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।";

- (iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(4क) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को उपधारा (3ख) के अधीन विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित कर दिया है, वह उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे समान संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का परीक्षण और अवधारण करेगा और निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, धारा 155 की उपधारा (21) के उपबंधों के अनुसार उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना प्रारंभ करेगा।";
- (ख) उपधारा (9) के परंत्क का लोप किया जाएगा ;
- (ग) उपधारा (10) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(11) यदि उपधारा (3ख) और उपधारा (4क) को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाई को दूर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा :

परंतु ऐसा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत 1 अप्रैल, 2026 से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(12) बोर्ड द्वारा उपधारा (11) के अधीन जारी प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धांत को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा जब वह तीस दिन की कुल अविध के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तवर्ती सत्र सिम्मिलित हो सकेंगे और यिद, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शी सिद्धांत यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।"।

धारा 112क का संशोधन ।

- 22. आय-कर अधिनियम की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
 - (क) आरंभिक भाग में, "खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
 - (ख) दूसरे परंतुक में, "खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 115कघ का संशोधन । 23. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (iii) में, दीर्घ पंक्ति में, 1 अप्रैल, 2026 से, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "साढ़े बारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115खकग का संशोधन ।

- 24. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) में, 1 अप्रैल, 2026 से.--
 - (क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"(iii) 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :--

| सारणी | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| क्रम सं. | कुल आय | कर की दर |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 4,00,000 रुपए तक | शून्य |
| 2. | 4,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 8,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 4. | 12,00,001 रुपए से 16,00,000 रुपए तक | 15 प्रतिशत |
| 5. | 16,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 6. | 20,00,001 रुपए से 24,00,000 रुपए तक | 25 प्रतिशत |
| 7. | 24,00,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत ।"। |

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (2) में, "धारा 111क और धारा 112" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से, ", धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 115पक का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115फ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

धारा 115फ का संशोधन ।

- (i) खंड (क), खंड (ख) खंड (च) और खंड (ज) में, "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्निलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ङक) 'अंतर्देशी जलयान' का वही अर्थ होगा, जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (थ) में उसका है ;"।
- 27. आय-कर अधिनियम की धारा 115फख में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

धारा 115फख का संशोधन ।

- (क) "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे :
- (ग) परंतुक में "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।
- 28. आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

धारा 115फघ का संशोधन ।

- (i) "कोई पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कोई पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (क) में, "पोत या जलयान" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, "वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रिजस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रिजस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रिजस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रिजस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई अंतर्देशीय जलयान है" शब्द रखे जाएंगे;

- (iv) खंड (ग) में, "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे :
- (v) दीर्घ पंक्ति के पश्चात्, खंड (i) में, "कोई समुद्रगामी पोत या जलयान" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कोई समुद्रगामी पोत या जलयान या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे।

1958 का 44

2021 का 24

1958 का 44

2021 का 24

धारा 115फछ का संशोधन । 29. आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ में, 1 अप्रैल, 2026 से, उपधारा (4) में "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115फझ का संशोधन ।

- 30. आय-कर अधिनियम की धारा 115फझ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
 - (क) उपधारा (2) के खंड (ii) में,-
 - (i) "अन्य पोत संबंधी क्रियाकलाप" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अन्य पोत संबंधी या अंतर्देशीय जलयान संबंधी क्रियाकलाप," शब्द रखे जाएंगे:
 - (ii) उपखंड (अ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "एक या अधिक पोतों" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, एक या अधिक पोतों या अंतर्देशी जलयानों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (6) में, "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फट का संशोधन । 31. आय-कर अधिनियम की धारा 115फट में, उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से, ", जो पोत हैं," शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, जो पोत या अंतर्देशीय जलयान हैं," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115फत का संशोधन । **32.** आय-कर अधिनियम की धारा 115फत की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्निलिखित परंत्क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के लिए उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस तिमाही की समाप्ति से, तीन मास की अविध के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था।"।

धारा 115फन का संशोधन ।

- 33. आय-कर अधिनियम की धारा 115फन में, 1 अप्रैल, 2026 से,--
- (i) उपधारा (3) में, "िकसी नए पोत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ", यथास्थिति, किसी नए पोत या नए अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपधारा (4) के खंड (ग) में, "उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, नए पोत या नए अंतर्देशीय जलयान का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण में, 'प्रयोजनों के लिए, "नया पोत" में ऐसा' शब्दों के स्थान पर, 'प्रयोजनों के लिए, ", यथास्थिति, नया पोत या नया अंतर्देशी जलयान" में ऐसा' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115फफ का संशोधन । 34. आय-कर अधिनियम की धारा 115फफ में, 1 अप्रैल, 2026 से,--

- (क) उपधारा (4) में, "भाड़े पर लिए गए पोतों" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, भाड़े पर लिए गए पोतों या अंतर्देशी जलयानों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) स्पष्टीकरण में, "भाड़े पर लिए गए पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, भाड़े पर लिए गए पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।
- **35.** आय-कर अधिनियम की धारा 115फभ में, उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से.--

धारा 115फभ का संशोधन ।

- (i) खंड (क) में, "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशी जलयान" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) खंड (ख) में उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "(iii) भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान की दशा में, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी प्रमाणपत्र ।"।
- **36.** आय-कर अधिनियम की धारा 115फयक में, उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2026

धारा 115फयक का संशोधन ।

- (क) "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे :
 - (ख) "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।
 - 37. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,--

धारा 132 का संशोधन ।

- (क) उपधारा (8) में, "निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना आदेश की तारीख से तीस दिन" शब्दों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से, "तिमाही, जिसमें निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना संबंधी आदेश किए गए हैं, की समाप्ति से एक मास" शब्द रखे जाएंगे :
- (ख) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "प्राधिकार" शब्द के स्थान पर, "प्राधिकारों" शब्द रखा जाएगा ।
- 38. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में, "धारा 158खड़ के स्पष्टीकरण 2" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 158ख के स्पष्टीकरण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 132ख का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (8क) में,--

धारा 139 का संशोधन ।

- (क) "चौबीस मास" शब्दों के स्थान पर, "अड़तालीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अद्यतन विवरणी वहां प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जहां धारा 148क के अधीन उसके मामले में सुसंगत निर्धारण

2021 का 24

से,--

वर्ष के अंत से छतीस मास के पश्चात् कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है:

परंतु यह भी कि चौथा परंतुक वहां लागू नहीं होगा, जहां धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है कि धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह कोई उपयुक्त मामला नहीं है ।"।

धारा 140ख का संशोधन ।

- **40.** आय-कर अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (3) के खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्निलेखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(iii) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित, संदेय कर और ब्याज के योग का साठ प्रतिशत, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चौबीस मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छतीस मास की अविध पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है; या
 - (iv) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज की योग का सत्तर प्रतिशत, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अइतालीस मास की अविध पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है ।"।

धारा 144खक का संशोधन ।

- **41**. आय-कर अधिनियम की धारा 144खक के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के स्थान पर, निम्निलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ii) "उस तारीख से, जिसको अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अविध :"।

धारा 144ग का संशोधन । **42.** आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (14ग) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 153 का संशोधन ।

- **43.** आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अविध ; या"।

धारा 153ख का संशोधन ।

- **44.** आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण के खंड (i) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्निलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--
 - "(i) उस तारीख से, जिसको निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अविध ; या"।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में, उपधारा (20) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 155 का संशोधन ।

- "(21) जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असिन्नकट कीमत का अवधारण किया जाता है और अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने यह घोषित किया है कि निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प, उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में विधिमान्य है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करके,--
 - (क) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंध में उक्त धारा की उपाधारा (4क) के अधीन इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप ; और
 - (ख) ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए,

उस मास के अंत से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण पूरा किया जाता है, ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना करेगा और उसे धारा 92ग की उपधारा (4) का पहला और दूसरा परंतुक लागू होगा :

परंतु जहां, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उक्त तीन मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी पुन:संगणना, उस मास के अंत से तीन मास के भीतर की जाएगी, जिसमें यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना को जारी किया जाता है।"।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (ख) में, "धन, सोना-चांदी, आभूषण" शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "आभासी डिजिटल आस्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

धारा 158ख का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 158खक में, 1 फरवरी, 2025 से, अर्थात् :--

धारा 158खक का संशोधन ।

- (क) उपधारा (4) में, "लंबित" शब्द के स्थान पर, "किया जाना अपेक्षित" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (5) में, "िकसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, "िकसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या प्नःनिर्धारण या प्नः संगणना या निर्देश या आदेश" शब्द रखे जाएंगे।
- 48. आय-कर अधिनियम की धारा 158खख में, 1 फरवरी, 2025 से,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

धारा 158खख का संशोधन ।

- "(1) ब्लॉक अविध की धारा 158खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय निम्नलिखित का कुल योग होगी, अर्थात् :--
 - (i) धारा 158खग के अधीन प्रस्तुत विवरणी में अप्रकटित कुल आय ;
 - (ii) यथास्थिति, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारित आय ;
 - (iii) तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी में या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन किसी सूचना के प्रत्युत्तर में घोषित आय, जो खंड (i) या खंड (ii) के अंतर्गत नहीं आती है;
 - (iv)(क) पूर्व वर्ष के संबंध में, जहां ऐसा पूर्व वर्ष समाप्त हो गया है और तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख के पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की शोध्य तारीख समाप्त नहीं हुई है;
 - (ख) पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली, जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है तथा तलाशी या अध्यपेक्षा आरंभ होने वाली तारीख के ठीक पूर्व के दिन को समाप्त होने वाली, अविध के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बिहयों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख के ठीक पूर्व के दिन को या उसके पहले ऐसी अविध के लिए;
 - (ग) जिसमें तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से आरंभ होने वाली और तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार से निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली, अविध के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बिहयों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उसके पहले ऐसी अविध के लिए,

निर्धारित आय ;

- (v) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय ।";
- (ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

- "(3) जहां लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप अवधारित किए जाने के लिए अपेक्षित आय और ऐसी अन्य सामग्रियों या सूचना, जो या तो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हैं या जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के दौरान उसकी जानकारी में आई हैं या अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर अवधारित आय किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित है या उस पूर्ववर्ष के, जिसमें अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया था, 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली और अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अविध के संबंध में धारा 92गक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित है, वहां ऐसी आय को ब्लॉक अविध की कुल आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा और ऐसी आय को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किए गए निर्धारण में विचार में लिया जाएगा।";
- (ग) उपधारा (6) में, "आय प्रकट" शब्दों के स्थान पर, "अप्रकटित आय प्रकट" शब्द रखे जाएंगे ।
- 49. आय-कर अधिनियम की धारा 158खङ में,--

धारा 158खङ का संशोधन ।

- (क) उपधारा (1) में, "मास के अंत से" शब्दों के स्थान पर, "तिमाही के अंत से" शब्द रख जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से रखे गए समझे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (3) में, "मास के अंत से" शब्दों के स्थान पर, "तिमाही के अंत से" शब्द रख जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से रखे गए समझे जाएंगे ;
- (ग) उपधारा (4) के खंड (i) के स्थान पर निम्निलखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :--
 - "(i) उस तारीख से, जिसको किसी न्यायालय द्वारा आदेश या व्यादेश द्वारा निर्धारण कार्यवाहियों पर रोकादेश मंजूर किया गया था, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसे रोकादेश को समाप्त करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी, समाप्त होने वाली अविध ; या"।
- **50.** आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक की उपधारा (4) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्निलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 158खचक का संशोधन ।

- "(ii) उस तारीख, जिसको उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दी जाती है, से आरंभ होने वाली तथा उस तारीख को, जिसको रोक को हटाने वाले आदेश की प्रमाणिक प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अविध ;"।
- 51. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में,--

धारा 193 का संशोधन ।

- (क) "संदेय ब्याज की रकम", शब्दों के पश्चात्, ", जो वितीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों का योग है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ख) परंतुक के खंड (v) के उपखंड (क) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194 का संशोधन । 52. आय-कर अधिनियम की धारा 194 के पहले परंतुक के खंड (ख) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194क का संशोधन ।

- 53. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में,--
 - (क) खंड (i) में,--
 - (i) "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) उपखंड (घ) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे;
 - (iii) तीसरे परंतुक में,--
 - (अ) "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे;
 - (आ) "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे:
 - (ख) खंड (xi) के पश्चात् आने वाले परंतुक के खंड (ख) में,--
 - (i) "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194ख का संशोधन ।

- 54. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में,--
- (क) "जो ऐसी रकम या रकमों का योग है", शब्दों के स्थान पर, "जो एकल संव्यवहार की बाबत ऐसी रकम है" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) "वितीय वर्ष के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 194खख का संशोधन ।

- 55. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में,--
 - (क) "वितीय वर्ष के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) "दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग की" शब्दों के स्थान पर, "एकल संव्यवहार के संबंध में दस हजार रुपए से अधिक की रकम की" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194घ का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के दूसरे परंतुक में, "पंद्रह हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ की उपधारा (1) में, "पंद्रह हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194छ का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के पहले परंतुक में, "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ज का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 194झ का संशोधन ।

"परंतु यह कि इस धारा के अधीन वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा पाने वाले के खाते में या उसे किसी मास या मास के भाग के लिए जमा या संदत्त की जाने वाली ऐसे किराए की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है :"।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, "तीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194ञ का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट के परंतुक के खंड (i) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ट का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पहले परंतुक में, "दो लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ठक का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखग की उपधारा (1) में, "पूर्वतर हो, उस पर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "आय-कर की कटौती करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194ठखग का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 194थ की उपधारा (5) के खंड (ख) में, "ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 194थ का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 194ध की उपधारा (2) में, "धारा 203क और धारा 206कख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 203क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 194ध का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 206कख का लोप किया जाएगा ।

धारा 206कख का लोप ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,--

धारा 206ग का संशोधन ।

- (क) उपधारा (1) में,--
 - (i) सारणी में,--
 - (अ) क्रम संख्यांक (iii) के सामने,--
 - (I) स्तंभ (2) में, "काष्ठ" शब्द के स्थान पर, "काष्ठ या अन्य वनोत्पाद (जो तेंद्र पत्ते नहीं हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

- (II) स्तंभ (3) में, "ढाई प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "दो प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;
- (आ) क्रम संख्यांक (iv) के सामने, स्तंभ (3) में, "ढाई प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "दो प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;
- (इ) क्रम संख्यांक (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वनोत्पाद" का वही अर्थ है जो तत्समय प्रवृत्त भारतीय वन अधिनियम, 1927 में है ।";

1927 का 16

- (ख) उपधारा (1छ) में,--
- (i) पहले, दूसरे और चौथे परंतुक में, "सात लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात :--

"परंतु यह भी कि प्राधिकृत व्यौहारी राशि को संग्रहीत नहीं करेगा, यदि विप्रेषित की जा रही रकम को शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए धारा 80ङ की उपधारा (3) के खंड (ख) में यथापरिभाषित किसी वितीय संस्थान से प्राप्त किया गया ऋण है:";

(ग) उपधारा (1ज) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के उपबंधों में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2025 से लागू नहीं होगी ।";

(घ) उपधारा (७क) में, 1 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु धारा 153 की उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (6) तथा उसका स्पष्टीकरण 1, जहां तक हो सके, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को लागू होंगे ।";

- (ङ) उपधारा (9) में, "उपधारा (1ग) या उपधारा (1ज)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (च) उपधारा (10क) में, "(1ग), (1च) या (1ज)" कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "(1ग) या (1च)" कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
- 68. आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक का लोप किया जाएगा ।

धारा 206गगक का लोप । 69. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,--

धारा 246क का संशोधन ।

- (i) खंड (त्रक) में, "उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;
 - (ii) खंड (ढ) में, "उपाय्क्त द्वारा किया गया" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- **70.** आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (9) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 253 का संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 255 का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (3) के नीचे स्पष्टीकरण में, "ऐसी किसी कालावधि का, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक रखी गई है," शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि का," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 263 का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 264 की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में, "उस अविध को, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है," शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अविध को," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 264 का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 270कक की उपधारा (4) में, "एक मास" शब्दों के स्थान पर, "तीन मास" शब्द, रखे जाएंगे ।

धारा 270कक का संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख की उपधारा (1क) में, "राष्ट्रपति की अनुमित होती है," शब्दों के पश्चात् "किंतु 1 सितंबर, 2024 के पूर्व," शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे तथा 1 सितंबर, 2024 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

धारा 271ककख का संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 271खख का लोप किया जाएगा ।

धारा 271खख का

77. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

लोप । धारा 271ग का संशोधन ।

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

> धारा 271गक का संशोधन ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 271गक की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"। धारा 271घ का संशोधन । 79. आय-कर अधिनियम की धारा 271घ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घक का संशोधन । **80.** आय-कर अधिनियम की धारा 271घक की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घख का संशोधन । 81. आय-कर अधिनियम की धारा 271घख की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271ङ का संशोधन । 82. आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 275 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन । 83. आय-कर अधिनियम की धारा 275 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन ।

- "275. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस तिमाही की समाप्ति से छह मास के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें--
 - (क) वे कार्यवाहियां जिनके दौरान शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाही आरंभ की गई है, पूर्ण की जाती हैं, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 की विषय-वस्त् नहीं है;
 - (ख) धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन प्नरीक्षण की विषय-वस्त् है;
 - (ग) धारा 246 या धारा 246क के अधीन अपील का आदेश अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन अपील की विषय-वस्तु है और धारा 253 के अधीन कोई अतिरिक्त अपील फाइल नहीं की गई है;
 - (घ) धारा 253 के अधीन अपील का आदेश अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धारा के अधीन अपील की विषय-वस्तु है;

- (ङ) शास्ति के अधिरोपण की सूचना किसी अन्य मामले में जारी की जाती है।
- (2) शास्ति को अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि करने वाला या उसे कम करने वाला या शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाहियों को बंद करने वाला आदेश धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 या धारा 260क या धारा 261 के अधीन पारित आदेश को प्रभावी करते हुए पुनरीक्षित रूप में निर्धारण या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के आधार पर वहां पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है।
- (3) शास्ति को अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि या उसे कम करने वाला या उसे रद्द करने वाला या उपधारा (2) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा,--
 - (क) जब तक निर्धारिती को सुना नहीं गया हो या सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;
 - (ख) उस तिमाही के अंत से, जिसमें धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 या धारा 260क या धारा 261 के अधीन पारित आदेश अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है, छह मास की समाप्ति के पश्चात्।
- (4) धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंध, उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने के आदेश को लागू होंगे।"
- (5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित अविध का अपवर्जन किया जाएगा,--
 - (क) धारा 129 के परंतुक के अधीन निर्धारिती को फिर से सुनवाई का अवसर दिए जाने में लगा समय;
 - (ख) उस तारीख को आरंभ होने वाली अवधि, जिसको शास्ति के उद्ग्रहण के लिए कार्यवाही पर रोक किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा मंजूर की गई थी और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको रोक को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी।"।
- 84. आय-कर अधिनियम की धारा 276खख में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 276खख का संशोधन ।

"परंतु इस धारा के उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे यदि स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय, ऐसे संदाय के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उससे पूर्व किसी समय केंद्रीय सरकार को जमा कर दिया गया है ।"। नई धारा
285खकक का
अंत:स्थापन ।
क्रिप्टो आस्ति के
संव्यवहार का
विवरण प्रस्तुत
करने की
बाध्यता ।

- **85.** आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "285खकक. (1) कोई व्यक्ति, जो क्रिप्टो आस्ति के संबंध में यथाविहित कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व है, ऐसी क्रिप्टो आस्ति के किसी संव्यवहार के संबंध में, ऐसी अविध के लिए, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जो विहित किए जाएं, किसी विवरण में जानकारी प्रस्तुत करेगा।
 - (2) जहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है, त्रुटि के संबंध में सूचित कर सकेगा और वह उसे उस त्रुटि का, ऐसी सूचना से तीस दिन की अविध के भीतर या ऐसी और अविध के भीतर, जो अनुज्ञात की जाए, सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा और यदि त्रुटि का ऐसी अविध के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसे व्यक्ति ने विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।
 - (3) जहां किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, तो विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से अनिधक की अविध के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करे और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।
 - (4) यदि किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन, या उपधारा (3) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में, विवरण प्रस्तुत किया है, विवरण में उपलब्ध कराई गई सूचना में किसी गलती के बारे में ज्ञात होता है या गलती पता चलती है तो वह दस दिन की अविध के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे विवरण में हुई गलती के संबंध में जानकारी देगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सही जानकारी प्रस्तुत करेगा।
 - (5) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, निम्नलिखित को विहित कर सकेगी,--
 - (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को विहित आय-कर अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना ;
 - (ख) जानकारी की प्रकृति तथा वह रीति, जिसमें ऐसी जानकारी को खंड(क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाए रखा जाएगा ; और
 - (ग) किसी क्रिप्टो आस्ति उपयोक्ता या स्वामी की पहचान के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा बरती जाने वाली सम्यक् तत्परता ।
 - (6) इस धारा में, 'क्रिप्टो आस्ति' का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (47क) के उपखंड (घ) में उसका है ।"।
- 86. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68ख के उपनियम (2) के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

द्वितीय
अनुसूची के
नियम 68ख का
संशोधन ।

- "(i) उस तारीख से, जिसको पूर्वोक्त कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या
- (ii) उस तारीख से, जिसको स्थावर संपित की कुर्की या विक्रय की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक हटाने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अविध ; या"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

87. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 में,--

धारा 18 का संशोधन ।

- (क) उपधारा (1) में, "उचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनन्तिम रूप से निर्धारण किया जाए," शब्दों के स्थान पर, निम्नितिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "उचित अधिकारी, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनन्तिम रूप से निर्धारण कर सकेगा,";
- (ख) उपधारा (1क) में, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में," शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--
 - "(1ख) उचित अधिकारी, अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क को, उपधारा (1) के अधीन ऐसे निर्धारण की तारीख से दो वर्ष के भीतर अंतिम रूप देगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अविध को एक वर्ष की और अविध के लिए विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2025 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, उपधारा (1) के अधीन लंबित किसी अनंतिम निर्धारण के संबंध में, दो वर्ष की उक्त अविध उस तारीख से गिनी जाएगी, जिसको उक्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है।

(1ग) जहां उचित अधिकारी, निम्नलिखित कारण से उपधारा (1ख) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का अंतिम रूप से निर्धारण करने में असमर्थ है कि,--

- (क) भारत से बाहर किसी प्राधिकारी से विधिक प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी मांगी जा रही है ; या
- (ख) उसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की वैसे ही मामले में कोई अपील, अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है; या
- (ग) अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक का अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है ; या
- (घ) बोर्ड ने वैसे ही मामले में ऐसे मामले को लंबित रखने के लिए विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश जारी किया है ; या
- (ङ) समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड के समक्ष आयातकर्ता या निर्यातकर्ता का आवेदन लंबित है,

तो उचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को, अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं देने के लिए कारण को सूचित करेगा और ऐसे मामले में, उपधारा (1ख) में विनिर्दिष्ट समय अनंतिम निर्धारण की तारीख से लागू नहीं होगा, अपितु उस तारीख से लागू होगा, जब ऐसा कारण विद्यमान नहीं है।"।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

- "18क. (1) धारा 149 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, निकासी के पश्चात्, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, माल के संबंध में पहले ही की गई प्रविष्टि का प्नरीक्षण कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने पर, माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, श्ल्क का स्वतः निर्धारण करेगा ।
- (3) जहां उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की गई पुनरीक्षित प्रविष्टि और किए गए स्वतः निर्धारण का परिणाम,--
 - (क) किसी शुल्क का कम उद्ग्रहण, उद्ग्रहण न होना, कम संदत्त या संदत्त न होना होता है, तो ऐसे माल के आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा उसका धारा 28कक के अधीन ब्याज के साथ स्वैच्छया संदाय किया जा सकेगा ;
 - (ख) ऐसे माल पर संदेय शुल्क के आधिक्य में संदत्त शुल्क या ऐसे माल पर संदत्त संपूर्ण शुल्क के रूप होता है, जिसमें प्रतिदाय अपेक्षित है, तो ऐसी पुनरीक्षित प्रविष्टि धारा 27 के अधीन प्रतिदाय के लिए दावा के रूप में समझी जाएगी।

(4) उचित अधिकारी,--

(क) समुचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर होगा चयनित मामलों में उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की गई पुनरीक्षित प्रविष्टि और किए गए स्वत: निर्धारण का सत्यापन कर सकेगा ;

नई धारा 18क का अंत:स्थापन । निकासी पश्च् प्रविष्टि का स्वैच्छिक प्नरीक्षण ।

- (ख) जहां उपधारा (2) के अधीन स्वतः निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय श्ल्क का प्नः निर्धारण कर सकेगा ।
- (5) इस धारा के अधीन प्रविष्टि का पुनरीक्षण निम्नलिखित मामलों में नहीं किया जाएगा,--
 - (क) वे मामले, जहां अध्याय 12क के अधीन कोई संपरीक्षा या अध्याय 13 के अधीन तलाशी, अभिग्रहण या समन कार्यवाही आरंभ कर दी गई है और संबंधित आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को सूचित कर दिया गया है;
 - (ख) प्रतिदाय की अपेक्षा वाले मामलें, जहां उचित अधिकारी ने धारा 17 के अधीन शुल्क का पुन: निर्धारण किया है या धारा 18 के अधीन या धारा 84 के अधीन शुल्क का निर्धारण किया है ;
 - (ग) कोई अन्य मामला, जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।"।
- 89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 27 का संशोधन ।

"स्पष्टीकरण 2--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन प्रतिदाय के दावा या धारा 149 के अधीन दस्तावेजों के संशोधन के मामले में एक वर्ष की परिसीमा की अविध की संगणना ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से की जाएगी।"।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 28 का संशोधन ।

"(खक) उस दशा में, जहां शुल्क धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन संदत्त किया जाता है, वहां शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख ;"।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क में,--

धारा 127क का संशोधन ।

- (i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(घक) "अंतरिम बोर्ड" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31क के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;";
- (ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--
 - '(ङक) "लंबित आवेदन" से धारा 127ख के अधीन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--
 - (i) इसे धारा 127ग के अधीन अनुज्ञात किया गया है ; और

1944 का 1

(ii) धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।'।

धारा 127ख का संशोधन । 92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परंत्क अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के अधीन कोई आवेदन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि अंतरिम बोर्ड के गठन की तारीख से ही, बोर्ड द्वारा प्रत्येक लंबित आवेदन उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगा, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन उसके गठन के ठीक पूर्व विद्यमान था ।"।

धारा 127ग का संशोधन । 93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नितिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

'(11) 1 अप्रैल, 2025 से ही,--

- (क) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (8क) के उपबंध, लंबित आवेदनों को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि "समझौता आयोग", शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरिम बोर्ड", शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (3) में, "आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे:
- (ग) उपधारा (7) में, "न्यायपीठ", शब्द के स्थान पर, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;
- (घ) उपधारा (10) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे गए हों।
- (12) अंतरिम बोर्ड, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31क के अधीन उसके गठन की तारीख से तीन मास के भीतर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, उपधारा (8क) में निर्दिष्ट समय सीमा को, ऐसे गठन की तारीख से बारह मास से अनिधक की और अविध के लिए बढ़ा सकेगा ।'।

1944 का 1

धारा 127घ का संशोधन ।

- **94.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127घ की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(3) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति, अंतिरम बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाएगी और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सिहत, अंतिरम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।"।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :--

धारा 127च का संशोधन ।

- "(5) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सिहत, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।
- 96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127छ के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 127छ का संशोधन ।

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्य, अंतरिम बोर्ड द्वारा किए जाएंगे और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।"।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :--

धारा 127ज का संशोधन ।

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के सभी उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

98. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का,--

पहली अनुसूची का संशोधन ।

- (क) दूसरी अन्सूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;
- (ख) 1 मई, 2025 से, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1944 का 1

99. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 में,-- धारा 31 का संशोधन ।

- (i) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(ङक) "अंतरिम बोर्ड" से धारा 31क के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;';
- (ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(चक) "लंबित आवेदन" से धारा 32ङ के अधीन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

- (i) इसे धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन अनुजात किया गया है ; और
- (ii) धारा 32च की उपधारा (5) के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।'।

नई धारा 31क का अंतःस्थापन ।

100. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अंतरिम समझौता बोर्ड ।

"31क. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, लंबित आवेदनों के निपटान के लिए एक या अधिक अंतरिम समझौता बोर्ड, जो आवश्यक हों, गठित करेगी:

परंतु अंतरिम बोर्ड के गठन की तारीख से ही, प्रत्येक लंबित आवेदन बोर्ड द्वारा उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन उसके गठन के ठीक पूर्व विद्यमान था ।

- (2) प्रत्येक अंतरिम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें प्रत्येक मुख्य आयुक्त या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुक्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।
- (3) यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्य, किसी प्रश्न पर राय में भिन्नता रखते हैं तो वह प्रश्न बह्मत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा ।
- (4) अंतरिम बोर्ड की सहायता, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।"।

धारा 32 का संशोधन । 101. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के अधीन इस प्रकार गठित समझौता आयोग, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा ।"।

धारा 32क का संशोधन । 102. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क की उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित परंत्क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32ख का संशोधन । 103. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"। 104. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ग में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 32ग का संशोधन ।

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32घ में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 32घ का संशोधन ।

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

106. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परंत्क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 32ङ का संशोधन ।

"परंतु कोई आवेदन इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

धारा 32च का संशोधन ।

'(11) 1 अप्रैल, 2025 से ही,--

- (क) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, लंबित आवेदनों को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (3) में, "आदेश की तारीख से सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) उपधारा (7) में, "न्यायपीठ" शब्द के स्थान पर, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे :
- (घ) उपधारा (10) के उपबंध इसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड" शब्द रख दिए गए हों।
- (12) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतरिम बोर्ड, धारा 31क के अधीन उसके गठन की तारीख से तीन मास के भीतर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय-सीमा को, ऐसे गठन की तारीख से बारह मास से अनिधिक की और अविध के लिए बढ़ा सकेगा।'।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32छ की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 32छ का संशोधन ।

"(3) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"। धारा 32झ का संशोधन ।

- 109. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32झ की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(5) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ञ का संशोधन ।

110. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ज के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।"।

धारा 32ट का संशोधन ।

- 111. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :--
 - "(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ठ का संशोधन ।

- 112. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ठ की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।"।

धारा 32ड का संशोधन । 113. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सिहत, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।"।

धारा 32ण का संशोधन । 114. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सिहत, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32त का संशोधन । 115. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32त में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-- "परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सिहत, अंतिरम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

केंद्रीय माल और सेवा कर

2017 का 12

116. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

धारा 2 का संशोधन ।

2017 का 13

- (i) खंड (61) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;
 - (ii) खंड (69) में,--
 - (क) उपखंड (ग) में "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,--

- (क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से जात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;
- (ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;';
- (iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
 - '(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है ;'।
- 117. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन । धारा 13 का संशोधन । 118. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 क संशोधन ।

- 119. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में,--
 - (i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;
 - (ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण 2--खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।'।

धारा 20 का संशोधन ।

- 120. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,--
- (i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

2017 का 13

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

2017 का 13

धारा 34 का संशोधन । 121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि--

- (i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

धारा 38 का संशोधन ।

- 122. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में,--
- (i) उपधारा (1) में "स्वत: सृजित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "कोई विवरण" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) उपधारा (2) में,--

- (क) "के अधीन स्वतः जिनत विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (ग) खंड (ख) में, "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, "जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण भी सम्मिलित हैं" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्निलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।"।
- 123. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "रीति और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 39 का संशोधन ।

124. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 107 का संशोधन ।

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो ।"।

125. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंत्क अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 112 का संशोधन ।

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो ।"।

126. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

नई धारा 122ख का अंतःस्थापन।

"122ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ।"।

खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति ।

127. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

नई धारा 148क का अंत:स्थापन। कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि ।

- "148क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,--
 - (क) माल ;
- (ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,
- को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
 - (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,--
 - (क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पह्ंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी;
 - (ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिहनांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।
 - (3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति,--
 - (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाएगा ;
 - (ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा ;
 - (ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अविध और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सिम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा;
 - (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा.

जो विहित की जाए ।"।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

- 128. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में,--
- (i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 ज्लाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्--
 - "(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति ;";
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, "पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए" शब्दों और अंक के स्थान पर, "पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण 3--पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन" "मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।'।

129. सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता, यदि धारा 13 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती ।

2005 का 28

संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं ।

सेवा कर

- 130. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की धारा 66, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 से पूर्व विद्यमान थी, या उक्त अधिनियम के उक्त अध्याय की धारा 66ख, जैसी वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उक्त अध्याय के लोप से पूर्व विद्यमान थी, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 के साथ समाप्त होने वाली (जिसमें दोनों दिन सिम्मिलित हैं) की अविध के दौरान मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन पुनः बीमा के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए करार की गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा या संग्रहीत नहीं किया जाएगा।
- (2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा जिसे संग्रहीत किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त नहीं हुई होती :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से छह मास की अविध के भीतर किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2025 को राष्ट्रपित की अनुमित प्राप्त हो जाती है।

(3) उक्त अध्याय के लोप के होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन भूतलक्षी रूप से प्रतिदाय को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अध्याय सभी तात्विक समय पर प्रवृत रहा था ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

131. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2025 से "2025" अंकों के स्थान पर, "2027" अंक रखे जाएंगे।

मौसम आधारित फसल स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पुनः बीमा सेवाओं संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध ।

2002 के अधिनियम सं0 58 का संशोधन ।

भाग 2

सरकारी प्रतिभृति अधिनियम, 2006 का संशोधन

सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके प्रबंध से संबंधित विधि को संशोधित करना समीचीन है;

और "राज्य का लोकऋण" की विषय-वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, हिरयाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा संकल्प पारित किए गए हैं कि उपरोक्त राज्यों में पूर्वोक्त विषयों का विनियमन संसद् की विधि द्वारा किया जाना चाहिए।

इस भाग का लागू होना ।

- 132. (1) यह भाग प्रथमत: संपूर्ण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा और वह ऐसे अन्य राज्यों को भी लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त संकल्प पारित करके इस भाग का अंगीकार करते हैं।
- (2) यह आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पिश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को तुरंत लागू होगा और ऐसे किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन करके इस भाग का अंगीकार करता है, इस प्रकार अंगीकार किए जाने की तारीख को लागू होगा और इस भाग में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस भाग के किसी राज्य को लागू होने के संबंध में प्रतिनिर्देश से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको यह भाग ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत होता है।

प्रस्तावना का संशोधन । 133. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना के पैरा 3 में, "जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल के सिवाय, सभी राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में" शब्दों के स्थान पर, "सभी राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 1 का संशोधन ।

- 134. मूल अधिनियम की धारा 1 में,--
- (i) उपधारा (3) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सभी राज्यों को और सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होता है और यह जम्मू-कश्मीर राज्य को भी, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अंगीकार करे," शब्दों, अंको और कोष्ठकों के स्थान पर, "सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ii) उपधारा (4) में,--
 - (क) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

2006 朝 38

(ख) "और जम्मू कश्मीर राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकृत करे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

135. मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में,--

धारा 2 का संशोधन ।

- (i) "किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ii) "और धारा 3 में वर्णित रूपों में से किसी एक रूप में है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- 136. मूल अधिनियम की धारा 3 में, "ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

137. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के अंत में आने वाले, "आदेश को प्रभावित नहीं करेगी।" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत धारा 2 के खंड (च) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की अंतरणीयता पर किसी निर्वधन को प्रभावित करने के रूप में समझा जाएगा।" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन ।

138. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 31 का संशोधन ।

139. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "और वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 32 का संशोधन ।

1944 का 18

140. (1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित किया जाता है।

1944 के अधिनियम सं0 18 का निरसन और व्यावृति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरिसत अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शिक्त का प्रयोग करते हुए की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को इस प्रकार इस भाग द्वारा यथासंशोधित सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी, मानो उक्त अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था, जिसको ऐसी कोई बात या कार्रवाई की गई थी।

2006 का 38

2006 का 38

(3) निरिसत अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को, जो इस भाग के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अधीन बैंक द्वारा बनाए गए विनियम समझा जाएगा।

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन घोषणा

2023 का 50

यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 98 के उपखंड (क) के उपबंध अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे ।

पहली अन्सूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त क्ट्ंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- क्छ नहीं ; (1) जहां क्ल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है
- (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंत् 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है

उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां क्ल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंत् 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है

12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है

1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे क्ल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंत् अस्सी वर्ष से कम आय् का है-

आय-कर की दरें

- (1) जहां क्ल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं क्छ नहीं ; है
- (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय किंत् 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है

3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 किंत् 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है

प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हे

1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे क्ल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है-

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं कुछ नहीं ; 눍
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है

उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे क्ल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती

(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक 1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 है ।

प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त क्ट्ंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,-

- (क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलत है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंत् एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;
- (ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112) और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंत् दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
- (ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112) और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलत नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंत् पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
- (घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और
- (ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से.

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,-

- (क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;
- (ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;
- (ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;
- (घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;
- (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत 20,000 रुपए से अधिक नहीं है जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,--

- (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;
- (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है:

परंतु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- देशी कंपनी की दशा में,—
 - (i) जहां पूर्ववर्ष 2022-2023 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां कुल आय का 25 चार अरब रुपए से अधिक न हो प्रतिशत ;
 - (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय कुल आय का 30 प्रतिशत ।
- II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-
 - (i) क्ल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है, 50 प्रतिशत ;
 - (क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या
 - (ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समृत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

- (i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,-
- (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

- (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,-
- (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और
- (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है:

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

आय-कर की दर

- 1. कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में,-
 - (क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—
 - (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
 - (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य 30 प्रतिशत ; खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर
 - (iii) घ्ड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
 - (iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
 - (v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर 2 प्रतिशत ;
 - (vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर— 10 प्रतिशत ;

- (अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;
- (आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं;
 - (इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vii) किसी अन्य आय पर

10 प्रतिशत ;

- (ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,-
 - (i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,-
 - (अ) विनिधान से किसी आय पर

20 प्रतिशत ;

12.5 प्रतिशत ;

20 प्रतिशत ;

20 प्रतिशत ;

- (आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाओं के रूप में आय पर
- (इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के 12.5 प्रतिशत ; रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर
- (ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) 12.5 प्रतिशत ; और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर
- (3) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों 20 प्रतिशत ; के रूप में आय पर
- (ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)
- (ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा

115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

20 प्रतिशत ;

20 प्रतिशत ;

30 प्रतिशत ;

- (ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर
- (ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर
- (ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर
 - (औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
 - (अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर 30 प्रतिशत ;
- (अ:) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड 10 प्रतिशत ; (अ) के परंत्क में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर
- (र) उपमद (ख)(i)(अ:) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश 20 प्रतिशत ; के रूप में आय पर
 - (ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-
- (अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार 20 प्रतिशत ; लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)
- (आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए 20 प्रतिशत ; गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय

समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

- (इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सिम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर
- (ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए 20 प्रतिशत ; किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत औद्योगिक नीति में सिम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर
- (3) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य 30 प्रतिशत ; खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर
 - (ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

20 प्रतिशत ;

(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय

- 30 प्रतिशत ;
- (ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर
- 20 प्रतिशत ;
- (ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर
- 12.5 प्रतिशत ;

12.5 प्रतिशत ;

- (ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक अन्य आय पर
- 12.5 प्रतिशत ;
- (औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाओं के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]
- (अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के 10 प्रतिशत ; परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर

(अ:) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के 20 प्रतिशत ; रूप में आय पर

(र) अन्य सम्पूर्ण आय पर

30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,-

- (क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,-
 - (i) "प्रतिभृतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 1

10 प्रतिशत ;

- (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर
- 30 प्रतिशत ;

(iii) घ्ड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

(iv) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय

30 प्रतिशत ;

(v) किसी अन्य आय पर

10 प्रतिशत ;

- (ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,-
 - (i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

(ii) घ्ड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर

- 30 प्रतिशत ;
- (iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर
- 30 प्रतिशत ;

20 प्रतिशत ;

- (iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)
- 20 प्रतिशत ;
- (v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समृत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समृत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समृत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है
- (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अन्सरण में, और जहां ऐसा करार किसी

भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो मद (ख)(v) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—

- (अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 50 प्रतिशत ; अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है
- (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया 20 प्रतिशत ;
- (vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत औद्योगिक नीति में सम्मिलत विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—
 - (अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 50 प्रतिशत ; अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है
 - (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया 20 प्रतिशत ;
- (viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों 20 प्रतिशत ; के रूप में आय पर
- (ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) 12.5 प्रतिशत ; में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर
- (x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के 12.5 प्रतिशत ; रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर
- (xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 12.5 प्रतिशत ; जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]
- (xii) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड 10 प्रतिशत ; (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट, लाभांश के रूप में आय पर
- (xiii) मद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप 20 प्रतिशत ; में आय पर
 - (xiv) किसी अन्य आय पर 35 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,-

(i) इस भाग की मद 1,-

- (क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्ति-निकाय की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—
 - 1. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;
 - II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
 - III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
 - IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय- कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से : और
 - V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

- (ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,-
- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;
- II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ग) किसी व्यक्तियों के संगम, जो अनिवासी है, और उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,—
 - जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;
 - II. जहां संदत या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;
- (घ) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

- (ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—
 - (क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;
 - (ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकग या धारा 115खकघ या धारा 115खकड या धारा 115खख या धारा 115खंखक या धारा 115खंखग या धारा 115खंखङ या धारा 115खंखच या धारा 115खंखंछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखज या धारा 115ङ या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :-

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है
- कुछ नहीं ;

हो जाती है ;

- (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंत् 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंत् 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है
- उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक
- 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक कुछ नहीं ; नहीं है
- (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है

उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

10,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

1,10,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक कुछ नहीं ; नहीं है
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंत् 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है
- (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है

उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

- (क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सिम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;
- (ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सिम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

- (ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;
- (घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;
- (ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलत है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सिम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,-

- (क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;
- (ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;
- (ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है; और
- (घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं कुल आय का 10 प्रतिशत ; है
- (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है 1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
 - (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

- (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;
- (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है:

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्त् ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी क्ल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- देशी कंपनी की दशा में,—
- (i) जहां पूर्ववर्ष 2023-2024 में उसका क्ल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक नहीं है

क्ल आय का 25 प्रतिशत ;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न

क्ल आय का 30

प्रतिशत ।

- II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-
- (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,–

- (क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या
- (ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) क्ल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

- (i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,-
- (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और
- (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;
- (ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,-
- (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और
- (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिकय में है:

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं।

नियम 2-आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न], धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवासगृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4-इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में-

- (क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;
- (ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति म्जरा नहीं की जाएगी।

नियम 7-राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (ii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (iii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या

- 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;
- (iv) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से स्संगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति म्जरा नहीं की गई है;
- (v) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (vi) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (vii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (viii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,
- 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।
- (2) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अविध की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अविध में, कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—
 - (i) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

- (ii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (iii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (iv) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से स्संगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति म्जरा नहीं की गई है;
- (v) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (vi) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (vii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;
- (viii) 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,
- 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।
- (3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।
- (4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018

(2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मृजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9-जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10-आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11-निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनयम के अधीन हैं।

दूसरी अनुसूची

[धारा 98(क) देखिए]

पहली अनुसूची का संशोधन । सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

1975 का 51

- (i) अध्याय 60 में, टैरिफ मद 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 और 6006 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8528 59 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची [धारा 98(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

| टैरिफ मद | माल का वर्णन | इकाई | शुल्क | की दर |
|----------|--------------|------|-------|---------|
| | | | मानक | अधिमानी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

- (1) अध्याय 10 में,--
 - (i) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'अनुपूरक टिप्पण :

- 1. टैरिफ मद 1006 30 11 और 1006 30 91 के प्रयोजनों के लिए, "चावल, भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) मान्यताप्राप्त" माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) रजिस्ट्री द्वारा परिभाषित और मान्यताप्राप्त चावल की किस्मों को निर्दिष्ट करता है।';
- (ii) शीर्ष 1006 में, उपशीर्ष 1006 30, टैरिफ मद 1006 30 10 से 1006 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

| "1006 30 | - | अर्ध कूटा गया या पूर्ण कूटा गया चावल, चाहे पालिश किया गया या चमकाया गया है या नहीं : | | | |
|------------|---|---|----------|-----|-----|
| | | उसा हुआ : | | | |
| 1006 30 11 | | चावल, भौगोलिक उपदर्शन मान्यताप्राप्त | कि.ग्रा. | 70% | - |
| 1006 30 12 | | बासमती चावल | कि.ग्रा. | 70% | - |
| 1006 30 19 | | अन्य | कि.ग्रा. | 70% | - |
| | | अन्य : | | | |
| 1006 30 91 | | चावल, भौगोलिक उपदर्शन मान्यताप्राप्त | कि.ग्रा. | 70% | - |
| 1006 30 92 | | बासमती चावल | कि.ग्रा. | 70% | - |
| 1006 30 99 | | अन्य | कि.ग्रा. | 70% | -"; |

- (2) अध्याय 15 में, टैरिफ मद 1520 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।
 - (3) अध्याय 20 में,-
 - (i) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'अनुपूरक टिप्पण :

1. टैरिफ मद 2008 19 21 से 2008 19 29 के प्रयोजनों के लिए, "मखाना" पद से यूरेल फेरोक्स सेलिस्ब पौधे का बीज अभिप्रेत है और यह सामान्यत: गोरगोन नट या मखाना के नाम से भी जाना जाता है ।';

(ii) शीर्ष 2008 में, टैरिफ मद 2008 19 20 से 2008 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

| | " | मखाना : | | | |
|------------|---|--|----------|------|-----|
| 2008 19 21 | | तड़का लगा हुआ | कि.ग्रा. | 150% | - |
| 2008 19 22 | | आटा और चूर्ण | कि.ग्रा. | 150% | - |
| 2008 19 29 | | अन्य | कि.ग्रा. | 150% | - |
| | | अन्य : | | | |
| 2008 19 91 | | अन्य भुने हुए काष्ठफल और बीज | कि.ग्रा. | 150% | - |
| 2008 19 92 | | अन्य दृढ़फल, अन्यथा निर्मित या परिरक्षित | कि.ग्रा. | 150% | - |
| 2008 19 93 | | अन्य भुने हुए और तले हुए वनस्पति उत्पाद | कि.ग्रा. | 30% | - |
| 2008 19 99 | | अन्य | कि.ग्रा. | 30% | -"; |

- (4) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2515 11 00, 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90, 2516 11 00 और 2516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (5) अध्याय 26 में,--
 - (i) टैरिफ मद 2603 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (ii) टैरिफ मद 2605 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी:
 - (iii) टैरिफ मद 2609 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (iv) टैरिफ मद 2611 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी:
 - (v) शीर्ष 2613 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (vi) शीर्ष 2615 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (vii) टैरिफ मद 2617 10 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (6) अध्याय 27 में,--
 - (i) शीर्ष 2710 में, टैरिफ मद 2710 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2710 91 -- जिसमें बहु कलोरीनेटित बाइफिनायल (पीसीबी) बहुक्लोरिनेटित टरिफनायल (पीसीटी), बहुबोरोनेटित बाइफिनायल (पीबीबी) को अंतर्विष्ट है :

2710 91 10 --- जिसमें 50 मिलिग्राम/किलोग्राम या अधिक के सांद्र स्तर पर बहु कि.ग्रा. 5% कलोरीनेटित बाइफिनायल (पीसीबी) अंतर्विष्ट है

2710 91 20 --- अन्य, जिसमें बहुक्लोरिनेटित टरिफनायल (पीसीटी) या कि.ग्रा. 5% बहुबोरोनेटित बाइफिनायल (पीबीबी) है, चाहे 50 मिलिग्राम/ किलोग्राम से कम के सांद्र स्तर पर बहु कलोरीनेटित बाइफिनायल भी अंतर्विष्ट है या नहीं

2710 91 90 --- अन्य

कि.ग्रा. 5% -":

- (ii) टैरिफ मद 2711 12 00 और 2711 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) उपशीर्ष 2711 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (7) अध्याय 28 में,-
- (i) टैरिफ मद 2809 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ii) टैरिफ मद 2810 00 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) शीर्ष 2812 में, टैरिफ मद 2812 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) उपशीर्ष 2813 में, टैरिफ मद 2813 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2813 90 30 --- चूना सल्फर

कि.ग्रा. 7.5% -'

(v) शीर्ष 2853 में, टैरिफ मद 2853 90 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"2853 90 50 --- मैग्निशियम फास्फाइड प्लेट, जिंक फास्फाइड

कि.ग्रा. 7.5% -"

- (8) अध्याय 29 में,-
 - (i) अनुपूरक टिप्पण के स्थान पर, निम्निलखित अनुपूरक टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'अनुपूरक टिप्पण :

1. टैरिफ मद 2906 11 10 के प्रयोजनों के लिए "प्राकृतिक मेन्थोल" पद से जैविक यौगिक (सी₁₀एच₂₀ओ) अभिप्रेत है, जिसे जापानी किस्म के पुदीना तेल या मेन्था आर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मेन्थोल पुदीना के आसवन से प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत किसी रासायनिक मार्गों के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाए गए जापानी किस्म के पुदीना तेल या मेन्था आर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मेन्थोल पुदीना नहीं है।

- टैरिफ मद 2916 39 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 2916 39 के निम्नित्सित माल में से कोई माल आता है :
 अल्फानैफ्थाइल ऐसिटिक अम्ल, साइक्लेनीलाइड, क्रेसोक्सिम मिथायल, मेटोफ्लूथाइन, परमेथ्रीन, रेनोफ्लूथाइन, ट्रांसफ्लूथाइन ।
- 3. टैरिफ मद 2918 99 30 के अंतर्गत उपशीर्ष 2918 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है : 2,4-डी अमाइन लवण, 2,4-डी- इथाएल एस्टर, 2,4-डी सोडियम लवण, 2,4-डाईक्लोरोफेनोक्सी ऐसिटिक अम्ल, प्रोहेक्साडाइन कैल्शियम, एस-बायोऐलेथ्रीन, सोडियम ऐसिफ्लोरेफेन ।
- 4. टैरिफ मद 2924 19 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 19 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है : बेन्डियोकार्ब, कार्बोक्सीन, क्लोरप्रोफेम, फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी), फ्लुजियानडोलीजायन, मेथोमाइल, मेटोलेचलर, प्रोपैमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड, थायोडाइकार्ब ।
- 5. टैरिफ मद 2924 21 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 21 के निम्नित्सित माल में से कोई माल आता है : बाइफेनेजेट, कार्बोसलफान, साइफ्लूफेनामाइड, फेनोक्सानाइल, फ्लूफेनोक्सरैन, इपफेनकार्बाजोन, लूफेन्रोन, मेटाफ्लूमाइजोन, मेटसल्फ्यूरोन मिथायल, नोवाल्यूरोन, आर्थीसल्फाम्यूरोन, पैनसीक्यूरोन, सल्फोसल्फय्रोन, टैफलूबैनजूरोन, ट्रायफामोन, ट्रायसल्फ्यूरोन, ट्राइफलोक्सीसल्फयूरोन सोडियम ।
- 6. टैरिफ मद 2924 29 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 29 के निम्निलिखित माल में से कोई माल आता है : प्रेटीलाचलर (आईएसओ), एनिलोफोस, बेनालैक्साइल, बेनालैक्साइल एम, ब्रोफ्लानिलाइड, बुटाक्लर, कारप्रोपामाइड, साइक्लानीलिप्रोल, डाइफ्लूबेनजूरोन, डाइमेथेनामाइड-पी, डाइयूरन, फ्लूएक्सामेटामाइड, आइप्रोवालीकार्ब, मैन्डीप्रोपामाइड, मेटालैक्सायल-एम, प्रोपानिल, प्रोपोक्सर, पायडाईफ्लूमेटोफैन ।
- 7. टैरिफ मद 2926 90 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2926 90 के निम्नित्खित माल में से कोई माल आता है : अल्फासाइपरमेथ्रीन, बेटा साइफ्ल्थ्रीन, क्लोरोथालोनिल, साइफ्ल्य्य्मेटोफैन, साइफ्ल्थ्रीन, साइहलोफोप-बुटाइल, साइमोक्सानिल, साइफैनोथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन (डेकामेथ्रीन), डाइथायनॉन, फेनप्रोपाथ्रीन, फेनवैसलेरेट, फ्ल्वेलाइनेट, हाइड्रोजन सायनामाइड, लैमब्डासाइहैलोथ्रीन, माइक्लोबुटानिल।
- 8. टैरिफ मद 2930 20 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2930 20 के निम्निलिखित माल में से कोई माल आता है : कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आईएसओ), मैन्कोजैब, मेटिरैम, प्रोपाइनैब, थायोबेनकार्ब (बैनथायोकार्ब), ट्रायलैट, जीराम ।
- 9. टैरिफ मद 2930 90 92 के अंतर्गत उपशीर्ष 2930 90 के निम्निलिखित माल में से कोई माल आता है : ऐसेफेट (आईएसओ), फोरैट (आईएसओ), कैप्टन, क्लेथोडिम, डाइफैन्थाइरोन, इथायोन, मालाथायोन, ऑक्सीडेमेथाइन-मिथायल, फेन्थोयोएट, प्रोफेनोफोस, टेमफोस, थायोफेनेट-मिथायल ।
- 10. टैरिफ मद 2932 20 30 के अंतर्गत उपशीर्ष 2932 20 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है : ब्रोडिफाकोयम, ब्रोमाडायोलोन, कोयमाचलोर, कोयमाटेट्राल्यल, फ्लोकोयमाफेन, मिल्बेमेस्टिन, स्पिरोमेसिफेन ।
- 11. टैरिफ मद 2933 19 92 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 19 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है : सीएनोपाइराफेन, फेनपाइरोक्सीमेट, फिप्रोनिल, फ्लुक्सापयरोक्सद, पैनफ्लूफेन, पाइराक्लोस्ट्रोबिन, पाइरोक्सासलफोन, टेट्रोनिलिप्रोल, टोलफेनपाइराद, टोप्रामेजोन ।
- 12. टैरिफ मद 2933 29 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 29 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

आइमिदाक्लोप्रिड (आईएसओ), फेनामाइडान, आइमेजामोक्स, आइमिप्रोथीन, आइप्रोडाइने, प्रोक्लोराज ।

13. टैरिफ मद 2933 31 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 31 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेनजाइल, फ्लुरोक्सीपायर मेपटायल, हैलोक्सीफेन-मिथायल, हैलोक्सीफोप-आर-मिथायल, पैराक्वैट डायक्लोराइड, पायरीफ्लूक्यैनेजोन, ट्राइक्लोपायर अम्ल, ट्राइक्लोपायर बटोटायल ऐस्टर ।

14. टैरिफ मद 2933 39 23 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 39 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

एफाइडोपायरोपेन, बोसकालिड, क्लोपायरिफोस, क्लोपायरिफोस मिथायल, क्लोडिनाफाप-प्रोपाजाइल, सियानट्रानिलिप्रोल, फ्लोनिकमिड, फ्लोरपाइरोक्सिफेन-बेनजाइल, फ्लोरीफाप-पी-बुटायल, फ्लोपीकोलाइड, फ्लोपाइराम और उसके उपापचयी, फोरक्लोरफेनुरान, हैलोक्सीफोप-पी-मिथायल, पाइकोसीस्ट्रोबिन, पाइरिडलइयल, पायरोफेनोन, पायराइप्रोक्सीफेन, सलफोक्साफ्लोर ।

15. टैरिफ मद 2933 59 50 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 59 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बाइस्पायरिबैक-सोडियम (आईएसओ), एमेट्रोक्ट्राडिन, एजोक्सीस्ट्राबिन, बेन्जपाइरिमोक्सम, बुप्राइमेट, फ्लोरासलम, पोल्योक्सीन डी जिंक लवण, प्राइमीफास-मिथायल, पायरीबेनजोक्सीम, पायरीफटेलिड, पायरीथायोबैक सोडियम, ट्राइफ्लूमेजोपायरिम ।

16. टैरिफ मद 2933 69 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 69 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐमेट्राइन, ऐट्राजीन, कारफेनट्राजोन एथायल, साइप्रोकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, फ्लुसिलाजोल, हेक्साकोनाजोल, हेक्साजिनोन, इंडाजिफ्लेम, आयोडोस्लफ्यूरान मिथायल सोडियम, मेफेनट्राइफ्लूआकोनाजोल, मेटामिट्रोन, मेट्राईबुजिन, पैक्लोबुट्राजोल, प्रोपिकोनाजोल, पाइमेट्रोजिन (एफआई), टीआईएम, टेबुकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल, ट्रायाडिमेफेन, ट्रायाक्लाजोल, ट्राईटीकोनाजोल।

17. टैरिफ मद 2933 99 20 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

कारबेनडाजिम (आईएसओ), बाइटरटनॉल, क्लोरफेनापायर, क्लोरफ्लुआजुरॉन, फेनाक्साप्रोप-पी-एथायल, फ्ल्फेनजाइन, फ्ल्पाइराडिफ्रॉन, पैनकोनाजोल, प्रोपाक्याजोफोप, क्यिजालोफोप-पी-टेफ्राइल, ट्रायाजोफॉस ।

18. टैरिफ मद 2934 99 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2934 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बेन्टाजोन, बाइक्स्लोजोन, क्लोमाजोन, डैजोमेट, डाइमेथोमोर्फ, एटोक्साजोल, फ्लुऐनसलफोन, फ्लुफेनासेट, फ्लुमियोक्साजिन, हैक्साथायाजोक्स, इनडोक्साकार्ब, आईसोसाइक्लोसीरम, ऑक्साडायरजिल, ऑक्साडायजॉन, फोसालॉन, पाइनाक्साडेन, थायक्लोप्रिड, थायोसाइक्लैम हाइड्रोजन ऑक्सालेट, वैलिफेनालेट ।

19. टैरिफ मद 2935 90 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2935 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐमिसलब्रोम, एजिम्सलफुरोन, बेनसलफुरोन मिथायल, क्लोरिमुरॉन एथायल, सायजोफैमाइड, साइजोफैमाइड, डाक्लोसुलैम, फ्लुसेटोसलफुरॉन, हैलोसलफुरॉन मिथायल, मिजोसलफुरॉन मिथायल, पैनोक्ससुलैम, पायराजोसलफुरॉन ईथायल, पायरोक्ससुलैम, सलफेनट्राजोन, सल्फोसल्फयूरोन, ट्रायफामोन, ट्रायसल्फ्यूरोन ।';

(ii) शीर्ष 2902 में, टैरिफ मद 2902 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2902 19 20 --- 1-मिथायल साइक्लोप्रोपेन

कि.ग्रा. 2.5% -";

(iii) शीर्ष 2903 में,-

(क) टैरिफ मद 2903 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- ट्राइक्लोरोएथेन :

 2903 19 21
 --- 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म)
 कि.ग्रा.
 5%

 2903 19 29
 --- अन्य
 कि.ग्रा.
 5%

 2903 19 40
 --- एथिलीन डायक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण
 कि.ग्रा.
 5%
 -";

(ख) टैरिफ मद 2903 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"2903 29 -- अन्य :

2903 29 10 --- डाइक्लोरोप्रोपीन और डाइक्लोरोप्रोपेन मिश्रण (डीडी मिश्रण) कि.ग्रा. 5% -

2903 29 90 --- अन्य कि.ग्रा. 5% -"

(ग) टैरिफ मद 2903 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2903 79 *-- अन्य :*

2903 79 10 --- *क्लोरोटेट्राफ्लूओरोइथेन्स* कि.ग्रा. 7.5%

2903 79 20 --- केवल फ्लोरीन और क्लोरीन वाली हैलोजेनेटेड मिथेन, इथैन या कि.ग्रा. 7.5% प्रोपेन के अन्य ट्यूत्पन्न

2903 79 30 --- *केवल फ्लोरीन और ब्रोमीन वाली हैलोजेनेटेड मिथेन, इथैन या* कि.ग्रा. 7.5% -

2903 79 90 --- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -"

प्रोपेन के व्यूत्पन्न

(घ) टैरिफ मद 2903 89 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"2903 89 *-- अन्य :*

2903 89 10 --- हैक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन्स (एचबीसीडी) कि.ग्रा. 7.5%

2903 89 90 --- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -":

(iv) शीर्ष 2905 में,-

(क) टैरिफ मद 2905 19 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- 3,3-डाइमेथिलब्यूटैन-2-ओएल (पिनाकोलायल एल्कोहल)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2905 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2905 19 20 --- ट्राइकोनटानॉल कि.ग्रा. 7.5% -";

(v) शीर्ष 2906 में, टैरिफ मद 2906 29 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"2906 29 30 ---डाइकोफोल कि.ग्रा. 7.5% -";

(vi) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 29 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

एक्विनोसिल. मेटामिफोप "2907 29 40 ---

कि.ग्रा. 7.5%

(vii) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2908 99 30 --- डाइनोकैप, मेपटायलडाइनोकोप, सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट

कि.ग्रा. 7.5%

(viii) शीर्ष 2909 में,--

(क) टैरिफ मद 2909 30 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"2909 30 13 ----इथोक्सीसलफ्रॉन, फैमोक्साडोन

कि.ग्रा. 7.5%

(ख) टैरिफ मद 2909 30 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

डेकाब्रोमोडाइफिनाइल इथर "2909 30 40 ---

कि.ग्रा. 7.5%

इथोफेनप्रोक्स (इटोफेनप्रोक्स), फोमेसफेन, ऑक्सीफ्लोरफेन 2909 30 50

कि.ग्रा. 7.5%

(ग) टैरिफ मद 2909 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,

एल्कोहल परऑक्साइड, इथर परऑक्साइड, एसिटल और "2909 60 हैमीएसिटल परऑक्साइड, कीटोन परऑक्साइड और उनके हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्यूत्पन्न :

2909 60 10 एमसीपीए, अमाइन लवण कि.ग्रा. 7.5%

2909 60 90 अन्य

अर्थात :-

कि.ग्रा. 7.5%

(ix) शीर्ष 2910 में, टैरिफ मद 2910 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2910 90 अन्य :

2910 90 10 इपाक्साकोनाजोल कि.ग्रा. 7.5%

2910 90 90 अन्य कि.ग्रा. 7.5%

(x) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

एल्डिहाइडों के चक्रीय पालीमर : "2912 50

2912 50 10 मेटाल्डिहाइड कि.ग्रा. 7.5%

2912 50 90 --- अन्य

कि.ग्रा. 7.5% -";

(xi) शीर्ष 2914 में,-

(क) टैरिफ मद 2914 29 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 29 60 --- पायरिडाबेन

कि.ग्रा. 7.5% -";

(ख) टैरिफ मद 2914 39 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2914 39 50 --- मेसोट्रिओन, मेट्राफेनोन

कि.ग्रा. 7.5%

(ग) टैरिफ मद 2914 69 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 69 30 --- स्पिनेटोरम, स्पिनोस**ड**

कि.ग्रा. 7.5% -

(घ) टैरिफ मद 2914 79 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 79 60 --- टेमबरेट्राइन

कि.ग्रा. 7.5% -";

(xii) शीर्ष 2915 में, टैरिफ मद 2915 90 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"2915 90 80 --- परफ्लोरोआक्टेनाइक अम्ल और उनके लवण

कि.ग्रा. 7.5% -";

(xiii) शीर्ष 2916 में,-

(क) टैरिफ मद 2916 19 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"--- अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किए गए असंतृष्त अचक्रीय मोनोअम्ल के ऐस्टर :

2916 19 51 ---- गोसीप्लूर

कि.ग्रा. 7.5%

2916 19 59 ---- अन्य

कि.ग्रा. 7.5% -";

- (ख) टैरिफ मद 2916 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- बाइफेनथ्रीन (आईएसओ), प्रैलइथ्रीन" प्रविष्टि रखी जाएगा ;
- (ग) टैरिफ मद 2916 31 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2916 31 70 --- डाडकाम्बा

कि.ग्रा. 7.5% -":

(घ) टैरिफ मद 2916 39 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2916 39 70 --- इस अध्याय के अनुप्रक टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5%

(xiv) शीर्ष 2917 में, टैरिफ मद 2917 19 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2917 19 80 --- आइसोप्रोथियोलेन

कि.ग्रा. 7.5% -";

(xv) शीर्ष 2918 में,-

(क) टैरिफ मद 2918 30 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"2918 30 60 --- डाइक्लोफोप-मिथायल, डी-ट्रांस एलेथ्रीन, पायरेथ्रीन (पायरेथ्रम) कि.ग्रा. 7.5% -";

(ख) टैरिफ मद 2918 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"2918 99 30 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% -" (xvi) उपशीर्ष 2920 में,—

(क) टैरिफ मद 2920 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2920 19 30 --- ऐडिफेनफोस, फेनिट्रोथीयॉन, इप्रोबेनफॉस (किटाजिन) कि.ग्रा. 7.5% -"

(ख) टैरिफ मद 2920 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2920 90 - *अन्य* :

2920 90 10 --- प्रोपरजाइट

कि.ग्रा. 7.5%

2920 90 90 --- अन्य

कि.ग्रा. 7.5% -"

(xvii) शीर्ष 2921 में,-

(क) उपशीर्ष 2921 19 में, टैरिफ मद 2921 19 10 और 2921 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्निलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"--- एन, एन-डाइएलिकल (मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) -2-क्लोरोएटायलमाइन्स और उनके प्रोटोनेटेड लवण :

2-क्लोरो एन, एन-डाइआईसोप्रोपायल इथिलअमीन 7.5% 2921 19 11 कि.ग्रा. 2-क्लोरो एन, एन-डाइमिथायल इथेनामाइन कि.ग्रा. 7.5% 2921 19 12 2921 19 19 अन्य कि.ग्रा. 7.5% क्लोर्मेक्वेट क्लोराइड (सीसीसी) कि.ग्रा. 2921 19 30 7.5%

(ख) टैरिफ मद 2921 41 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"2921 41 30 --- 6-बेनजिलऐडीनील, बेफ्ल्ब्टामिड

कि.ग्रा. 7.5% -";

(ग) टैरिफ मद 2921 42 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-"2921 42 50 ---फल्फ्लोरालीन, पैनडीमेथालीन, ट्राइफ्ल्रालीन कि.ग्रा. 7.5% -"; (घ) टैरिफ मद 2921 43 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-अन्य : 2921 43 91 इथाफ्ल्रालीन कि.ग्रा. 7.5% 2921 43 99 कि ग्रा 7.5% अन्य (xviii) शीर्ष 2922 में, टैरिफ मद 2922 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-एन. एन-डाइएलिकल (मिथायल. एथायल. एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) -2-एमिनो इथानोल और उनके प्रोटोनेटेड लवण 2922 19 11 एन, एन-डाइमिथायल-२-एमिनो इथानोल और इसके प्रोटोनेटेड कि.ग्रा. 7.5% लवण एन, एन-डाइएथील-2-एमिनो इथानोल और इसके प्रोटोनेटेड लवण कि.ग्रा. 2922 19 12 7.5% 2922 19 13 2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाइआईसोप्रोपायल इथिलअमीन कि.ग्रा. 7.5% 2922 19 19 कि.ग्रा. अन्य 7.5% (xix) शीर्ष 2924 में,-(क) टैरिफ मद 2924 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-"2924 19 अन्य : इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 4 में विनिर्दिष्ट माल 2924 19 10 कि.ग्रा. 7.5% 2924 19 90 अन्य कि.ग्रा. 7.5% -"; ---(ख) टैरिफ मद 2924 21 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया

जाएगा, अर्थात् :-

इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 5 में विनिर्दिष्ट माल "2924 21 40 कि.ग्रा. 7.5%

(ग) टैरिफ मद 2924 29 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण में 6 विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 2925 में, टैरिफ मद 2925 29 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"2925 29 20 डोडाइन कि.ग्रा. 7.5% -"; (xxi) शीर्ष 2926 में, टैरिफ मद 2926 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2926 90 - *अन्य* :
2926 90 10 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण ७ में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. ७.५% 2926 90 90 --- अन्य कि.ग्रा. ७.५% -":

(xxii) शीर्ष 2928 में, टैरिफ मद 2928 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2928 00 20 --- क्रोमेफेनोजाइड, मेथोक्साइफेनजाइड, ट्राइफ्लोक्साइट्रोबीन कि.ग्रा. 7.5% -";

(xxiii) शीर्ष 2929 में, टैरिफ मद 2929 90 10 से 2929 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"--- एन, एन-डाइएलिकल (मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) फोसफोरेमिडिक डाइहैलिडस :

| 2929 90 11 | एन, एन-डाइएथीलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
|------------|--|----------|------|---|
| 2929 90 12 | एन, एन-डाइआईसोप्रोपायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 13 | एन, एन-डाइप्रोपायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 14 | एन, एन-डाइमिथायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 19 | अन्य | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| | डाइएलिकल (मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) एन, एन-डाइएलिकल (मिथायल, एटायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) फोस्फोरैमिडेटस : | | | |
| 2929 90 21 | डाइएथील एन, एन-डाइमिथायलफोस्फोरैमिडेट | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 29 | अन्य | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 60 | फोसफोरेमिडिक अम्ल, डाइएथील, डाइमिथायलऐस्टर | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 70 | एन-(1-(डाइएलिकल (\leq सी $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) एमिनो)) एल्किलआइडिन (एच या \leq सी $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) फोस्फोनामिडिक फ्लोराइडस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2929 90 80 | ओ-ऐल्काइल (एच या \leq सी $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) एन- (1-(डाइएलिकल (\leq सी $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) एमिनो))एिल्किलआइडिन (एच या \leq सी $_{10}$, सिम्मिलित साइक्लोएलिकल) फोस्फोरेमाइडोफ्लोओराइडेटस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण | कि.ग्रा. | 7.5% | - |

कि.ग्रा. 7.5%

प्रोपेटैमफोस

2929 90 91

2929 90 99 ---- अन्य

कि.ग्रा. 7.5% -";

(xxiv) शीर्ष 2930 में,-

- (क) टैरिफ मद 2930 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 8 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ख) टैरिफ मद 2930 90 10 से 2930 90 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "--- थायोयूरिया (सल्फोयूरिया), मैथयोनाइन के कैल्शियम लवण, थायो सल्फोनिक अम्ल, एल-सिस्टिन (अल्फा-एमिनो बीटा-थाइओप्रोपाओनिक अम्ल)- एमिनो अम्ल अंतर्विष्ट करने वाला सल्फर, सल्फिनिक अम्ल, सल्फोक्साइड, मरकैप्टन, एल्लिल आईसोथायोसाइनेट :

| 2930 90 11 | थायोयूरिया (सल्फोयूरिया) | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
|------------|--|----------|------|---|
| 2930 90 12 | मैथयोनाइन के कैल्शियम लवण | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 13 | थायो सल्फोनिक अम्ल | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 14 | एल-सिस्टिन (अल्फा-एमिनो बीटा-थाइओप्रोपाओनिक | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| | अम्ल)-एमिनो अम्ल अंतर्विष्ट करने वाले सल्फर | | | |
| 2930 90 15 | सिल्फिनिक अम्ल | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 16 | सल्फोक्साइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 17 | मरकैप्टन | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 18 | एल्लिल आईसोथायोसाइनेट | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| | ओ, ओ-डाइएथील एस-[2- (डाइएथीलएमिनो)एटायल]फोस्फोरोथाओएट और इसके ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण : | | | |
| 2930 90 21 | फोस्फोरोथाओइक अम्ल, एस[2-(डाइएथील एमिनो) एथायल] ओ, ओ-डाइइथाएल एस्टर | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 29 | अन्य | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| | एन, एन-डाइएलिकल (मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) एमिनोइथैन-2-थायोल्स और उनके प्रोटोनेटेड लवण, सिवाय 2-(एन, एन-डाइमिथायलएमिनो) इथैनथायोल और 2-(एन, एन-डाइएथीलएमिनो) इथैनथायोल : | | | |
| 2930 90 31 | डाई-मिथायल एमिनो इथैनथायोल हाइड्रोक्लोराइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 32 | डाई-एथायल एमिनो इथैनथायोल हाइड्रोक्लोराइड | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 39 | अन्य | कि.ग्रा. | 7.5% | _ |

--- अन्य :

| 2930 90 91 | इथानोल, 2,2'-थायोबिस- | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
|------------|---|----------|------|-----|
| 2930 90 92 | इस अध्याय के अनुप्रक टिप्पण 9 में विनिर्दिष्ट माल | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 94 | जिसमें कोई फास्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2930 90 96 | ओ-एथायल एस-फिनायल इथायलफोस्फोनाथायोलोथायोनेट (फोनोफोस) | कि.ग्रा. | 7.5% | -"; |

(xxv) शीर्ष 2931 में,-

- (क) टैरिफ मद 2931 49 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- ग्लायफोसेट (आईएसओ), फोसैटायल-एल, ग्लुफोसिनेट अमोनियम, ग्लायफोसेट पोटाशियम लवण" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ख) टैरिफ मद 2931 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

| ઝવાત્ | - | | | | |
|-------------|-----|---|-----------|-----------|-------|
| "2931 49 40 | | बुटायल मिथायलफोस्फिनेट | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2931 49 50 | | बिस(1-मिथायलपैनटायल) मिथायलफोस्फोनेट | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| | | अन्य : | | | |
| 2931 49 91 | | जिसमें कोई फास्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2931 49 99 | | अन्य | कि.ग्रा. | 7.5% | -"; |
| अर्थात् | ` ' | मद 2931 59 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, | निम्नलिरि | वेत रखा ज | ाएगा, |
| "2931 59 | | अन्य : | | | |
| 2931 59 10 | | पी-ऐल्काइल (\leq C $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) एन-(1-(डाइएलिकल (\leq C $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) एमिनो))एल्किलआइडिन (एच या \leq C $_{10}$, साइक्लोएलिकल सिम्मिलित) फोस्फोनामिडिक फ्लोराइडस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटेड लवण | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| 2931 59 20 | | मिथायल-(बिस(डाइएथीलएमिनो)मिथायलीन) | कि.ग्रा. | 7.5% | - |
| | | फोस्फोनेमाइडोफ्लोराइडेट | | | |
| | | कोई फोस्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, | | | |

एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई

कि.ग्रा. 7.5% -

अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है :

इथेफोन

2931 59 31

कि.ग्रा. 7.5% 2931 59 39 ----अन्य 2931 59 90 कि.ग्रा. 7.5% -"; अन्य (xxvi) शीर्ष 2932 में,-(क) टैरिफ मद 2932 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-"2932 19 20 अजाडिरक्टा (नीम उत्पाद), बेनफ्रकार्ब, साइन मिथायलीन कि.ग्रा. 7.5% (ख) टैरिफ मद 2932 20 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 10 में विनिर्दिष्ट माल "2932 20 30 कि.ग्रा. 7.5% (ग) टैरिफ मद 2932 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इमामेक्टीन बेन्जोऐट (आईएसओ), एबेमक्टीन, डाइनोटेफ्य्रोन" प्रविष्टि रखी जाएगी ; (xxvii) शीर्ष 2933 में,-(क) टैरिफ मद 2933 19 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-"2933 19 92 इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 11 में विनिर्दिष्ट माल 7.5% (ख) टैरिफ मद 2933 29 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "---इस अध्याय के अनुपुरक टिप्पण 12 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ; (ग) टैरिफ मद 2933 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-"2933 31 पिरीडीन और उसके लवण : 2933 31 10 इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 13 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% 2933 31 90 अन्य कि.ग्रा. 7.5% (घ) टैरिफ मद 2933 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-पिपैरीडीन और इसके लवण : "2933 32 मैपीक्वैट क्लोराइड 2933 32 10 कि.ग्रा. 7.5% 2933 32 90 कि.ग्रा. 7.5% _": अन्य (ङ) टैरिफ मद 2933 39 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 14 में विनिर्दिष्ट माल

(च) टैरिफ मद 2933 39 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया

कि.ग्रा.

7.5%

"2933 39 23

जाएगा, अर्थात् :-

"2933 39 50 --- 1-[एन, एन-डाइएलिकल ($\leq C_{10}$) -एन-(एन-(हाइड्रोक्सिल, सायनो, कि.ग्रा. 7.5% - ऐसीटोक्सी) ऐल्काइल ($\leq C_{10}$)) अमोनिओ]-एन-[एन-(3- डाइमिथायलकारबामोक्सी- α -पिकोलीनाइल)-एन, एन-डाइएलिकल ($\leq C_{10}$) अमोनिओ] डीकेन डाइब्रोमाइड (एन=1-8)

2933 39 60 --- 1,एन-बिस [एन-(3-डाइमिथायलकारबामोक्सी-ए-पिकोलाइल)- कि.ग्रा. 7.5% -"; एन, एन-डाइएलिकल (≤C₁₀) अमोनिओ]-एलकैन-(2,(एन-1)- डायोन) डाइब्रोमाइड (एन=2-12)

(छ) टैरिफ मद 2933 41 00 और 2933 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2933 41 -- लेवोरफैनोल (आईएनएन) और इसके लवण :

फैनेजाक्वैन 2933 41 10 कि.ग्रा. 7.5% 2933 41 90 कि.ग्रा. 7.5% अन्य 2933 49 अन्य : 2933 49 10 क्यिजालोफोप एथायल कि.ग्रा. 7.5% 2933 49 90 कि.ग्रा. 7.5% अन्य

- (ज) टैरिफ मद 2933 59 10, 2933 59 20, 2933 59 30 और 2933 59 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (झ) टैरिफ मद 2933 59 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "2933 59 50 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% -";
 - (ञ) टैरिफ मद 2933 59 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (ट) टैरिफ मद 2933 69 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "2933 69 60 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% -";
 - (ठ) टैरिफ मद 2933 79 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "2933 79 30 --- स्पायरोटेट्राम<u>ै</u>ट

कि.ग्रा. 7.5% -";

(ड) टैरिफ मद 2933 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 17 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) शीर्ष 2934 में,-

(क) टैरिफ मद 2934 10 00 और 2934 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

यौगिक, जिनकी संरचना में असंगलित थियजोल वलय (चाहे "2934 10 वह हाइड्रोजेनेटित अंतर्विष्ट हो या नहीं) है : 2934 10 10 क्लोथिएनिडीन, औक्जाथायापीपरोलीन, थीफ्लुजामाइड, 7.5% कि.ग्रा. थायोमेथोक्सम कि.ग्रा. 7.5% 2934 10 90 अन्य यौगिक, जिनकी संरचना में बेनजोथियेजोल वलय प्रणालीय 2934 20 (चाहे वह हाइड्रोजेनेटित अंतर्विष्ट हो या नहीं), जो और संगलित नहीं है : 2934 20 10 मेथाबेनजथायाज्रॉन कि.ग्रा. 7.5%

2934 20 90 --- अन्य

कि.ग्रा. 7.5%

(ख) टैरिफ मद 2934 99 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2934 99 40 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 18 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% -"; (xxix) शीर्ष 2935 में,—

(क) टैरिफ मद 2935 50 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2935 50 20 --- सफ्ल्फेनासिल

कि.ग्रा. 7.5% -

(ख) टैरिफ मद 2935 90 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2935 90 40 --- इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 19 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 7.5% -"

(xxx) शीर्ष 2941 में, टैरिफ मद 2941 90 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2941 90 70 --- ओरियोफंनजिन, कैस्गामाइसीन, वैलीडामाइसीन कि.ग्रा. 7.5% -"

- (9) अध्याय 33 में, उपशीर्ष 3302 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (10) अध्याय 34 में, उपशीर्ष 3406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 38 में,-

(i) अनुपूरक टिप्पण 1 में, "आईएस-15981 के अनुरूप ऐसिटामिप्रिड (आईएसओ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'आईएस-15981 के अनुरूप ऐसिटामिप्रिड (आईएसओ) ; आईएस 18873 के अनुरूप एफाइडोपायरोपेन ; आईएस 15616 के अनुरूप अल्फासाइपरमेथ्रीन ; आईएस 14299 के अनुरूप अजाडिरक्टा (नीम उत्पाद) ; आईएस 14156 के अनुरूप बेटा साइफ्लूथ्रीन ; आईएस 14940 के अनुरूप कार्बोसलफान ; आईएस 8963 के अनुरूप क्लोपायिरफोस ; आईएस 15693 के अनुरूप क्लोपायिरफोस मिथायल ; आईएस 14156 के अनुरूप साइफ्लूथ्रीन ;

आईएस 15978 के अनुरूप साइफैनोथीन ; आईएस 12005 के अनुरूप डेल्टामेथीन (डेकामेथीन) ; आईएस 5278 के अनुरूप डाइकोफोल; आईएस 14185 के अनुरूप डाइफ्लूबेनजूरोन ; आईएस 13146 के अनुरूप डी-ट्रान्स एलेथीन ; आईएस 10369 के अनुरूप इथायोन ; आईएस 14249 के अनुरूप इथोफेनप्रोक्स (इटोफेनप्रोक्स) ; आईएस 634 के अनुरूप एथिलीन डायक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण ; आईएस 5280 के अनुरूप फेनिट्रोथीयॉन ; आईएस 15161 के अनुरूप फेनप्रोपाथीन ; आईएस 12003 के अनुरूप फेनवैलेरेट ; आईएस 18389 के अनुरूप फिप्रोनिल ; आईएस 13097 के अनुरूप प्लूवेलाइनेट ; आईएस 16921 के अनुरूप आइमिप्रोथीन ; आईएस 15984 के अनुरूप इनडोक्साकार्ब ; आईएस 14509 के अनुरूप लैमब्डासाइहैलोथीन ; आईएस 1832 के अनुरूप मालाथायोन ; आईएस 15614 के अनुरूप मथोमाइल ; आईएस 17125 के अनुरूप नोवाल्यूरोन ; आईएस 8258 के अनुरूप ऑक्सीडेमेथाइन-मिथायल ; आईएस 8293 के अनुरूप फेन्थायोरेट ; आईएस 8488 के अनुरूप फोसालॉन ; आईएस 13080 के अनुरूप प्राइमीफास-मिथायल ; आईएस 15238 के अनुरूप प्रोफेनोफोस ; आईएस 16141 के अनुरूप पायराइप्रोक्सीफेन ; आईएस 16674 के अनुरूप स्पिरोमेसिफेन ; आईएस 8701 के अनुरूप टेमफोस ; आईएस 16710 के अनुरूप थायक्लोप्रिड ; आईएस 16956 के अनुरूप थायोडाइकार्ब ; आईएस 15983 के अनुरूप थायोमेथोक्सम ; आईएस 14936 के अनुरूप ट्रायाजोफॉस ; आईएस 1251 के अनुरूप जिंक फोसफाइड ।';

- (ii) अन्प्रक टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - '2. टैरिफ मद 3808 91 42 में, उपशीर्ष 3808 91 के निम्निलिखित मालों में से कोई माल आता है :
- (क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : क्लोरेन्ट्रेनालपप्रोल (आईएसओ) ; ब्यूप्रोफेजिन (आईएसओ) ; फ्लुबेनडियामाइड (आईएसओ) ; इमामेक्टीन बेन्जोऐट (आईएसओ) ; एबेमक्टीन ; बेन्डियोकार्ब ; बेन्जुएकार्ब ; बेन्जपाइरिमोक्सम ; ब्रोफ्लानिलाइड ; क्लोरफेनापायर ; क्लोरफ्लुआजुरॉन ; क्रोमेफेनोजाइड ; क्लोथिएनिडीन ; सियानट्रानिलिप्रोल ; साइक्लानीलिप्रोल ; सीएनोपाइराफेन ; साइफ्ल्यूमेटोफैन ; डाइफेन्थाइरोन ; डाइनोटेफ्युरोन ; एटोक्साजोल ; फैनेजाक्वैन ; फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी) ; फेनपाइरोक्सीमेट ; फ्लोनिकिमिड ; फ्लूफेनोक्सरैन ; फ्लुफेनजाइन ; फ्लुपाइराडिफुरॉन ; फ्लूएक्सामेटामाइड ; हैक्साथायाजोक्स ; आईसोसाइक्लोसीरम ; लूफेन्र्रोन ; मेटाफ्लूमाइजोन ; मेटाल्डिहाइड ; मेथोक्साइफेनजाइड ; मेटोफ्लूथाइन ; मिल्बेमेस्टिन ; परमेथ्रीन ; प्रेलइथ्रीन ; प्रोपरजाइट ; प्रोपेटैमफोस ; प्रोपोक्सर ; पाइमेट्रोजिन (एफआई), टीआईएम ; पायरेथ्रीन (पायरेथ्रम) ; पायरिडाबेन ; पाइरिडलइयल ; पायरीफ्लूक्यैनेजोन ; रेनोफ्लूथाइन ; एस-बायोऐलेथ्रीन ; स्पिनेटोरम ; स्पिनोसड ; स्पायरोटेट्रामैट ; सलफोक्साफ्लोर ; टैफलूबैनजूरोन ; टोलफेनपाइराद ; ट्रांसफ्लूथाइन ; ट्राइफ्लूमेजोपायरिम ;
- (ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : टेट्रोनिलिप्रोल ; थायोसाइक्लैम ; हाइड्रोजन ऑक्सालेट ।';
- (iii) अनुपूरक टिप्पण 5 में, "आईएस-8445 के अनुरूप कारबेनडाजिम (आईएसओ)", शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आईएस-8445 के अनुरूप कारबेनडाजिम (आईएसओ) ; आईएस 13330 के अनुरूप बाइटरटनॉल ; आईएस 14251 के अनुरूप कैप्टन ; आईएस 13110 के अनुरूप कार्बिक्सीन ; आईएस 16706 के अनुरूप कारप्रोपामाइड ; आईएस 13132 के अनुरूप क्लोरोथालोनिल ; आईएस 1682 के अनुरूप कुपरस ऑक्साइड ; आईएस 15600 के अनुरूप साइमोक्सानिल ; आईएस 12944 के अनुरूप डाइथायनॉन ; आईएस 13784 के अनुरूप डोडिन ; आईएस 8954 के अनुरूप ऐडिफेनफोस ; आईएस 14549 के अनुरूप हेक्साकोनाजोल ; आईएस 13788 के अनुरूप इप्रोबेनफॉस (किटाजिन) ; आईएस 15163 के अनुरूप आइसोप्रोथियोलेन ; आईएस 8707 के अनुरूप मैन्कोजैब ; आईएस 13458 के अनुरूप मेटालैक्सायल-एम ; आईएस 15234 के अनुरूप पैनकोनाजोल ; आईएस 15241 के अनुरूप प्रोपिकोनाजोल ; आईएस 15165 के अनुरूप टेबुकोनाजोल ; आईएस 14551 के अनुरूप थायोफेनेट-मिथायल ; आईएस 13328 के अनुरूप ट्रायाडिमेफेन ; आईएस 15982 के अनुरूप ट्रायाक्लाजोल ; आईएस 17200 के अनुरूप वैलीडामाइसीन ; आईएस 3900 के अनुरूप जीराम ।";

(iv) अनुपूरक टिप्पण 7 में, "आईएस-12502 के अनुरूप ग्लायफोसेट (आईएसओ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'आईएस-12502 के अनुरूप ग्लायफोसेट (आईएसओ) ; आईएस 1827 के अनुरूप 2,4-डी अमाइन लवण ; आईएस 7233 के अनुरूप 2,4-डी- इथाएल एस्टर ; आईएस 1488 के अनुरूप 2,4-डी सोडियम लवण ; आईएस 13402 के अनुरूप एनिलोफोस ; आईएस 12932 के अनुरूप ऐट्राजीन ; आईएस 17847 के अनुरूप बेनसलफुरोन मिथायल ; आईएस 9356 के अनुरूप बुटाक्लर ; आईएस 15619 के अनुरूप क्लोरिमुरॉन एथायल ; आईएस 15409 के अनुरूप क्लोमाजोन ; आईएस 14938 के अनुरूप डाइक्लोफोप-मिथायल ; आईएस 8702 के अनुरूप डाइयूरन ; आईएस 15232 के अनुरूप फेनाक्साप्रोप-पी-एथायल ; आईएस 8958 के अनुरूप फलुफ्लोरालीन ; आईएस 15166 के अनुरूप ग्लुफोसिनेट अमोनियम ; आईएस 8494 के अनुरूप एमसीपीए, अमाइन लवण ; आईएस 11007 के अनुरूप मेथाबेनजथायाजुरॉन ; आईएस 15229 के अनुरूप मेटोलेचलर ; आईएस 13332 के अनुरूप मेट्राईबुजिन ; आईएस 15615 के अनुरूप मेटसल्फ्यूरोन मिथायल ; आईएस 16708 के अनुरूप ऑक्साडायरजिल ; आईएस 14934 के अनुरूप ऑक्सीफ्लोरफेन ; आईएस 12685 के अनुरूप पैनडीमेथालीन ; आईएस 8071 के अनुरूप प्रोपानिल ; आईएस 16212 के अनुरूप सल्फोसल्फयूरोन ; आईएस 12768 के अनुरूप थायोबेनकार्ब (बैनथायोकार्ब) ; आईएस 9357 के अनुरूप ट्रायलैट ।';

- (v) अनुपूरक टिप्पण 8 के स्थान पर, निम्निलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "8. टैरिफ मद 3808 93 62 में, उपशीर्ष 3808 93 के निम्निलिखित मालों में से कोई माल आता है :
 - (क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : बिसपायरीबैक सोडियम (आईएसओ) ; इमेजथपायर (आईएसओ) ; 2,4-डाईक्लोरोफेनोक्सी ऐसिटिक अम्ल ; ऐमेट्राइन ; एजिम्सलफुरोन ; बेफ्लुबुटामिड ; बेन्टाजोन ; बाइक्स्लोजोन ; कारफेनट्राजोन एथायल ; क्लोरप्रोफेम ; सीनमिथायलेन ; क्लेथोडिम ; क्लोडिनाफाप-प्रोपाजाइल ; साइहलोफोप-बुटाइल ; डैजोमेट ; डाइकाम्बा ; डाक्लोसुलैम ; डाइमेथेनामाइड-पी ; इथाफ्लुरालीन ; इथोक्सीसलफुरॉन ; फ्लोरासलम ; फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेनजाइल ; फ्लोरपाइरोक्सिफेन-बेनजाइल ; फ्लोरीफाप-पी-बुटायल ; फ्लुसेटो सलफुरॉन ; फ्लुफेनासेट ; फ्लुमियोक्साजिन ; फ्लुरोक्सीपायर मेपटायल ; फोमेसफेन ; ग्लायफोसेट पोटाशियम लवण ; हैलोक्सीफेन-मिथायल ; हैलोक्सीफोप-पी-मिथायल ; हैलोक्सीफोप-आर-मिथायल ; हैलोसलफुरॉन मिथायल ; हेक्साजिनोन ; आइमेजामोक्स ; इंडाजिफ्लेम ; आयोडोस्लफ्यूरान मिथायल सोडियम ; इपफेनकार्बाजोन ; मिजोसलफुरॉन मिथायल ; मेसोट्रिओन ; मेटामिफोप ; मेटामिट्रोन ; आर्थोसल्फाम्यूरोन ; ऑक्साडायजॉन ; पैराक्वैट डायक्लोराइड ; पैनोक्ससुलैम ; पाइनाक्साडेन ; प्रोपाक्याजोफोप ; पायराजोसलफुरॉन एथायल ; पायरीबेनजोक्सीम ; पायरीफटेलिड ; पायरीथायोबैक सोडियम ; पाइरोक्सासलफोन ; पायरोक्ससुलैम ; क्यालोफोप एथायल ; क्यालोफोप-पी-टेफुराइल ; सफ्लुफेनासिल ; सोडियम ऐसिफ्लोरेफेन ; सल्फेनट्राजोन ; टेमबरेट्राइन ; टोप्रामेजोन ; ट्रायफामोन ; ट्रायसल्फ्यूरोन ; ट्राइक्लोपायर अम्ल ; ट्राइक्लोपायर बटोटायल ऐस्टर ; ट्राइफलोक्सीसल्फ्यूरोन सोडियम ; ट्राइफ्ल्रालीन ;
 - (ख) द्रव्यमान के अन्सार 60% से अधिक अंतर्वस्त् के साथ : इन्डाजिफ्लैम ; मिसोट्राइन ;
 - (ग) द्रव्यमान के अन्सार 40% से अधिक अंतर्वस्त् के साथ : पैराक्वाट डाइक्लोराइड ।";
- (vi) अनुपूरक टिप्पण 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - '11. टैरिफ मद 3808 92 80 में उपशीर्ष 3808 92 के निम्निलिखित मालों में से कोई माल आता है :
 - (क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : एमेट्रोक्ट्राडिन ; ऐमिसलब्रोम ; ओरियोफंनजिन ; एजोक्सीस्ट्राबिन ; बेनालैक्साइल ; बेनालैक्साइल एम ; बोसकालिड ; बुप्राइमेट ; कापर सल्फेट पैन्टाहाइड्रेट ; सायजोफैमेड ; साइफ्नोकोनाजोल ; साइजोफैमेड ; डाइफेनोकोनाजोल ;

डाइमेथोमोर्फ ; डाइनोकैप ; इपाक्साकोनाजोल ; फैमोक्साडोन ; फेनामाइडान ; फेनोक्सानाइल ; फ्लोपीकोलाइड ; फ्लोपाइराम और उसके उपापचयी ; फ्लुसिलाजोल ; फ्लुक्सापयरोक्सद ; फोसैटायल-एल ; आइप्रोडाइने ; आइप्रोवालीकार्ब ; कैसुगामाइसीन ; क्रेसोक्सिम मिथायल ; लाइम सल्फर ; मैन्डीप्रोपामाइड ; मेफेनट्राइफ्लूआकोनाजोल ; मेपटायलडाइनोकोप ; मेटिरैम ; मेट्राफेनोन ; माइक्लोबुटानिल ; औक्जाथायापीपरोलीन ; पैनसीक्यूरोन ; पैनफ्लूफेन ; पाइकोसीस्ट्रोबिन ; पोल्योक्सीन डी जिंक लवण ; प्रोक्लोराज; पायडाईफ्लूमेटोफैन ; पाइराक्लोस्ट्रोबिन ; पायरोफेनोन ; टेट्राकोनाजोल ; थीफ्लुजामाइड ; ट्राइबेसिक कापर सल्फेट ; ट्राइफ्लोक्साइट्रोबीन ; ट्राईटीकोनाजोल ; वैलिफेनालेट ।

- (ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : कापर हाइड्राक्साइड ; प्रोपैमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड ; प्रोपाइनैब ।';
- 12. टैरिफ मद 3808 93 41 में उपशीर्ष 3808 93 के निम्निलिखित मालों में से कोई माल आता है :

आईएस 13070 के अनुरूप अल्फानैफ्थाइल ऐसिटिक अम्ल ; आईएस 8961 के अनुरूप क्लोर्मेक्वेट क्लोराइड (सीसीसी) ; आईएस 14408 के अनुरूप इथेफोन ; आईएस 16340 के अनुरूप मैपीक्वैट क्लोराइड ।

- 13. टैरिफ मद 3808 93 42 में, द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ, उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :
 - 1-मिथायल साइक्लोप्रोपेन ; 6-बेनजिलऐडीनील ; साइक्लेनीलाइड ; फोरक्लोरफेनुरान ; पैक्लोबुट्राजोल ; प्रोहेक्साडाइन कैल्शियम ; सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट ; ट्राइकोनटानॉल ।
 - 14. टैरिफ मद 3808 94 20 में, उपशीर्ष 3808 94 के निम्निलखित मालों में से कोई माल आता है :
 - (क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : डाइक्लोरोप्रोपीन और डाइक्लोरोप्रोपेन मिश्रण (डीडी मिश्रण) ; हाइड्रोजन सायनामाइड ;
 - (ख) द्रव्यमान के अनुसार 40% से अधिक अंतर्वस्त् के साथ : मैगनिशियम फोसफाइड प्लेट ।
 - 15. टैरिफ मद 3808 99 11 में उपशीर्ष 3808 99 के निम्नितिखित मालों में से कोई माल आता है : आईएस 12914 के अनुरूप ब्रोमाडायोलोन ।
- 16. टैरिफ मद 3808 99 12 में, द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ, उपशीर्ष 3808 99 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

एक्विनोसिल ; बाइफेनेजेट ; ब्रोडिफाकोयम ; कोयमाचलोर ; कोयमाटेट्राल्यल ; फ्लोकोयमाफेन ; फ्लुजियानडोलीजायन ; फ्लुऐनसलफोन ; गोसीप्लूर ।';

- (vii) शीर्ष 3808 में,-
- (क) टैरिफ मद 3808 91 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "3808 91 93 ---- *ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड*) *या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट* कि.ग्रा. 10% -"; करने वाले
 - (ख) टैरिफ मद 3808 92 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "3808 92 80 --- इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 11 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 10% -

अन्य : 3808 92 91 ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट कि.ग्रा. 10% करने वाले कि.ग्रा. -"; 3808 92 99 अन्य 10% (ग) टैरिफ मद 3808 93 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-पादप वृद्धि नियामक: इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 12 में विनिर्दिष्ट माल 3808 93 41 कि.ग्रा. 10% इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 13 में विनिर्दिष्ट माल 3808 93 42 कि.ग्रा. 10% 3808 93 49 कि.ग्रा. 10% अन्य : (घ) टैरिफ मद 3808 93 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-अन्य : ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट 3808 93 91 कि.ग्रा. 10% करने वाले 3808 93 99 अन्य कि.ग्रा. 10% (ङ) टैरिफ मद 3808 94 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात "3808 94 विसंक्रामक : 3808 94 10 ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट कि.ग्रा. 10% करने वाले 3808 94 20 इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 14 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 10% 3808 94 90 कि.ग्रा. 10% अन्य (च) टैरिफ मद 3808 99 10 और 3808 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-"___ इस अध्याय के अन्पूरक टिप्पण 15 और 16 में विनिर्दिष्ट माल : 3808 99 11 इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 10% 3808 99 12 इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल कि.ग्रा. 10% अन्य : 3808 99 91 ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट कि.ग्रा. 10%

करने वाले

| 3808 99 92 | | कीटनाशक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है | कि.ग्रा. | 10% | - |
|---|-------------------|---|----------------------|----------------|------------------------|
| 3808 99 99 | | अन्य | कि.ग्रा. | 10% | -"; |
| (viii) | टैरिफ मट | 3813 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्ब | नलिखित | रखा जाएगा, | अर्थात् :- |
| "3813 | | अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड | | | |
| 3813 00 | - | अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड : | | | |
| 3813 00 10 | | ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लूरोमिथेन, ब्रोमोट्राईफ्लूरोमिथेन या डाईब्रोमोटेट्राफ्लूरोइथैन अंतर्विष्ट करने वाले | कि.ग्रा. | 10% | - |
| 3813 00 20 | | मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोब्रोमोफ्लूरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले | कि.ग्रा. | 10% | - |
| 3813 00 30 | | मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले | कि.ग्रा. | 10% | - |
| 3813 00 40 | | ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले | कि.ग्रा. | 10% | - |
| 3813 00 90 | | अन्य | कि.ग्रा. | 10% | -"; |
| (ix) | 94 201 | 1 1 10 | | ~~ " ' | |
| | | में, टैरिफ मद 3814 00 10 और 3814 00 20 और उससे एगा, अर्थात् :- | सर्बाधित | प्रविष्टियों व | र स्थान पर, |
| | | | सर्बोधैत | प्रविष्टियों व | न्स्थान पर, |
| | | एगा, अर्थात् :— कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट | सर्बोधेत कि.ग्रा. | प्रविष्टियो व | न् स्थान पर, - |
| निम्नलिखि | न रखा जा " | एगा, अर्थात् :— कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है : मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) | | | न स्थान पर, - - |
| निम्निसित् 3814 00 11 | न रखा जा " | एगा, अर्थात् :— कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है : मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) | कि.ग्रा. | 10% | न स्थान पर, - - |
| निम्निखित 3814 00 11 3814 00 12 | न रखा जा " | एगा, अर्थात् :— कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है : मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन | कि.ग्रा. कि.ग्रा. | 10% | न स्थान पर, - - |
| निम्निखिल 3814 00 11 3814 00 12 3814 00 13 | न रखा जा " | एगा, अर्थात् :— कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है : मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म) अंतर्विष्ट करने वाले | कि.ग्रा. कि.ग्रा. | 10% 10% | न् स्थान पर, - - |

3814 00 22 ---- मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) कि.ग्रा. 10% - अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो ---- कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन कि.ग्रा. 10% - (मिथायल क्लोरोफोर्म) करने वाले

3814 00 29 ---- *अन्य*

कि.ग्रा. 10% -"

- (x) उपशीर्ष 3822 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी :
- (xi) उपशीर्ष 3824 60 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xii) टैरिफ मद 3824 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (12) अध्याय 39 में, शीर्ष 3920 और शीर्ष 3921 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (13) अध्याय 64 में, शीर्ष 6401, शीर्ष 6402, शीर्ष 6403, शीर्ष 6404 और शीर्ष 6405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (14) अध्याय 68 में, टैरिफ मद 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 91 00, 6802 92 00 और 6802 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (15) अध्याय 71 में,--
 - (i) शीर्ष 7106 में.-
 - (क) टैरिफ मद 7106 91 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "7106 91 20 --- रजत के भार से 99.9 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है कि.ग्रा. 10% -";
 - (ख) टैरिफ मद 7106 92 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"--- *छड* :

7106 92 21 ---- रजत के भार से 99.9 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है कि.ग्रा. 10% - 7106 92 29 ---- अन्य कि.ग्रा. 10% -";

(ii) शीर्ष 7108 में, टैरिफ मद 7108 12 00 और 7108 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"7108 12 -- अन्य अनगढ रूप में :

7108 12 10 --- स्वर्ण के भार से 99.5 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है कि.ग्रा. 10% -

| 7108 12 90 | अन्य | कि.ग्रा. | 10% | - |
|------------|---|----------|-----|-----|
| 7108 13 | अन्य अर्ध-विर्निमित रूप में : | | | |
| 7108 13 10 | स्वर्ण के भार से 99.5 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है | कि.ग्रा. | 10% | - |
| 7108 13 90 | अन्य | कि.ग्रा. | 10% | -"; |

(iii) शीर्ष 7110 में, टैरिफ मद 7110 11 10 से 7110 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

अनगढ़ रूप में : प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है 7110 11 11 कि.ग्रा. 10% 7110 11 19 कि.ग्रा. अन्य 10% चूर्ण रूप में : प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है कि.ग्रा. 7110 11 21 10% 7110 11 29 कि.ग्रा. 10% .सन्य 7110 19 अन्य : 7110 19 10 प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है कि.ग्रा. 10% 7110 19 90 अन्य कि.ग्रा. 10%

- (iv) शीर्ष 7113 और शीर्ष 7114 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (16) अध्याय 72 में, टैरिफ मद 7210 12 10, 7210 12 90, 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90, 7219 90 और 7225 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (17) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90 और 7326 90 99 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (18) अध्याय 74 में, टैरिफ मद 7404 00 12, 7404 00 19, 7404 00 22 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 80 में,--

- (i) शीर्ष 8001 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी :
- (ii) शीर्ष 8002 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 81 में,--

(i) टैरिफ मद 8101 94 00, 8101 97 00, 8102 94 00, 8102 97 00, 8103 20 10, 8103 20 90, 8103 30 00, 8105 20 20, 8105 30 00, 8106 10 10, 8106 90 10, 8109 21 00, 8109 31 00, 8109 39 00, 8110 10 00, 8110 20 00, 8112 12 00, 8112 13 00, 8112 31 10, 8112 31 20, 8112 31 30, 8112 41

- 10, 8112 41 20, 8112 61 00, 8112 69 10 और 8112 69 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:श्ल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) शीर्ष 8112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में, "(कोलम्बियम और)" प्रविष्टि के स्थान पर, "(कोलम्बियम), और" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 85 में,--

- (i) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, " 50×103 जीवाई(सिलिकान)(5×106 आरएडी (सिलिकान)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, " 50×10^3 जीवाई(सिलिकान)(5×10^6 आरएडी (सिलिकान)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (ii) टैरिफ मद 8541 42 00, 8541 43 00 और 8541 49 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 87 में,--

- (i) शीर्ष 8702 की सभी टैरिफ मर्दों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (iii) शीर्ष 8704 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (iv) शीर्ष 8711 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (v) टैरिफ मद 8712 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी :
- (23) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (24) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9028 30 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (25) अध्याय 94 में, शीर्ष 9401, शीर्ष 9403, शीर्ष 9404 और शीर्ष 9405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (26) अध्याय 95 में, टैरिफ मद 9503 00 91 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 98 में,--

- (i) टैरिफ मद 9802 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) टैरिफ मद 9803 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी :
- (iii) शीर्ष 9804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वितीय वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्रीय सरकार की वितीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली; 30 जनवरी, 2025

निर्मला सीतारामन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 30 जनवरी, 2025 के पत्र सं0 फा0 2(6)-बी0(डी0)/2025 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन वित्त विधेयक, 2025 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करती हैं।

2. यह विधेयक, लोक सभा में 1 फरवरी, 2025 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् पुरःस्थापित किया जाएगा ।

खंडों पर टिप्पण

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2, उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह उन दरों को, जिन पर अधिनियम के अधीन वितीय वर्ष के दौरान स्रोत पर करों की कटौती की जानी है ; और उन दरों को भी अधिकथित करता है, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है या आय-कर अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है और वितीय वर्ष 2025-2026 के लिए विशेष दशाओं में कर की संगणना की जानी है और उसे प्रभारित किया जाना है ।

विधेयक का **खंड 3,** आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (14) यह उपबंध करता है कि खंड (ख) में "पूंजी आस्ति" से किसी ऐसे विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा धारित कोई प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जिसे उसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है । इसके अतिरिक्त, उक्त खंड का उपखंड (ग), अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करता है कि पूंजी आस्ति से कोई यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतृक के कारण लागू नहीं होती है ।

उक्त खंड के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट विनिधान निधि द्वारा धारित हैं" पद अंत:स्थापित किया जा सके।

उक्त धारा के खंड (14) के उपखंड (ग) का आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे उसे ऐसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी को लागू किया जा सके, जिसे धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (22) लाआंश पद की परिभाषा का उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (ङ), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि किसी कम्पनी द्वारा, जो ऐसी कम्पनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी ऐसे शेयर धारक को, जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसे शेयरों का (जो लाओं में भाग लेने के अधिकार सहित या उससे रहित लाआंश की नियत दर के हकदार शेयर नहीं हैं हिताधिकारी स्वामी है, जो दस प्रतिशत से अन्यून मतदान की शक्ति धारण करने वाला है अथवा किसी समुत्थान को, जिसमें ऐसा शेयर धारक सदस्य या भागीदार है और जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध है (जिसे इस खंड में इसके पश्चात, उक्त समुत्थान कहा गया है) अग्रिम या उधार के तौर पर, किसी राशि का कोई संदाय अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे शेयर धारक की ओर से

या इसके व्यक्तिगत फायदे के लिए दोनों में से किसी भी दशा में उस परिणाम तक कोई संदाय जिस तक कि कम्पनी के पास संचित लाभ है।

उक्त खंड में एक नया उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लाभांश में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,--

- (iiक) दो समूह अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण, जहां,--
- (अ) समूह अस्तित्व में से एक कोई "वित्त कंपनी" या कोई "वित्त यूनिट" है ; और
- (आ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व जो भारत से बाहर, बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले देश या राज्यक्षेत्र से भिन्न भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

इसके अतिरिक्त उक्त खंड के स्पष्टीकरण में, "वित्त कंपनी" या "वित्त यूनिट" और "समूह अस्तित्व", "मूल अस्तित्व" और "प्रधान अस्तित्व" पदों को परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा के खंड (47क) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आभासी डिजीटल आस्ति की पिरभाषा में किसी क्रिप्टो आस्ति, जो उस मूल्य का डिजीटल प्रतिरूपण करती है, जो संव्यवहारों का विधिमान्यकरण करने तथा संरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक रूप से संरक्षित वितरित खाता-बही या किसी समान प्रौद्योगिकी का अवलंब लेता है, चाहे उसे आभासी डिजीटल आस्ति की परिभाषा में पहले से सम्मिलित किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 4, आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोदभूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपखंड (i) के स्पष्टीकरण (2क) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि भारत में "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" से, अन्य बातों के साथ, किसी अनिवासी द्वारा भारत के किसी व्यक्ति के साथ किसी माल, सेवा या संपत्ति की बाबत किया गया संव्यवहार अभिप्रेत होगा।

उक्त स्पष्टीकरण के पहले परंतुक के पश्चात् एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे संव्यवहार या क्रियाकलाप, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित है, भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति को गठित नहीं करेंगे और उनमें पारिणामिक संशोधन किया जाएंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 5, आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होना. से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (3) का खंड (ग), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है, जिसे भारत से बाहर स्थापित या निगमित या रिजस्ट्रीकृत किया गया है और जो अपने सदस्यों से निधियां एकत्रित करती है और उसका उनके फायदे के लिए विनिधान करती है तथा इस शर्त को पूरा करती है कि निधि में भारत में निवासी व्यक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकलित सहभागिता या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को निधि में भारत में निवासी व्यक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकलित सहभागिता या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतः स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निधि में पूर्वोक्त संकलित सहभागिता या विनिधान किसी पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर को पांच प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां इस खंड में उल्लिखित शर्त के बारे में यह माना जाएगा कि उसको पूरा कर दिया गया है, यदि उसे ऐसे पूर्व वर्ष के, यथास्थिति, 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर के चार मास के भीतर पूरा कर दिया जाता है।

उक्त धारा की उपधारा (8क) यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ड) या उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्त किसी पात्र विनिधान निधि के मामले में और उसके पात्र निधि प्रबंध के मामले में उस समय लागू नहीं होगी या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी, जिन्हें ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि ऐसा निधि प्रबंधक किसी अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व अपना काम आरंभ किया है।

उक्त धारा की उपधारा (8क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कार्य के प्रारंभ करने की तारीख को 31 मार्च, 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके।

उक्त उपधारा का यह उपबंध करने के लिए भी संशोधन करने का और प्रस्ताव किया जाता है कि केंद्रीय सरकार उपधारा (3) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट शर्त को शिथिल नहीं कर सकेगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 6, आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अन्तर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन आरंभ करने की तारीख को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा के खंड (4ड) में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ किए गए अपरिदेय अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर द काउंटर व्युत्पन्नों के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को प्रोदभूत या उद्दभूत या उसको प्राप्त किसी आय को और शर्तों को पूरा किया जाना, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उक्त खंड का, "या कोई विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की एक यूनिट है" को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसे उक्त खंड की परिधि में लाया जा सके।

उक्त खंड में, "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" पद को, जिससे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे ।

उक्त धारा के खंड (4च) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन आरंभ करने की तारीख को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके।

उक्त धारा के खंड (4ज) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे उसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन आरंभ करने की तारीख को 31 मार्च, 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके।

उक्त खंड का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की किसी इकाई की देशी कंपनी, जो मुख्यतः किसी पोत को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, के साधारण शेयर पूंजी के अंतरण से उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाओं के माध्यम से हुई आय को, किसी अनिवासी या धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की किसी इकाई, जो मुख्यतः किसी पोत को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, की कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उक्त खंड का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "पोत" पद के अर्थ का उपबंध किया जा सके, जिससे कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ।

खंड (10घ) के आठवें परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निम्नलिखित दशा में प्राप्त किसी राशि को चौथे, पांचवें, छठे और सातवें परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे,--

- (i) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ; या
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा जारी किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन, जिसमें ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि सम्मिलित है।

उक्त खंड के आठवें परंतुक में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालय" का वही अर्थ होगा, जो अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (ध) में उसका है।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा में एक नया खंड (12खक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न्यास से किसी निर्धारिती को, जो किसी अवयस्क का अभिभावक है, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवयस्क के खाते में से आंशिक रूप से रकम निकाले जाने पर कोई संदाय, उस परिमाण तक, जो ऐसे संरक्षक द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ।

उक्त धारा का खंड (23चड), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट लाभांश, ब्याज, कोई राशि की प्रकृति की आय या भारत में किए गए किसी विनिधान से उद्भूत होने वाले दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ किसी विनिदिष्ट व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे । उक्त खंड का उपखंड (i) यह उपबंध करता है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले कोई विनिधान किया जाना है ।

उक्त खंड के आरंभिक भाग का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों (चाहे ऐसे पूंजी अभिलाभों को धारा 50कक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में माना जाता है अथवा नहीं) की प्रकृति की आय को किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उक्त खंड के उपखंड (i) का और संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे विनिधान की तारीख को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल. 2025 से प्रभावी होंगे ।

खंड (34ख) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की किसी इकाई, जो मुख्यतः किसी पोत को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, की किसी कंपनी से, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र की कोई इकाई है, जो मुख्यतः किसी पोत को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, की लाभांश के माध्यम से प्राप्त आय उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "वायुयान", "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" और "पोत" पदों को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 7**, आय-कर अधिनियम की धारा 12कख का संशोधन करने के लिए है, जो नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया का उपबंध करती है।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (i) से उपखंड (v) के अधीन किया जाता है और धारा 11 तथा धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय, उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों में से प्रत्येक के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे गए हों।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने किसी पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट घटना को देखा है, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, अन्य बातों के साथ-साथ-

- (i) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जो वह किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण के होने या अन्यथा के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझता है ;
- (ii) सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे पूर्ववर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए, ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुए, लिखित में आदेश पारित करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हुए हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि "विनिर्दिष्ट अतिक्रमण" से, अन्य बातों के साथ, यह अभिप्रेत है कि धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है या उसमें मिथ्या अथवा गलत जानकारी अंतर्विष्ट है।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे "पूर्ण नहीं है या यह" शब्दों का लोप किया जा सके तथा जिससे धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन को पूर्ण न होने को विनिर्दिष्ट अतिक्रमण के रूप में न माना जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 8, आय-कर अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जो कितपय दशाओं में धारा 11 का लागू न होना, से संबंधित है।

धारा 13 की उपधारा (3) ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त उपधारा के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका न्यास या संस्था को, यथास्थिति, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान कुल अभिदाय एक लाख रुपए से अधिक है या सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक सकल अभिदाय दस लाख रुपए से अधिक है।

उक्त उपधारा के खंड (घ) का भी संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नातेदार को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

उक्त उपधारा के खंड (ङ) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे समुत्थान को, जिसमें खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति का सारवान हित है, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 9, आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा से संबंधित है।

धारा 17 के खंड (2) के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि आय-कर अधिनियम की धारा 15 और धारा 16 के प्रयोजनों के लिए, "परिलब्धि" में किसी नियोजक (जिसके अंतर्गत कोई कंपनी भी है) किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी, जो कंपनी का निदेशक नहीं है या जिसका कंपनी में सारवान हित नहीं है और जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय, चाहे वह एक या अधिक नियोजकों से शोध्य या उनके द्वारा संदत्त या अनुजात हो, जो सभी गैर-धनीय फायदों या सुख-सुविधाओं के मूल्य से भिन्न है, किसी रियायती दर या नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले किसी फायदे या मंजूर की गई सुख-सुविधाओं का मूल्य सिन्मिलित है, पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, सिन्मिलित है।

इसके अतिरिक्त उक्त खंड का परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के कुटुंब के किसी सदस्य के भारत से बाहर चिकित्सा उपचार के लिए या ऐसे कर्मचारी या उसके किसी कुटुंब सदस्य हेतु चिकित्सा उपचार के लिए विदेश गमन और विदेश में रहने या रोगी के साथ जाने वाले एक परिचर की विदेश गमन और विदेश में रहने पर उपगत किसी व्यय को, अन्यों के साथ, इस शर्त के अधीन रहते हुए 'परिलिब्धि' में सिम्मिलित नहीं किया जाएगा कि यात्रा पर उपगत व्यय को केवल ऐसे कर्मचारी की दशा में अपवर्जित किया जाएगा, उक्त व्यय को सिम्मिलित करने से पूर्व यथा संगणित सकल कुल आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 'परिलब्धि' पद में किसी कर्मचारी, जो कंपनी का निदेशक नहीं है या उसका कंपनी में कोई सारवान हित नहीं है और जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय, चाहे वह एक या अधिक नियोजकों से शोध्य हो या उसके द्वारा संदत्त या अनुज्ञात हो, जो गैर-धनीय फायदों या सुख-सुविधाओं के मूल्य से भिन्न है, जिसमें किसी रियायती दर या नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले किसी फायदे या मंजूर की गई सुख-सुविधाओं का मूल्य सम्मिलित है, ऐसी रकम से अधिक हो जाती है, जिसे विनियमों द्वारा उपबंधित किया गया हो।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी के चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा पर उपगत व्यय को इस शर्त के अधीन रहते हुए 'परिलब्धि' में सम्मिलित नहीं किया जाएगा कि यात्रा पर उपगत व्यय को केवल ऐसे कर्मचारी की दशा में अपवर्जित किया जाएगा, उक्त व्यय को सम्मिलित करने से पूर्व यथा संगणित सकल कुल आय, ऐसी रकम, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, से अधिक नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 10, आय-कर अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है, जो वार्षिक मूल्य कैसे अवधारित किया जाता है, से संबंधित संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां कोई गृह संपत्ति, उसके निवास के प्रयोजनों के लिए स्वामी के अधिभोग में है या स्वामी उसका अधिभोग वस्तुतः, अपने नियोजन, कारबार या वृत्ति के किसी अन्य स्थान पर होने के कारण नहीं कर सकता है, वहां ऐसे मामलों में ऐसी गृह संपत्ति या उसके भाग के वार्षिक मूल्य को कुछ नहीं माना जाएगा । इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि अधिनियम की उपधारा (2) के उपबंध केवल 2 गृहों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे गृह और उसके किसी भाग से मिलकर बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा, यदि यह स्वामी के अपने ही निवास के लिए अधिभोग में है या वह वस्तुत: उसका अधिभोग किसी कारण से नहीं कर सकता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-2026 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 11, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 44खखघ अंत:स्थापित करने के लिए है, जो भारत में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के प्रयोजनों के लिए या इलेक्ट्रानिक मालों, वस्तु या चीज के संबंध में सेवाओं को उपलब्ध कराने के कारबार में लगे अनिवासी के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 28 से धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर विचार किए बिना, जहां कोई निर्धारिती, जो अनिवासी है और भारत में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के प्रयोजनों के लिए या इलेक्ट्रानिक मालों, वस्तु या चीज के संबंध में सेवाओं (जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी सेवाएं भी हैं) को उपलब्ध कराने के कारबार में लगा है,-

(क) कोई निवासी कंपनी, इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन भारत में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा या इलेक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई संबद्ध सुविधा स्थापित या प्रचालित कर रही है; और

(ख) ऐसी निवासी कंपनी इस निमित विहित की जाने वाली शर्तों को पूरा करती है,

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के 25% के बराबर राशि को 'कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य अनिवासी निर्धारिती के ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित होंगी :--

- (क) सेवाओं को उपलब्ध (जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी सेवाएं भी हैं) कराने के मद्दे उसकी निमित किसी अनिवासी निर्धारिती या किसी व्यक्ति को संदत्त या संदेय रकम; और
- (ख) सेवाओं को उपलब्ध (जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना भी है) कराने के मद्दे अनिवासी निर्धारिती द्वारा या अनिवासी निर्धारिती की ओर से प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 32 की उपधारा (2) तथा धारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां कोई अनिवासी निर्धारिती उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, वहां ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती को अनामेलित अवक्षण और अग्रनीत हानि का मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1ख), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय किसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवे परन्तुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है, के अंतर्गत कोई रकम प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित कोई रकम भी है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी रकम की प्राप्ति से उद्भूत होने वाला कोई लाभ या अभिलाभ "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा और उसे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में माना जाएगा, जिसमें उसे यह रकम प्राप्त हुई थी और कराधेय आय की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसे यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी को लागू किया जा सके, जिसे धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे । विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (viiiकघ) यह उपबंध करता है कि किसी पूंजी आस्ति के पुन:स्थापन में किसी शेयर धारक या यूनिट धारक या हितधारक द्वारा किसी पूंजी आस्ति, जो उसके द्वारा मूल निधि में धारित शेयर या यूनिट या हित है, पारिणामिक निधि में किसी शेयर या यूनिट या हित के प्रतिफल में अंतरण को धारा 45 के प्रयोजनों के लिए अंतरण नहीं माना जाएगा । उक्त खंड का स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'पारिणामिक निधि' के अर्थ का उपबंध करता है ।

'पारिणामिक निधि' पद की उक्त परिभाषा को प्रतिस्थास्थित करने का प्रस्ताव है, जिससे भारत में किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसे निम्नलिखित मंजूर किया गया है,--

- (i) प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रिजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है; या
- (ii) खुदरा स्कीम या विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र और जो धारा 10 के खंड (4घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि "पुन:स्थापन" से 31 मार्च, 2025 को या उससे पूर्व मूल निधि, या इसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से किसी पारिणामिक निधि को आस्तियों का अंतरण अभिप्रेत है, जहां ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल को पारिणामिक निधि में शेयर या इकाई या ब्याज के रूप में उन्मोचित किया गया है।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे मूल निधि की, या इसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान की, आस्तियों के किसी पारिणामिक निधि को अंतरण की तारीख को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 14, आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है, जो समामेलन या निर्विलयन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने के संबंध में उपबंध से संबंधित है। अधिनियम की धारा 72क उपबंध करती है कि यथास्थिति, समामेलक कंपनी या फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी की असंचयी हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें कारबार पुनर्गठन किया गया था, संचयी हानि और शेष अवक्षयण की रकम की सीमा तक और उसमें यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, यथास्थिति, समामेलित कंपनी या उत्तरवर्ती कंपनी या उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की संचयी हानि और शेष अवक्षयण समझे जाएंगे।

इस धारा में उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह कथन किया जा सके कि जहां कोई समामेलन या कारबार पुनर्गठन, जो इस धारा की उपधारा (4) के अधीन निर्विलियन नहीं है, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् प्रभावी किया जाता है, तो किसी पूर्ववर्ती अस्तित्व, जो, यथास्थिति, समामेलक कंपनी या निर्विलीन कंपनी या फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी है, की संचयी हानि का भाग बनाने वाली किसी हानि को, जो किसी उत्तरवर्ती अस्तित्व, जो यथास्थिति, समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी या उत्तरवर्ती कंपनी या उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी है, उस उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष, जिसके लिए ऐसे पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनिधक निर्धारण वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा।

यह कथन करने का और प्रस्ताव है कि "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से उपधारा (1) के अधीन पहले समामेलन या उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पहले कारबार पुनर्गठन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 15, आय-कर अधिनियम की धारा 72कक का संशोधन करने के लिए है, जो कितपय दशाओं में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक का अग्रनीत किया जाना और मुजरा से संबंधित है।

अधिनियम की धारा 72कक यह उपबंध करती है कि समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम प्रवर्तित की गई थी, समामेलक कंपनियों की हानि और शेष अवक्षयण समझा जाएगा।

उक्त धारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसे समामेलन की कोई स्कीम, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् प्रभावी की जाती है, पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी है या कंपनियां हैं, या समामेलक तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं, या समामेलक सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं, जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति, बैंककारी संस्था या कंपनी है, या समामेलित तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं, समामेलित सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं, जिसके लिए ऐसे मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा।

यह कथन करने का और प्रस्ताव है कि "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से पहले समामेलन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है । यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 16, आय-कर अधिनियम की धारा 80गगक का संशोधन करने के लिए है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेप की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी समस्त, निक्षिप्त या संदत्त रकम की (जिसके अंतर्गत निर्धारिती के खाते में प्रोद्भूत या जमा ब्याज या बोनस, यिद कोई हो, नहीं है), जो उस पूर्ववर्ष में बीस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है, की कटौती का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी रकम की, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, वापसी को, उस पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य समझती है, जब ये रकम (या ऐसी रकम पर प्रोद्भूत ब्याज) वापस ली गई हैं।

किसी निर्धारिती, जो एक व्यष्टि है, द्वारा 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् की गई ऐसी वापसी को धारा 80गगक की उपधारा (2) के उपबंधों से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 29 अगस्त, 2024 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 17, आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा निर्धारिती द्वारा, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है या किसी अन्य नियोजिक द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है या कोई ऐसा अन्य निर्धारिती, जो व्यष्टि है, पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त किसी रकम पर, केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती का उपबंध करती है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने और उक्त धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे पेंशन स्कीम वात्सल्य खाते में किए गए अभिदाय को धारा 80गगघ के अधीन पेंशन स्कीम को उपलब्ध कर संबंधी फायदों का निम्नलिखित रूप से विस्तार किया जा सके :

- (क) धारा 80गगघ की उपधारा (1ख) के अधीन पेंशन स्कीम के अधीन किसी अवयस्क के खाते में संदत्त या निक्षिप्त रकम की माता या पिता या अभिभावक की कुल आय में से अधिकतम 50,000/- रुपए की कोई कटौती अनुजात की जाएगी;
- (ख) ऐसी रकम, जिस पर धारा 80गगघ की उपधारा (1ख) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, की प्रभार्यता का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां, ऐसे मामलों में जहां निक्षेप अवयस्क के खाते में किया गया था, ऐसी रकम या उस पर प्रोद्भूत कोई ब्याज वापस लिया गया है ;
- (ग) अवयस्क की मृत्यु पर ऐसे खाते के बंद होने पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसी रकम को, जिसकी बाबत धारा 80गगघ की उपधारा (1ख) के अधीन कटौती

अनुज्ञात की गई है, माता या पिता या अभिभावक की आय के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 18, आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किसी पात्र कारबार से उद्भूत लाभों और अभिलाभों के 100% के बराबर रकम की कटौती के लिए निर्धारिती के विकल्प पर दस वर्षों में से किन्हीं तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए उपबंध करते हैं कि उसके कारबार की कुल आवर्त 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व निगमित किसी पात्र स्टार्ट-अप के लिए एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस फायदे को 1 अप्रैल, 2030 से पूर्व निगमित पात्र स्टार्ट-अप को विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 19, आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक का संशोधन करने के लिए है, जो अपतट बैंककारी यूनिटों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (घ) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) और उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आय किसी ऐसी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली आय होगी, जो कोई वायुयान या पोत है, जिसे खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी यूनिट द्वारा, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे यूनिट ने 31 मार्च, 2025 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है, किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया था।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रचालन के प्रारंभ की तारीख को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 20, आय-कर अधिनियम की धारा 87क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर के रिबेट से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई निर्धारिती, जो भारत में निवासी व्यष्टि है, जिसकी कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी उस कुल आय पर, जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, आय-कर (इस अध्याय के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करवाने के पूर्व यथा संगणित) की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या बारह हजार पांच सौ रुपए की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां निर्धारिती की कुल आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, और वहां कुल आय--

- (क) सात लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो निर्धारिती, अपनी कुल आय (इस अध्याय के अधीन कटौतियों के लिए अनुजात करने के पूर्व यथासंगणित) पर आय- कर की रकम से कटौती का हकदार होगा, जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए की रकम, इनमें से जो भी कम हों, से प्रभार्य है;
- (ख) सात लाख रुपए से अधिक है तथा ऐसी कुल आय पर संदेय आय-कर ऐसी रकम से अधिक है, जिसके द्वारा कुल आय सात लाख रुपए से अधिक है, तो निर्धारिती, अपनी कुल आय (इस अध्याय के अधीन कटौतियों के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व यथासंगणित) पर उस रकम के बराबर रकम पर कटौती का हकदार होगा, जिसके द्वारा ऐसी कुल आय पर संदेय आय-कर उस रकम से अधिक है, जिसके द्वारा कुल आय सात लाख रुपए से अधिक होती है।

उक्त धारा के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे क्रमश: सात लाख रुपए के स्थान पर, बारह लाख रुपए और पच्चीस हजार रुपए के स्थान पर, साठ हजार रुपए रखे जा सके।

उक्त धारा में एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के अधीन कटौती, धारा 115खकग की उपधारा (1) में उपबंधित दरों के अनुसार संदेय आय-कर की रकम से अधिक नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 21, आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि जहां किसी व्यक्ति ने, जो निर्धारिती है, किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 92ग के अधीन उक्त अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) में पहला नया परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए कोई निर्देश नहीं किया जाएगा, यदि कीमत मूल्यांकन अधिकारी ने ऐसे संव्यवहार के संबंध में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3ख) में निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को घोषित कर दिया है।

उक्त उपधारा (1) में दूसरा नया परंतुक अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में, जिसके लिए विकल्प विधिमान्य घोषित किया जाता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए कोई निर्देश, यदि कीमत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी

घोषणा के पूर्व या पश्चात् किया जाता है तो इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ऐसे संव्यवहार के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया हो ।

उक्त धारा में नई उपधारा (3ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3) के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित की जारी रही असन्निकट कीमत, इसमें अंतर्विष्ट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को लागू होगी।

उक्त उपधारा (3ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के उपबंध अध्याय 14ख के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (4क) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात पर विचार किए बिना, जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को उपधारा (3ख) के अधीन विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित कर दिया है, वह उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे समान संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का परीक्षण और अवधारण करेगा और ऐसे आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी धारा 155 की उपधारा (21) के उपबंधों के अनुसार उक्त क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना करने के लिए अग्रसर होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (9) केंद्रीय सरकार को सशक्त करती है, जो उपर्युक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि आय-कर अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा ।

उक्त उपधारा का परंतुक उपंबंध करता है कि 31 मार्च, 2025 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

उक्त परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा में नई उपधारा (11) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उपधारा (3ख) और उपधारा (4क) को प्रभावी करने में कोई किठनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किठनाई को दूर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा, जिन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत 1 अप्रैल, 2026 से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किए जाएंगे।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (12) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा उपधारा (11) के अधीन जारी प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धांत को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा जब वह तीस दिन की कुल अविध के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तवर्ती सत्र सिम्मिलित हो सकेंगे और यदि, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वीक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शी सिद्धांत यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 22, आय-कर अधिनियम की धारा 112क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (क), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) या किसी बीमा कंपनी की स्कीम के अधीन, जो यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी हैं जिसको उक्त धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवें परन्तुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं, के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी बीमा कंपनी की किसी स्कीम के मामले में, जो यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी है जिसे धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट, दिए गए मामलों में, लागू नहीं होती है, नब्बे प्रतिशत या साठ प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा का ऐसी बीमा पालिसी की संपूर्ण अविध के दौरान समाधान किया जाना अपेक्षित है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) और दूसरे परंतुक का संशोधन किया जाए, जिससे उसे यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी को लागू किया जा सके, जिसे धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 23, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाओं से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां किसी विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की कुल आय में, प्रतिभूतियों (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) के संबंध में प्राप्त आय या ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, सिम्मिलित

है, वहां संदेय आय-कर, अन्य बातों के साथ, खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, किंतु जो धारा 112क के अंतर्गत नहीं आती है, पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम का योग होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ख) में प्रतिभूतियों के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, किंतु जो धारा 112क के अंतर्गत नहीं आती है, पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम का योग होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदुनसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 24, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग का संशोधन करने के लिए है, जो व्यष्टियों और हिंदू अविभक्त क्टुंब की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति से भिन्न, जो उपधारा (6) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम (किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति की 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

| क्रम सं. | कुल आय | कर की दर |
|----------|-------------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 4,00,000 रुपए तक | शून्य |
| 2. | 4,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 8,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 4. | 12,00,001 रुपए से 16,00,000 रुपए तक | 15 प्रतिशत |
| 5. | 16,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 6. | 20,00,001 रुपए से 24,00,000 रुपए तक | 25 प्रतिशत |
| 7. | 24,00,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत ।"। |

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 25, आय-कर अधिनियम की धारा 115पक का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कारबार न्यास की कुल आय को कर से प्रभारित किया जाएगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें धारा 112क के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 26, आय-कर अधिनियम की धारा 115फ का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा में "अंतर्देशीय जलयान" की परिभाषा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 'अंतर्देशी जलयान' का वही अर्थ होगा जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (थ) में उसका है।

अंतर्देशीय जलयान के निर्देश को "अनावृत्त नौका चार्टर", "अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टा अंतरण", "क्रीड़ा जलयान" और "अर्हक पोत" में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 27, आय-कर अधिनियम की धारा 115फख का संशोधन करने के लिए है, जो पोत प्रचालन से संबंधित है।

उक्त धारा उपबंध करती है कि किसी कंपनी को पोत प्रचालन करने वाली कंपनी समझा जाएगा, यदि वह किसी पोत का, चाहे वह उसके स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया हो, प्रचालन करती है और इसके अंतर्गत कोई ऐसी दशा भी है, जिसमें पोत का एक भाग ही स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी किसी व्यवस्था में उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया है।

उक्त धारा का, अंतर्देशीय जलयान के निर्देश का अंतःस्थापन करने तथा यह उपबंध करने के लिए कि पोत प्रचालन में अंतर्देशीय जलयान भी सम्मिलत है, संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा के परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी कंपनी को पोत का प्रचालक नहीं माना जाएगा, जिसे उसके द्वारा अनावृत नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर या अनावृत नौका चार्टर निबंधनों पर तीन वर्ष से अधिक की अविध के लिए भाड़े पर दिया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 28, आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ का संशोधन करने के लिए है, जो अर्हक पोत से संबंधित है।

उक्त धारा उपबंध करती है कि कोई एक पोत अर्हक पोत है यदि यह पन्द्रह या अधिक शुद्ध टन भार का कोई समुद्रगामी पोत या जलयान है और यह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है तथा ऐसे पोत के संबंध में उसका शुद्ध टनभार उपदर्शित करने वाला विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रवृत्त है।

उक्त धारा में अंतर्देशीय जलयान के निर्देश को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अर्हक पोत में अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान भी सम्मिलित होगा ।

उक्त धारा का और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अर्हक पोत में समुद्रगामी पोत या अंतर्देशीय जलयान सम्मिलित नहीं होगा, यदि वह ऐसे मुख्य प्रयोजन जिसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, सामान्यतः भूमि पर प्रदान की गई माल या सेवाओं की किस्म की व्यवस्था है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 29, आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार आय की संगणना से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि अध्याय-12छ के प्रयोजनों के लिए, टनभार से धारा 115फभ में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित किसी पोत का टनभार अभिप्रेत होगा और इसके अंतर्गत विहित रीति में संगणित समझा गया टनभार भी है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसकी परिधि में अंतर्देशीय जलयान को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 30, आय-कर अधिनियम की धारा 115फझ का संशोधन करने के लिए है, जो स्संगत पोत परिवहन आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) किसी टनभार कर कंपनी के मुख्य क्रियाकलापों का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (6) उपबंध करती है कि जहां कोई टनभार कंपनी ऐसे किसी पोत का प्रचालन करती है, जो अर्हक पोत नहीं है वहां वह आय, जो ऐसे अनर्हक पोत के प्रचालन से हुई मानी जा सकती है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (6) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसकी परिधि में अंतर्देशीय जलयान को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा । विधेयक का खंड 31, आय-कर अधिनियम की धारा 115फट का संशोधन करने के लिए है, जो अवक्षयण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि प्रथम पूर्ववर्ष के पहले दिन को आस्तियों, जो पोत हैं, के समूह के अवलिखित मूल्य को, अर्हक पोतों के अवलिखित बही मूल्य और अनर्हक पोतों के अवलिखित बही मूल्य के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसकी परिधि में अंतर्देशीय जलयान को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 32, आय-कर अधिनियम की धारा 115फत का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पद्धित और समय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई अर्हक कंपनी, उस संयुक्त आयुक्त को, जिसकी कंपनी पर अधिकारिता है, टनभार कर स्कीम के लिए आवेदन करके विकल्प ले सकेगी । उक्त धारा की उपधारा (3) यह अपेक्षा करती है कि संयुक्त आयुक्त ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी कोई सूचना मांग सकेगा, जिसे वह उचित समझता है और टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन करते हुए या यदि उसका समाधान नहीं हो जाता है तो ऐसे अनुमोदन से इंकार करते हुए, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात, लिखित में, आदेश पारित कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह अपेक्षा करती है कि उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से एक मास के अवसान से पूर्व पारित किया जाए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ था।

उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के लिए उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस तिमाही, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, की समाप्ति से, तीन मास की अविध के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 33, आय-कर अधिनियम की धारा 115फन का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार कर आरक्षिति खाते में लाभों का अंतरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3), उपधारा (4) और स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसकी परिधि में अंतर्देशीय जलयान को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे । विधेयक का खंड 34, आय-कर अधिनियम की धारा 115फफ का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार भाड़े पर लेने के लिए परिसीमा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) और स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसकी परिधि में अंतर्देशीय जलयान को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 35, आय-कर अधिनियम की धारा 115फभ का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार का अवधारण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (क) उपबंध करता है कि किसी पोत का टनभार, टनभार को उपदर्शित करने वाले विधिमान्य प्रमाणपत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में तथा भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में विधिमान्य प्रमाणपत्र के अर्थ का उपबंध करता है।

उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विधिमान्य प्रमाणपत्र के अंतर्गत भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान की दशा में, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी प्रमाणपत्र भी सिम्मिलित होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 36, आय-कर अधिनियम की धारा 115फयक का संशोधन करने के लिए है, जो अर्हक पोतों के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने के प्रभाव से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि जहां कोई अर्हक कंपनी ऐसे पोत का प्रचालन करती रहती है जो अस्थायी रूप से अर्हक पोत नहीं रह गया है, वहां ऐसे पोत को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अर्हक पोत के रूप में नहीं समझा जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतर्देशीय जलयानों को इसकी परिधि के अंतर्गत लाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 37, आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है, जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (8) यह उपबंध करती है कि अभिगृहीत लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों के प्रतिधारण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना के आदेश की तारीख से तीस दिन है । उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिधारण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की उक्त समय-सीमा उस तिमाही, जिसमें अंतिम तारीख निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना आदेश किया गया है, की समाप्ति से एक मास होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का खंड (क) उन परिस्थितियों का उपबंध करता है, जिनमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार उस रूप में समझा जाना है, जैसे वह निष्पादित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, "प्राधिकार" शब्द को "प्राधिकारों" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके, क्योंकि किसी एक निर्धारिती के मामले में एक से अधिक वारंट निष्पादित किए जा सकेंगे।

यह संशोधन 1 फरवरी, 2025 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 38**, आय-कर अधिनियम की धारा 132ख का संशोधन करने के लिए है, जो अभिगृहीत या अपेक्षित आस्तियों के उपयोजन से संबंधित है।

स्पष्टीकरण 1 "तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकार का निष्पादन" पद को इस प्रकार परिभाषित करता है कि उक्त पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 158खङ के स्पष्टीकरण 2 में है।

धारा 132ख के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें धारा 158ख के स्पष्टीकरण के प्रतिनिर्देश को अद्यतन किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 39**, आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है।

उक्त धारा करदाताओं द्वारा आय-कर विवरणी के फाइल किए जाने के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा, उपधारा (1) के अधीन मूल विवरणी फाइल करने के लिए, विलंबित या पुनरीक्षित विवरणियां फाइल करने या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों, जिनकी अनिवार्य रूप से विवरणी फाइल करने की बाध्यता है, त्रुटिपूर्ण विवरणी का परिशोधन, उक्त विवरणियों के फाइल किए जाने के लिए नियत तारीखों आदि के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (8क) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, चाहे उसने किसी निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन मूल विवरणी, विलंबित विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर दी है या नहीं की है, अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह इस धारा के अधीन निर्धारणीय है, की अद्यतन विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (8क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अद्यतन विवरणी को फाइल करने की समय-सीमा को सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास से बढ़ाकर अइतालीस मास किया जा सके।

उपधारा (8क) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अद्यत्न विवरणी वहां प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जहां धारा 148क के अधीन कारण बताओ सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छतीस मास के पश्चात् उसके मामले में जारी की गई है। तथापि, जहां धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करते हुए कोई आदेश पारित किया जाता है कि यह धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए कोई उपयुक्त मामला नहीं है, वहां अद्यत्न विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास तक फाइल की जा सकेगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 40, आय-कर अधिनियम की धारा 140ख का संशोधन करने के लिए है, जो अद्यत विवरणी पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) अद्यतन विवरणी के प्रयोजनों के लिए संदेय अतिरिक्त आय-कर की संगणना का उपबंध करती है । यह, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि संदेय कर और ब्याज के योग का 25 प्रतिशत सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 मास तक अद्यतन विवरणी फाइल करने के मामले में संदेय अतिरिक्त आय-कर होगा । तथापि, संदेय कर और ब्याज के योग का 50 प्रतिशत सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 मास के अवसान के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 मास के पूरा होने से पूर्व अद्यतन विवरणी फाइल करने के मामले में संदेय अतिरिक्त आय-कर होगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें खंड (iii) और खंड (iv) को अंत:स्थापित करके अद्यतन विवरणी पर अतिरिक्त आय-कर विहित किया जा सके कि संदेय कर और ब्याज के योग का 60 प्रतिशत सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास के अवसान के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छतीस मास पूरे होने से पूर्व अद्यतन विवरणी फाइल करने के मामले में संदेय अतिरिक्त आय-कर होगा । इसके अतिरिक्त, संदेय कर और ब्याज के योग का 70 प्रतिशत सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छतीस मास के अवसान के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अइतालीस मास पूरा होने से पूर्व अद्यतन विवरणी फाइल करने के मामले में संदेय अतिरिक्त आय-कर होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 41,** आय-कर अधिनियम की धारा 144खक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि यदि निर्धारण अधिकारी समझता है कि किसी ठहराव को अननुज्ञेय अपवंचन ठहराव के रूप में घोषित करना आवश्यक है, तो वह प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश कर सकेगा और साधारण अपवंचनरोधी नियमों के अर्थान्तर्गत ऐसे ठहराव के परिणाम का अवधारण कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (13) उपबंध करती है कि अनुमोदनकर्ता पैनल, अननुज्ञेय अपवंचन ठहराव के रूप में ऐसे ठहराव को घोषित करने वाले निदेश उस मास के, जिसमें निर्देश प्राप्त होता है, अंत से छह मास की अविध के भीतर जारी करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि वह अविधि, जिसके दौरान अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, वह उपधारा (13) के अनुसार अविधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध की प्रारंभ तारीख और अंत की तारीख स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42,** आय-कर अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार को विवाद समाधान पैनल द्वारा बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, निर्देश जारी करने के प्रयोजनों हेतु पहचानविहीन स्कीम अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है।

उक्त धारा की उपधारा (14ग) केंद्रीय सरकार को सशक्त करती है कि उपर्युक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि आय-कर अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा ।

उक्त उपधारा का परंतुक उपंबंध करता है कि 31 मार्च, 2025 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

उक्त परंत्क का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 43, आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना को पूरा करने के लिए विभिन्न समय-सीमाओं का उपबंध करती है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का खंड (ii), अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करता है कि वह अविध, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, परिसीमा अविध की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

उक्त खंड का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध के प्रारंभ की तारीख और अंत की तारीख स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 44, आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, उस वितीय वर्ष के अंत से, जिसमें तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, बारह मास की अविध के भीतर निर्धारण या पुन:निर्धारण का आदेश करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (i) अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि वह अविध, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, परिसीमा अविध की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध की प्रारंभ तारीख और अंत की तारीख स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 45, आय-कर अधिनियम की धारा 155 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य संशोधन से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (21) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असिन्नकट कीमत का अवधारण किया जाता है और अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को धारा 92गक की उपधारा (3ख) के अधीन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित कर दिया है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करके,--

- (i) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंध में धारा 92गक की उपधारा (4क) के अधीन इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप ; और
- (ii) ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए,

उस मास के अंत से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण पूरा किया जाता है, ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना करेगा और उसे धारा 92ग की उपधारा (4) का पहला और दूसरा परंतुक लागू होगा।

उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए तीन मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी पुन:संगणना, उस मास के अंत से तीन मास के भीतर की जाएगी, जिसमें यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना को जारी किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 46**, आय-कर अधिनियम की धारा 158ख का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (ख) अप्रकटित आय को परिभाषित करता है।

उक्त धारा के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अप्रकटित आय पद की परिभाषा में "आभासी डिजिटल आस्ति" शब्दों को अंतःस्थापित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2025 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 47, आय-कर अधिनियम की धारा 158खक का संशोधन करने के लिए है, जो तलाशी के परिणामस्वरूप कुल आय का निर्धारण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां अध्याय 14ख के अधीन निर्धारितों के मामले में लंबित है, जिसके मामले में पश्चात्वर्ती तलाशी आरंभ की जाती या अध्यपेक्षा की जाती है, ऐसा निर्धारण सम्यक रूप से पूर्ण होगा और तत्पश्चात् ऐसी पश्चात्वर्ती तलाशी या अध्यपेक्षा के संबंध में निर्धारण अध्याय 14ख के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) को "लंबित" शब्द को "किया जाना अपेक्षित" शब्दों से प्रतिस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है;

उक्त धारा की उपधारा (5) उपबंध करती है कि यदि अध्याय 14ख के अधीन आरंभ कोई कार्यवाही अपील या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल हो गई है, तो किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निधारण, जिसका उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उपशमन हो गया है, प्रवर्तित हो जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (5) का, "पुनः संगणना", "निर्देश" और "आदेश" शब्दों को जोड़कर जो अध्याय 14ख के अधीन किसी कार्यवाही के अपील में बातिल होने पर प्रवर्तित हो जाएगा, संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2025 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 48, आय-कर अधिनियम की धारा 158खख का संशोधन करने के लिए है, जो ब्लॉक अविध की कुल आय की संगणना से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) ब्लाक अविध की कुल आय की संगणना के लिए पद्धिति का उपबंध करती है। उक्त उपधारा का खंड (i) उपबंध करता है कि ब्लाक अविध की कुल आय में धारा 158खग के अधीन प्रस्तुत विवरणी में प्रकटित कुल आय सिम्मिलित होगी। उक्त उपधारा का खंड (iii) उपबंध करता है कि ब्लाक अविध की कुल आय में धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी में या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन किसी सूचना के प्रत्युत्तर में घोषित कुल आय, जो खंड (i) या खंड (ii) के अंतर्गत

नहीं आती है सम्मिलित होगी । उक्त उपधारा का खंड (iv) उपबंध करता है कि जहां पूर्व वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वहां तलाशी के अंतिम प्राधिकार या ऐसे पूर्व वर्ष से संबंधित अध्यपेक्षा की तारीख को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में बनाए रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर अवधारित कुल आय सम्मिलित होगी ।

- उपधारा (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है,--
- (क) यह स्पष्ट करने के लिए कि अप्रकटित आय को ब्लॉक विवरणी में घोषित की जानी अपेक्षित है, उक्त उपधारा के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है;
- (ख) "कुल आय" से "कुल" शब्द का लोप करने के लिए उक्त उपधारा के खंड (ii) और खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है;
- (ग) "तलाशी या अध्यपेक्षा के आरंभ की तारीख से पूर्व" शब्दों को अंत:स्थापित के लिए उक्त उपधारा के खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है;
- (घ) उक्त उपधारा के खंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे पूर्व वर्ष जो समाप्त हो गया है किंत् ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्त्त करने के लिए नियत तारीख तलाशी या अध्यपेक्षा के आरंभ की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है, की 31 मार्च को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित आय क्ल आय का भाग होगी । इसके अतिरिक्त ऐसे पूर्व वर्ष जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली और ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा के आरंभ की तारीख से ठीक पूर्व दिन को समाप्त होने वाली अवधि की बाबत आय की संगणना तलाशी के आरंभ की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से ठीक पूर्व दिन को या उससे पूर्व ऐसी अवधि के लिए सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर की जाएगी । यह भी कि तलाशी की आरंभ की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से आरंभ होने वाली और तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि की बाबत आय की संगणना प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पूर्व ऐसी अवधि के लिए सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर संगणित की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) सामान्य उपबंधों के अधीन किसी आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करती है, जिसका संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से है, जो उस पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली अविध से संबंधित है, जिसमें प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था । विधान-मंडल के इस आशय का समुचित रूप से उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

उपधारा (6) का, "आय प्रकट" शब्दों के स्थान पर, "घोषित अप्रकटित आय प्रकट" शब्द रखकर संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 फरवरी, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 49, आय-कर अधिनियम की धारा 158खड़ का संशोधन करने के लिए है, जो ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा से संबंधित है।

धारा 158खङ उपबंध करती है कि ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने के लिए उस मास के, जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया था या अध्यपेक्षा की गई थी, अंत से बारह मास की अविध समय-सीमा होगी।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 158खग के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से बारह मास के भीतर पारित किया जाएगा, जिसमें तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था।

उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 158खघ के अनुसरण में धारा 158खग के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से बारह मास के भीतर पारित किया जाएगा, जिसमें धारा 158खग के अधीन सूचना धारा 158खघ में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में जारी की गई थी।

यह संशोधन 1 फरवरी, 2025 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ब्लॉक निर्धारण आदेश उस मास के अंत से, जिसमें तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था या की गई थी, से बारह मास के भीतर पारित किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि वह अविधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, इस धारा के अधीन परिसीमा अविधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध की प्रारंभ की तारीख और अंत की तारीख स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 50, आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, तलाशी निर्धारण के मामले में शास्तिक ब्याज और शास्ति के उद्ग्रहण की प्रक्रिया का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (ii), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि उस अविध, जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों पर रोक लगा दी जाती है, इस धारा के अधीन परिसीमा अविध की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध को प्रारंभ और समाप्त करने की तारीख स्पष्ट की जा सके । यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 51, आय-कर अधिनियम की धारा 193, जो प्रतिभूतियों के ब्याज से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम से किसी निवासी को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति संदेय ब्याज की रकम पर, प्रवृत दरों के अनुसार आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा के परंतुक का खंड (v) यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन किसी कर की कटौती तब की जानी अपेक्षित नहीं है, जब किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है, पुरोधृत किसी डिबेंचर पर किसी ऐसे व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, संदेय कोई ब्याज, यदि कंपनी द्वारा ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब को वितीय वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर पर, संदत्त या संदत्त किए जाने वाले संभाव्य यथास्थिति ऐसे ब्याज की रकम ऐसे ब्याज के रकमों का योग पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है और कंपनी द्वारा ऐसा ब्याज पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा संदत्त किया जाता है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्रोत पर उस में यथा विनिर्दिष्ट कर की कटौती केवल तब की जानी अपेक्षित है, जब रकम या रकमों का योग वितीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है।

उक्त धारा के परंतुक के खंड (v) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें कोई कर तब कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं है, जब संदत या संदत किए जाने के लिए संभाव्य ब्याज की रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 52, आय-कर अधिनियम की धारा 194, का संशोधन करने के लिए है जो लाभांशों पर, स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा किसी लाभांश के संबंध में कर की कटौती के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन किसी कर की कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है, यदि कंपनी द्वारा लाभांश का संदाय नकद से भिन्न किसी अन्य रीति द्वारा किया जाता है और यथास्थिति, ऐसे लाभांश की रकम या लाभांश की रकमों का योग कंपनी द्वारा वितीय वर्ष के दौरान शेयर धारक को, जो व्यष्टि है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्रोत पर कर की कटौती की जानी तब अपेक्षित नहीं है, जब कंपनी द्वारा किसी शेयर धारक को, जो एक व्यष्टि है, वितीय वर्ष के दौरान ऐसे लाभांश की कुल रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 53,** आय-कर अधिनियम की धारा 194क, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम से आय से भिन्न आय पर कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की जानी तब अपेक्षित नहीं होगी, जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसी आय की रकम का योग उस वितीय वर्ष के दौरान पाने वाले व्यक्ति को या उसके खाते में संदत्त या जमा की जाने की संभाव्यता है, के मामले में किसी भी परिस्थिति में चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है । उपधारा (3) का तीसरा परंतुक यह कथन करता है कि संदायकर्ता वरिष्ठ नागरिक होने के मामले में उक्त धारा की उपधारा (3) में चालीस हजार रुपए के स्थान पर पचास हजार रुपए पढ़ा जा सकेगा ।

अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) का परंतुक कथन करता है कि में यथानिर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी कतिपय मामलों में इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती करने की दायी होगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी आय की रकम का योग ऐसे संदायकर्ता के मामले में, जो एक ऐसी बैंककारी कंपनी है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या बैंककारी कारबार को करने में लगी कोई सहाकारी सोसाइटी या केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और इस निमित्त अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन डाक घर में किसी जमा पर पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए की बजाय दस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (i) तीसरे परंतुक का संशोधन करने का आगे और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा के लिए, ब्याज की रकम या ब्याज की रकमों के योग की अवसीमा को पचास हजार रुपए के बजाय एक लाख रुपए से अधिक किया जा सके।

अधिनियम की उक्त धारा उपधारा (3) के खंड (xi) के पश्चात् आने वाले संयुक्त के खंड (ख) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा के लिए ब्याज की रकम या ब्याज की रकमों के योग की अवसीमा को, पाने वाले व्यक्ति, जो विरष्ठ नागरिक है, की दशा में एक लाख रुपए से अधिक और किसी अन्य मामले में पचास हजार रुपए से अधिक किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 54, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख का संशोधन करने के लिए है, जो लाटरी या वर्ग पहेली, आदि से जीत के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि किसी लाटरी या वर्ग पहेली या ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल या जुआ से या किसी भी प्रकृति का दाव लगाने से वह जो भी हो, जो ऐसी रकम या रकमों का योग है, जो वितीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है की जीत के रूप में किसी व्यक्ति को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसका संदाय करने के समय प्रवृत्त दरों से उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किया जाना तब अपेक्षित होगा, जब रकम एकल संव्यवहार की बाबत दस हजार रुपए से अधिक हो जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 55, आय-कर अधिनियम की धारा 194खख का संशोधन करने के लिए है, जो घुड़दौड़ से जीत, आदि के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो बुकमेकर है या ऐसा व्यक्ति, जिसको तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या घुड़दौड़ के मैदान में सट्टा या दाव लगाने का प्रबंध करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और जो किसी व्यक्ति को किसी घुड़दौड़ से वितीय वर्ष के दौरान दस हजार से अधिक की रकम या रकमों के योग की जीत के रूप में किसी आय का संदााय करने के लिए उत्तरदायी है, उसका ऐसा संदाय करने के समय, उस पर प्रवृत दरों से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किया जाना तब अपेक्षित होगा, जब रकम एकल संव्यवहार के बाबत दस हजार रुपए से अधिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 56, आय-कर अधिनियम की धारा 194घ, जो बीमा कमीशन से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो निवासी को बीमा कारबार की याचना करने या उसे प्राप्त करने के लिए पारिश्रमिक या इनाम के रूप में, चाहे कमीशन के रूप में हो या अन्यथा, कोई आय संदत्त करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो पूर्वतर हो, प्रवृत दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

इस धारा का दूसरा पंतुक यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे मामले में नहीं की जाएगी, जहां वितीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा किए जाने के लिए संभाव्य या संदत्त यथास्थिति ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग पंद्रह हजार रुए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस धारा के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने की अपेक्षा के लिए ऐसी आय की कुल रकम की अवसीमा को बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 57, आय-कर अधिनियम की धारा 194छ, जो लाटरी के टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय, करता है या जिसने लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय किया है, ऐसे टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या इनाम के रूप में पंद्रह हजार रुपए से अधिक रकम की किसी आय का, 1 अक्तूबर, 1991 को या उसके पश्चात्, संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस उपधारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा के लिए ऐसी आय की अवसीमा को बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 58, आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है, जो कमीशन या दलाली से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, जो दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि परंतु इस धारा के अधीन किसी ऐसे मामले में कोई कटौती अनुजात नहीं की जाएगी जहां वितीय वर्ष के दौरान, पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम पन्द्रह हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा हेतु ऐसी आय की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 59, आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है, जो किराया से संबंधित है।

उक्त धारा 194झ, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है, और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते

समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कतिपय मामलों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसी आय की रकम दो लाख चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त धारा के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कोई कटौती तब नहीं की जाएगी जब वितीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा किए जाने के लिए संभाव्य या संदत्त, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की क्ल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 60, आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, वृत्तिक सेवाओं के लिए और तकनीकी सेवाओं आदि के लिए फीस द्वारा किसी राशि के संबंध में स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक का खंड (आ) यह उपबंध करता है कि उक्त उपधारा के अधीन किसी कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है यदि, यथास्थिति, ऐसी राशि या ऐसी राशियों का योग, जिसे वितीय वर्ष के दौरान जमा, संदत्त किया जाना है या जमा अथवा संदत्त किए जाने की संभावना है, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस, तकनीकी सेवाओं के लिए, स्वामिस्व या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट किसी राशि की दशा में तीस हजार से अधिक नहीं है।

पहले परंतुक के उक्त खंड (आ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन स्रोत पर उस समय कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी, जहां, यथास्थिति, उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी आय की रकम या किसी मास के दौरान ऐसी रकम या रकमों का योग, जिसे जमा अथवा संदत्त किए जाने की संभावना है, पचास हजार रूपए से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61,** आय-कर अधिनियम की धारा 194ट का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिटों के संबंध में आय से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट परस्पर निधि की यूनिटों या विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासकों से यूनिटों या विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या किसी ढंग द्वारा उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा के पहले परंतुक का खंड (i) यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन किसी कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं होगा यदि, जिसे ऐसे व्यक्ति, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, द्वारा जमा की जाने वाली, यथास्थिति, ऐसी राशि या ऐसी राशियों का योग, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा के पहले परंतुक के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन किसी कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है यदि, जिसे ऐसे व्यक्ति, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, द्वारा जमा की जाने वाली, यथास्थिति, ऐसी राशि या ऐसी राशियों का योग, दस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 62, आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति के तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन मद्दे प्रतिकर या विधित प्रतिकर या प्रतिफल या विधित प्रतिकल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय उस पर आय-कर के रूप में उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा।

उक्त धारा का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वितीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।

उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वितीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 63, आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखग का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभृतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में आय से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां कोई आय इसमें विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में विनिधानकर्ता को, जो निवासी है, संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस पर, यदि पाने वाला व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, तो 25% की दर से तथा यदि पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है तब 30% की दर से, आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि दो ऊपर विनिर्दिष्ट दरों की बजाय, घटी हुई 10% की एकसमान दर से स्रोत पर कर कटौती का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 64, आय-कर अधिनियम की धारा 194थ का संशोधन करने के लिए है, जो माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो क्रेता होते हुए किसी निवासी विक्रेता को ऐसे किन्हीं मालों के क्रय के लिए किसी राशि का संदाय करता है, जिसका मूल्य या मूल्य का सकल योग किसी पूर्ववर्ती वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक है, कितपय शर्तों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक की ऐसी राशि पर 0.1 प्रतिशत आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (5) उपबंध करती है कि उक्त उपधारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, उस संव्यवहार से भिन्न जिसको धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है, उस संव्यवहार को लागू नहीं होंगे, जिसमें धारा 206ग के उपबंधों के अधीन कर संग्रहणीय है।

उक्त उपधारा में अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1ज) के प्रतिनिर्देश को हटाने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 65, अधिनियम की धारा 194ध, जो आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण पर संदाय से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से कोई राशि संदत्त करने के लिए उत्तरदायी है, वह निवासी के खाते में ऐसी राशि के जमा करने के समय या किसी भी ढंग से ऐसी राशि के संदाय के समय, जो भी पहले हो उस पर आय-कर के रूप में ऐसी रकम के एक प्रतिशत के समत्ल्य रकम की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह कथन करती है, धारा 203क और धारा 206कख के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 206कख के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 66, आय-कर अधिनियम की धारा 206कख, जो आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, का लोप करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 67, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से भी पूर्वतर हो, आय-कर के रूप में ऐसी रकम को उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के समतुल्य किसी राशि को यथाविनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से संग्रहीत करेगा । किसी वनीय पट्टे से भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्राप्त वनीय पट्टा और काष्ठ के अधीन प्राप्त किसी काष्ठ के मामले में स्रोत पर कर संग्रहण की दर ढाई प्रतिशत है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि किसी वनीय पट्टे से भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्राप्त वनीय पट्टा और काष्ठ के अधीन प्राप्त किसी काष्ठ के लिए स्रोत पर संग्रहीत किए जाने वाला कर दो प्रतिशत की दर से संग्रहीत किया जाना अपेक्षित होगा ।

उक्त उपधारा में क्रम संख्यांक (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करके सारणी का संशोधन करने का प्रस्ताव है और वन पट्टे के अधीन प्राप्त इमारती लकड़ी और किसी अन्य वनोत्पाद (जो तेंदू पत्ता नहीं है) पर सारणी के क्रम संख्यांक (iii) में स्रोत पर संग्रहीत कर का उपबंध किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "वनोत्पाद" पद के अर्थ का उपबंध करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1छ) किसी प्राधिकृत व्यौहारी, जिसने किसी ऐसे क्रेता से, जो भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अधीन प्रेषण के लिए कोई रकम प्राप्त करता है; या विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है, द्वारा स्रोत पर कर संग्रहण का उपबंध करती है।

उक्त उपधारा के पहले परंतुक, दूसरे परंतुक और चौथे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस उपधारा के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण की अपेक्षा के लिए उसमें यथा उपबंधित रकम या कुल रकम की अवसीमा को दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सके।

उक्त उपधारा के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्रोत पर कर संग्रहण नहीं किया जाएगा यदि रकम, जो प्रेषित की गई है, कोई शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए धारा 80ड़ में यथा परिभाषित किसी वितीय संस्थान से अभिप्राप्त कोई ऋण है।

उक्त धारा की उपधारा (1ज) उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, जो किसी पूर्ववर्ष में, कितपय शर्तों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे माल के, जिसका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रूपए से अधिक है के लिए विक्रय के प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से आय-कर के रूप में पचास लाख रूपए से अधिक के विक्रय प्रतिफल के 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि का संग्रहण करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध करने के लिए कि इस उपधारा के उपबंधों में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2025 से लागू नहीं होगी, एक परंत्क अंतःस्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (9) और उपधारा (10क) में उपधारा (1ज) के प्रतिनिर्देश के पारिणामिक लोप का और प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (7क) उपबंध करती है कि उपधारा (6क) के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जिससे उस वितीय वर्ष, जिसमें कर संग्रहणीय था, के अंत से छह वर्षों या उस वितीय वर्ष, जिसमें धारा 206ग की उपधारा (3ख) के अधीन संशोधन विवरण परिदत्त किया गया है, के अंत से दो वर्षों, जो भी पश्चातवर्ती है, के अवसान के पश्चात् किसी समय पर किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या कर के किसी भाग का संग्रहण करने की असफलता के लिए किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाए।

उक्त उपधारा का संशोधन करके, जिससे यह उपबंध करने के लिए कि धारा 153 की उपधारार (3), उपधारा (5) और उपधारा (6) तथा उसका स्पष्टीकरण 1, उपधारा (7क) में विहित समय-सीमा को लागू होंगे, एक परंत्क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 68, आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक, जो आय-कर विवरणी का फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, का लोप करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 69, आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (जक) यह उपबंध करता है कि धारा 275 की उपधारा (1क) के अधीन शास्ति को अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने के किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जा सकेगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 275 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति को अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने के किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जा सकेगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ढ) का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि "उपायुक्त द्वारा किया गया" शब्दों का लोप किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 70, आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार को, अपील अधिकरण को अपील के प्रयोजनों के लिए पहचानविहीन स्कीम अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है, जिससे बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही स्निश्चित की जा सके। उक्त धारा की उपधारा (9) सशक्त करती है कि केंद्रीय सरकार, जो उपर्युक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि आय-कर अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा ।

उपधारा (9) का परंतुक उपबंध करता है कि 31 मार्च, 2025 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

उक्त परंत्क का लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 71, आय-कर अधिनियम की धारा 255 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार को अपील अधिकरण द्वारा अपीलों के निपटारे के प्रयोजनों के लिए पहचानविहीन स्कीम अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है, जिससे बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (8) सशक्त करती है कि केंद्रीय सरकार, उपर्युक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि आय-कर अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू नहीं होगा या लागू होगा ।

उपधारा (8) का परंतुक उपबंध करता है कि 31 मार्च, 2025 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

उक्त परंत्क का लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 72, आय-कर अधिनियम की धारा 263 का संशोधन करने के लिए है, जो राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों के पुनरीक्षण से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अन्य आदेशों के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा के अधीन कोई आदेश ऐसे वित्तीय वर्ष के, जिसमें वह आदेश, जिसका पुनरीक्षण चाहा गया है, पारित किया गया था, अन्त से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि परिसीमा अविध की संगणना करने में उस अविध का, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक रखी गई है, अपवर्जन किया जाएगा।

उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध की प्रारंभ तारीख और अंत तारीख स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 73**, आय-कर अधिनियम की धारा 264 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य आदेशों के पुनरीक्षण से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के अन्य आदेशों के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि निर्धारिती द्वारा किए गए पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन पर उस वितीय वर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन किया जाता है, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि परिसीमा अविध की संगणना करने में उस अविध का, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी गई थी, अपवर्जन किया जाएगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी अपवर्जन अविध की प्रारंभ तारीख और अंत तारीख स्पष्ट की जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 74, आय-कर अधिनियम की धारा 270कक का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि के अधिरोपण से उन्मुक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति या अभियोजन के अधिरोपण से उन्मुक्ति अनुदत्त करने की प्रक्रिया का उपबंध करती है यदि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी उस मास, जिसमें उन्मुक्ति का अनुरोध करने वाला आवेदन प्राप्त हुआ है, की समाप्ति से एक मास की अविध के भीतर ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उस मास, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्मुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, की समाप्ति से तीन मास की अविध तक प्रक्रिया अविध को विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 75, आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख का संशोधन करने के लिए है, जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1क), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि 15 दिसंबर, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ की गई तलाशी के लिए अप्रकटित आय के 30 % की शास्ति उद्ग्रहीत की जा सकेगी, यदि निर्धारिती धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी अप्रकटित आय को स्वीकार करता है, उस रीति को विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न हुई थी और विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व ऐसी अप्रकटित आय के बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है तथा विनिर्दिष्ट पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी, उसमें ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा करते हुए प्रस्तुत

करता है । उपर्युक्त शर्तों के पूरा न करने की दशा में अप्रकटित आय के 60% की शास्ति उदग्रहीत की जा सकेगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इसके उपबंध उस मामले को लागू नहीं होंगे, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 सितबंर, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ की गई है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 76, आय-कर अधिनियम की धारा 271खख का लोप करने के लिए है, जो उपयुक्त पूंजी प्रोधरण में प्रतिश्र्ति करने में असफलता से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जो कोई धारा 88क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम के अधीन पुरोधृत यूनिटों में किसी प्रतिश्रुति रकम को उस उपधारा के अधीन उपयुक्त पूंजी पुरोधरण में उस उपधारा में विनिर्दिष्ट छह मास की अविध के भीतर प्रतिश्रुत करने में असफल रहेगा उसे उपायुक्त उस रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में, संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।

धारा 88क का पहले ही 1 अप्रैल, 1994 से भूतलक्षी प्रभाव से वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा लोप कर दिया गया है । मूल धारा की अनुपस्थिति में शास्ति संबंधी किसी धारा का औचित्य नहीं रह जाता ।

अत:, धारा 271खख का लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 77, आय-कर अधिनियम की धारा 271ग का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त की बजाय निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 78, आय-कर अधिनियम की धारा 271गक का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त की बजाय निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 79, आय-कर अधिनियम की धारा 271घ का संशोधन करने के लिए हैं, जो धारा 269धध के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (2) के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी शास्ति धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त की बजाय निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 80, आय-कर अधिनियम की धारा 271घक का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 269धन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी शास्ति धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त की बजाय निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 81, आय-कर अधिनियम की धारा 271घख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी शास्ति धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त की बजाय निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 82, आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 269न के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसी शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त की बजाय निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी । यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 83, आय-कर अधिनियम की धारा 275 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा के वर्जन से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस तिमाही की समाप्ति से छह मास की अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें संबद्ध कार्यवाहियां पूरी की जाती हैं, या यथास्थिति, अधिकारिता वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अपील का आदेश प्राप्त किया जाता है या पुनरीक्षण का आदेश पारित किया जाता है या शास्ति के अधिरोपण की सूचना जारी की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 84, आय-कर अधिनियम की धारा 276खख का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय करने में असफलता से संबंधित है।

उक्त धारा के उपबंध यह उपबंध करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धारा 206ग के उपबंधों के अधीन उससे की गई अपेक्षा के अनुसार, उसके द्वारा संग्रहीत कर को केंद्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी अविध के कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन मास से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 206ग की उपधारा (3) का परंतुक यह आज्ञापक बनाता है कि स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर को विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के नामे संदत्त किया जाना है।

उक्त में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे यदि स्रोत पर संग्रहित कर का संदाय, ऐसे संदाय के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उससे पूर्व किसी समय केंद्रीय सरकार को जमा कर दिया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 85, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खकक अंत:स्थापित करने के लिए है, जो क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, जो क्रिप्टो आस्ति के संबंध में, नियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व है, ऐसी क्रिप्टो आस्ति के किसी संव्यवहार के संबंध में, ऐसी अविध के लिए, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी विवरण में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है, त्रुटि के संबंध में सूचित कर सकेगा और वह उसे उस त्रुटि का, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर या

ऐसी और अविध के भीतर, जो अनुज्ञात की जाए, सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा और यिद त्रुटि में अनुज्ञात उक्त अविध के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, तो इस अिधनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसे व्यक्ति ने विवरण में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की थी।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां किसी व्यक्ति से विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दी गई समयाविध के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करे और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि किसी व्यक्ति ने विवरण प्रस्तुत किया है, या जारी सूचना के अनुसरण में उसे विवरण में उपलब्ध कराई गई सूचना में किसी गलती के बारे में जात होता है या गलती पता चलती है तो वह दस दिन के भीतर, आय-कर प्राधिकारी को ऐसे विवरण में हुई गलती के संबंध में जानकारी देगा तथा ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सही जानकारी प्रस्तुत करेगा।

उपधारा (5) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विहित आय-कर अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, जिसमें जानकारी की प्रकृति तथा वह रीति, जिसमें ऐसी जानकारी, व्यक्तियों द्वारा बनाए रखी जाएगी और किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोगकर्ता या स्वामी की पहचान प्रस्तावित करने के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए सम्यक् तत्परता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

खंड यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 'क्रिप्टो आस्ति' का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (47क) के उपखंड (घ) में उसका है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 86, आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन करने के लिए है, जो कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है।

उक्त नियम, कर वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए समय की परिसीमा का उपबंध करता है।

उक्त नियम के उपनियम (2) का खंड (i) और खंड (ii), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि परिसीमाकाल की संगणना करने में, वह अविध अपवर्जित कर दी जाएगी, जिसके दौरान पूर्वोक्त कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि का उद्ग्रहण किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दिया जाता है या स्थावर संपत्ति की कुर्की या विक्रय की कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दी जाती हैं।

उक्त उपनियम के खंड (i) और खंड (ii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि ऐसी अपवर्जन अविध की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख स्पष्ट की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

सीमाशुल्क

विधेयक का खंड 87, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) का संशोधन करने के लिए और नई उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग) अंत:स्थापित करने के लिए हैं । उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उचित अधिकारी माल पर शुल्क का अनंतिम रूप से निर्धारण कर सकेगा । उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे समय को निर्दिष्ट किया जा सके, जिसके भीतर उचित अधिकारी अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देगा । उपधारा (1ख) अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा का उपबंध करने के लिए है, जिसके सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारणीय होगा, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शाया जाता है । खंड यह और उपबंध करता है कि लंबित मामलों के लिए, समय-सीमा की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको वित्त विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है । उपधारा (1ग) ऐसे कतिपय आधारों के लिए उपबंध करने के लिए है, जिन पर दो वर्ष की समय-सीमा अनंतिम निर्धारण के आदेश की तारीख से लागू नहीं होगी, किंतु उस तारीख से लागू होगी, जब ऐसे आधार के लिए कारण विद्यमान नहीं रह जाते हैं ।

विधेयक का खंड 88, सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 18क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं ऐसे मामलों के संबंध में आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रविष्टि के स्वैच्छिक पुनरीक्षण, उनकी पश्च निकासी के लिए उपबंध किया जा सके । खंड पुनरीक्षित प्रविष्टि के स्वनिर्धारण के लिए और शुल्क के संदाय को अनुज्ञात करने या धारा 27 के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय के रूप में पुनरीक्षित प्रविष्टि को मानने के लिए और उपबंध करता है । यह उचित अधिकारी को पुनरीक्षित प्रविष्टि का सत्यापन करने और पुनःनिर्धारण करने को भी सशक्त करता है । यह भी उपबंध करता है कि उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट कितपय मामलों में उक्त धारा के अधीन की गई प्रविष्टि का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 89, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन पुनरीक्षित प्रविष्टि के परिणामस्वरूप प्रतिदाय के दावे के लिए और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 के अधीन संशोधन की परिसीमा की अविध की संगणना शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से एक वर्ष होगी।

विधेयक का खंड 90, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नए खंड (खक) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत तारीख, उस मामले में जहां शुल्क धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन पुनरीक्षित प्रविष्टि के अधीन शुल्क का संदाय किया जाता है, वहां शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख होगी।

विधेयक का खंड 91, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क का संशोधन करने क लिए है, जिससे "अंतरिम बोर्ड" और "लंबित आवेदन" पदों को परिभाषित किया जा सके।

विधेयक का खंड 92, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख का, उसमें दो परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् कोई आवेदन नहीं किया जाएगा और प्रत्येक लंबित आवेदन पर अंतरिम बोर्ड द्वारा उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन अंतरिम बोर्ड के गठन से ठीक पूर्व लंबित है।

विधेयक का खंड 93, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग का, उसमें नई उपधारा (11) और उपधारा (12) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2025 से ही उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (8क) के उपबंध उसमें विनिर्दिष्ट उपांतरणों सहित लंबित आवेदनों को लागू होंगे।

खंड अंतरिम बोर्ड को उपधारा (8क) के अधीन उपबंधित समय-सीमा को, इसके गठन से तीन मास के भीतर ऐसी अविध तक जो इसके गठन की तारीख से बारह मास से अधिक न हो, विस्तारित करने के लिए और सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 94, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127घ का, उसमें एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।

विधेयक का खंड 95, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च का, उसमें एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियां और कृत्यों का प्रयोग या पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।

विधेयक का खंड 96, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127छ का, उसमें एक परंतुक का उपाबंध करके, संशोधन करने लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।

विधेयक का खंड 97, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज का, उसमें एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 98, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का--

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे कि 2 फरवरी, 2025 से कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) नाम-पद्धति की सुमेलित प्रणाली के साथ कतिपय प्रविष्टियों को सुमेलित करने की दृष्टि से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे 1 मई, 2025 से कतिपय प्रविष्टियों के संबंध में नई टैरिफ पंक्तियों को सृजित किया जा सके और कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

विधेयक का खंड 99, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "अंतरिम बोर्ड" और "लंबित आवेदन" जैसी अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 100, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 31क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे लंबित आवेदनों के निपटान के लिए एक या अधिक अंतिरम बोर्डों के गठन के लिए उपबंध किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक अंतिरम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें प्रत्येक मुख्य आयुक्त या उससे ऊपर के पंक्ति का अधिकारी हो । खंड यह और उपबंध करता है कि यदि अंतिरम बोर्ड के सदस्यों की किसी प्रश्न पर राय में भिन्नता हो तो वह प्रश्न बहुत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा ।

खंड यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक लंबित आवेदन पर अंतरिम बोर्ड द्वारा उस क्रम से कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन अंतरिम बोर्ड के गठन से ठीक पूर्व विद्यमान था ।

विधेयक का खंड 101, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा ।

विधेयक का खंड 102 से खंड 105, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क, धारा 32ख, धारा 32ग, धारा 32घ और धारा 32ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धाराओं के विद्यमान उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं रहेंगे।

विधेयक का खंड 106, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (11) और उपधारा (12) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2025 से ही उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध इनमें विनिर्दिष्ट उपांतरणों सहित लंबित आवेदनों को लागू होंगे ।

खंड अंतरिम बोर्ड को उपधारा (6) के अधीन, उपबंधित समय-सीमा का ऐसी अविध तक जो इसके गठन के तीन मास के भीतर, समय-सीमा को इसके गठन की तारीख से जो बारह मास से अधिक की नहीं होगी, का विस्तार करने के लिए और सशक्त करता है। विधेयक का खंड 108 से खंड 115, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32छ, धारा 32झ, धारा 32ञ, धारा 32ठ, धारा 32ठ, धारा 32ड, धारा 32ण और धारा 32त का संशोधन करने के लिए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतरिम बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से ही उक्त धाराओं के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग अथवा पालन किया जाएगा और उक्त धाराओं के सभी उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।

केंद्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का खंड 116, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा 2 के खंड (61) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियों की बाबत इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके, जिस पर इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में एकीकृत माल और सेवा कर की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश को अंतःस्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत किया जाना है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

धारा 2 के खंड (69) के उपखंड (ग) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे "नगरपालिका या स्थानीय निधि" पद के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" पद रखा जा सके और उक्त उपखंड के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जा सके, जिससे उक्त खंड के अधीन "स्थानीय प्राधिकारी" की परिभाषा में प्रयुक्त 'स्थानीय निधि' और 'नगरपालिका निधि' पदों की परिभाषाओं का उपबंध करके उक्त पदों की परिधि को स्पष्ट किया जा सके।

धारा 2 में एक नया खंड (116क) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "विशिष्ट पहचान चिहनांकन" पद को परिभाषित किया जा सके, जिसका यह अभिप्राय हो सकेगा कि खोज और अनुसरण क्रिया विधि के कार्यान्वयन हेतु चिहन विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाए जाने योग्य है।

विधेयक का खंड 117 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप करने के लिए है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार की बाबत पूर्ति के समय के लिए उपबंध का लोप किया जा सके, चूंकि यह न तो माल की पूर्ति है और न ही सेवाओं की पूर्ति है।

विधेयक का खंड 118 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप करने के लिए है, जिससे कि वाउचरों में संव्यवहार की बाबत पूर्ति के समय के लिए उपबंध का लोप किया जा सके, चूंकि यह न तो माल की पूर्ति है और न ही सेवाओं की पूर्ति है।

विधेयक का खंड 119, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे ऐसे मामलों में इनपुट कर प्रत्यय के उपभोग के प्रयोजन के लिए निर्वचन में किसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए "संयंत्र या मशीनरी" पद के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" पद को रखा जा सके ।

यह खंड एक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त संशोधन किसी न्यायालय, या किसी अन्य प्राधिकारी के निर्णय, डिक्री या आदेश में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी संशोधन किया जाता है।

यह संशोधन 1 ज्लाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 120 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियों की बाबत इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके, जिन पर उक्त उपधारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश को अंत:स्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत किया जाना है।

खंड उक्त धारा की उपधारा (2) का यह और संशोधन करने के लिए है, जिससे कि ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियों की बाबत इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके, जिन पर उक्त उपधारा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश को अंत:स्थापित करके प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 121 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त जमा पत्र की बाबत पूर्तिकार के कर दायित्व की कटौती के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा, यदि उपभोग कर लिया गया है, जमा पत्र की बाबत तत्संबंधी इनपुट कर प्रत्यय के वापसी की अपेक्षा के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके।

खंड उक्त परंतुक में ऐसी शर्त को भी हटाने के लिए है, जिसमें उक्त जमा पत्र की बाबत पूर्तिकार के कर दायित्व की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति पर ब्याज का आपतन नहीं किया गया है ।

विधेयक का खंड 122 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में "स्वत: सृजित" पद का लोप किया जा सके ।

खंड उक्त उपधारा में इनपुट कर प्रत्यय के विवरण के संबंध में "स्वतः मृजित" पद का लोप करके और उक्त उपधारा के खंड (ख) में "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्दों के पश्चात् "सम्मिलित करके" पद अंतःस्थापित करके उक्त धारा की उपधारा (2) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा को ऐसे अन्य मामलों को आच्छादित करने के लिए समावेशी बनाया जा सके जहां इनपुट कर प्रत्यय अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन करदाता को उपलब्ध नहीं है।

खंड उक्त उपधारा में एक और नया खंड (ग) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे इनपुट कर प्रत्यय के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य ब्यौरे को विहित करने के लिए समर्थकारी खंड का उपबंध किया जा सके विधेयक का खंड 123 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए शर्तों और निबंधनों को विहित करने के लिए समर्थकारी खंड का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 124 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे किसी ऐसे आदेश, जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 125 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में एक परंतुक अंतः स्थापित करने के लिए है, जिससे किसी ऐसे आदेश जिसमें किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग अंतर्वलित है, के विरुद्ध किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील फाइल करने के लिए शास्ति की रकम के दस प्रतिशत के पूर्व निक्षेप की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 126 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 122ख अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे खोज और अनुसरण क्रिया विधि से संबंधित उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्तिक उपबंधों का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 127 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 148क अंतःस्थापित करने के लिए हैं, जिससे विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति के प्रभावी निगरानी और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए खोज और अनुसरण क्रिया विधि के कार्यान्वयन हेतु समर्थकारी उपबंध का प्रावधान किया जा सके ।

विधेयक का खंड 128 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 में एक नई प्रविष्टि (कक) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि किसी व्यक्ति को निर्यात के लिए या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक क्षेत्र में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण जोन में भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति को न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

यह खंड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के स्पष्टीकरण 2 का और संशोधन करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण उक्त अनुसूची के पैरा 8 की प्रविष्टि (क) की बाबत लागू होगा ।

यह खंड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे उक्त अनुसूची के पैरा 8 में प्रस्तावित प्रविष्टि (कक) के प्रयोजन के लिए 'विशेष आर्थिक जोन', 'मुक्त व्यापार भांडागारण जोन' और 'घरेलू टैरिफ क्षेत्र' पदों को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 129 यह स्पष्ट करने के लिए है कि उपरोक्त क्रियाकलापों या संव्यवहारों के संबंध में पहले ही संदत्त कर का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा ।

सेवा कर

विधेयक का खंड 130 मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के लिए उपबंधित पुनः बीमा सेवाओं को सेवा कर से 1 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2017 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अविध के लिए भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 131, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जो कर छूट या फायदे के निरंतर प्रभावी होने से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उस अविध का उपबंध करती है, जिसके लिए किसी विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक द्वारा कर संदेय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अविध को बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

विधेयक के **खंड 132 से खंड 140**, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए हैं।

इस भाग के लागू होने के बारे में उपबंध करने का प्रस्ताव है। खंड 132 की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि यह भाग प्रथमत: संपूर्ण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा और वह ऐसे अन्य राज्यों को भी लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित संकल्प पारित करके इस भाग का अंगीकार करते हैं।

उक्त खंड की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पिश्चमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को प्रवृत्त होगा और ऐसे किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन करके इस भाग का अंगीकार करता है, इस प्रकार अंगीकार किए जाने की तारीख को लागू होगा और इस भाग में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस भाग के किसी राज्य को लागू होने के संबंध में प्रतिनिर्देश से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको यह भाग ऐसे राज्य में प्रवृत्त होता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 2 की उपधारा (3) और उपधारा (4) में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रतिनिर्देश को एक संघ राज्यक्षेत्र के रूप में उपबंधित किया जा सके ।

अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) का भी संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "िकसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए," शब्द अंत:स्थापित किए जा सकें। इसके अतिरिक्त उक्त खंड में "और धारा 3 में वर्णित रूपों में से किसी एक रूप में है" शब्दों का लोप करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

अधिनियम की धारा 3 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं" शब्दों का लोप किया जा सके ।

अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें "आदेश को प्रभावित नहीं करेगी ।" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत धारा 2 के खंड (च) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की अंतरणीयता पर किसी निर्बंधन को प्रभावित करने के रूप में समझा जाएगा ।" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जा सकें ।

अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में "और वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 140, लोक ऋण अधिनियम, 1944 का निरसन करने के लिए है तथा यह खंड इस संबंध में व्यावृत्ति का भी उपबंध करता है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार को, अधिसूचनाएं जारी करने और बोर्ड को, उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेत् सशक्त करते हैं।

विधेयक का खंड 3, आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त धारा के खंड (22) का संशोधन करने के लिए है। उक्त स्पष्टीकरण के खंड (घ) के स्पष्टीकरण 3 में, 'समूह अस्तित्व', 'मूल अस्तित्व' या 'प्रधान अस्तित्व' के स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह ऐसी शर्तों के संबंध में बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जिनके समाधान के लिए उक्त अस्तित्व अपेक्षित हैं।

विधेयक का खंड 9, आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषित "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" से संबंधित है।

खंड बोर्ड को ऐसी रकम के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करने हेतु खंड (2) के उपखंड (iii) की मद (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

खंड (2) में, बोर्ड को सशक्त करने के लिए खंड (ख) की दीर्घ पंक्ति में खंड (vi) के उपखंड (vii) के पश्चात् आने वाले परंतुक का संशोधन करने के लिए ऐसी रकम के अवधारण के संबंध में नियम बनाए जाने हेत् और प्रस्ताव करता है।

विधेयक का खंड 11, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 44खखघ अंत:स्थापित करने के लिए है, जो भारत में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए या इलेक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के कारबार में लगे अनिवासी के लाभों और अभिलाओं की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

यह बोर्ड को, अन्य बातों के साथ-साथ, उन शर्तों को विहित करते हुए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है, जिन्हें निवासी कंपनी द्वारा इस निमित्त पूरा करना अपेक्षित है।

विधेयक का खंड 21, आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3ख) अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष के अधीन उपधारा (3) के अधीन अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित किए जा रहे असन्निकट कीमत उसमें विनिर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् आने वाले दो निरंतर पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वैसे ही अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को लागू होगी । उक्त उपधारा का खंड (ख) बोर्ड को ऐसे विकल्प या विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना है, के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है । उक्त उपधारा के खंड (ग)

बोर्ड को ऐसे विकल्प या विकल्पों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जिनका प्रयोग अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया जाना है।

विधेयक का खंड 88, सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 18क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो स्वैच्छिक पुनरीक्षण, उनकी पश्च निकासी से संबंधित है । उक्त धारा 18क की उपधारा (1), नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जिसमें निकासी के पश्चात् आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा माल के संबंध में प्रविष्टि को पुनरीक्षित किया जा सकेगा, का उपबंध करके सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 122, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के संशोधन का, नियमों द्वारा विवरण में अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने के लिए उपबंध करके सरकार को सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का खंड 127, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 148क अंतः स्थापित करने के लिए है, जो कितपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि से संबंधित है । उक्त धारा 148क की उपधारा (2) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जिनको ऐसी प्रणाली प्रदान की जाए, विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का नियमों द्वारा उपबंध करके सरकार को सशक्त करने के लिए है । यह ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिहनांकन, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है, का नियमों द्वारा उपबंध करके सरकार को और सशक्त करने के लिए है ।

उक्त धारा 148क की उपधारा (3), खंड (क) के अधीन माल और पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिहनांकन चिपकाने के लिए, खंड (ख) के अधीन ऐसी जानकारी और ब्यौरे, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे समय के भीतर, प्रस्तुत करने के लिए और अभिलेखों या दस्तावेजों का अनुरक्षण करने के लिए, खंड (ग) के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जिसमें अन्य ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे और उक्त धारा के खंड (घ) के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम का नियमों द्वारा उपबंध करके सरकार को सशक्त करने के लिए है।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

> (श्रीमती निर्मला सीतारामन) वित्त मंत्री